पंचम माला, खंड 33 अंक 11, सोमवार, 26 नवम्बर, 1973/5, अग्रहायण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXIII No. 11, Monday, November 26, 1973/Agrahayana 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

अंक 11, सोमवार, 26 नवम्बर, 1973/5 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 11, Monday, 26 November, 1973/5 Agrahayana, 1895 [Saka]

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
211	कलकत्ता और पारादीप पत्तनों से सीमेंट तथा अन्य सामग्री भेजना — Transporting Cement and other Commodities from Calcutta and Paradip Ports	1
212	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का नया रजिस्ट्रेशन — New Registration of DDA Flats	3
217	पुरातत्व क्षेत्र में भारत-अफगानिस्तान समझौता — Indo-Afghan Agreement on Archeology	5
207	केरल में तेल ताड़ बागान के लिए सहायक कम्पनी — Subsidy Company for Oil Palm Plantation in Kerala	8
	प्रश्नों के लिखत उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
201	हल्दिया स्थित जहाज निर्माण यार्ड सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप की सिफारिश — Recommendation of Working Group on Ship Building Yard at Haldia	11
202	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं की स्थापना — Setting up of Research Projects by ICMR	11
203	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में विशेष शल्य-चिकित्सा में प्रयोग होने वाले उपकरणों और दवाइयों की कमी — Shortage of Equipment and Medicines used in special surgery in Willingdon Hospital, New Delhi	12
204	चुनी गयी फसलों के लिये फसल बीमा योजना — Crop Insurance Scheme for Selected Crop	12
205	नरायणा (दिल्ली) में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न दिये जाने में अनियमितताएं — Irregularity in Issue of Foodgrains from FCI Godown in Naraina (Delhi)	13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was acutually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
206	एकल राज्यकीय बाजरा जोन समाप्त करने के लिए हरियाणा द्वारा अनुरोध	Request by Haryana to Abolish Single State Bajra Zone 13
208	विदेशी सहायता से जहाज निर्माण	Ship Building with Foreign Assistance . 13
210	हड्डियों से खाद बनाने के विचार से उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Hide for the manufacture of Manure 14
213	गेहूं के आयात में कटौती	Cut in Import of Wheat . . 14
215	राज्यों को आवंटित खाद्यान्न तथा प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न की दुकाने	Foodgrains allotted to States and Foodgrains Shops in each State . . 15
216	प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की कमी	Lack of Trained Pharmacists . . 15
218	कलकत्ता और सिलिगुड़ी के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 की जीर्णावस्था	Dilapidated conditions of National Highway No. 34 between Calcutta and Siliguri 15
219	मध्य प्रदेश में भूमिगत जल विभाग का कार्यकरण	Working of Sub Soil Water Department in Madhya Pradesh 16
220	चावल व्यापार के सरकारीकरण के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for take over of Rice trade 17
अता० प्र० सं० U. S. Q. No.		
2003	विकलांगों को सहायता	Assistance to the handicapped . . 18
2004	बढ़ते हुए सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांतों की संहिता	Code of guidelines to States to meet the growing social objectives . . 18
2005	सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राइमरी अध्यापकों की सूची पर पुनर्विचार	Review of list of Primary teachers eligible for Selection Grade 18
2006	दिल्ली में आधुनिक डेरी कालोनी और उस पर व्यय	Modern Dairies Colony in Delhi and Expenditure thereon 19
2007	खेलकूद योग्यता छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थी	Students granted sports talent scholarships 19
2008	'राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रम' योजना में प्रगति	Progress of National Sports Organisation Programme . . . 20
2009	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित राशि में कटौती	Cut in allocation to Andhra for Drought Prone Area Programme . . 21
2010	बीमारी के कारण गेहूं की उपज को क्षति	Damage to wheat yield due to diseases . 21
2011	गेहूं, चावल और खाद्यान्नों के मूल्यों को खरीददार की क्रयशक्ति के साथ सम्बद्ध करना	Linking the price of wheat, rice and foodgrains with purchasing power of buyer 22

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2012	किसानों के वसूली मूल्य के खिलाफ आंदोलन के परिणामस्वरूप वसूली कार्यक्रम पर प्रभाव	Effect on procurement programme due to farmers, agitation against procurement price	22
2013	विभिन्न राज्यों की खाद्यान्न की आवश्यकता	Requirement of foodgrains by various States	22
2014	दिल्ली की कालोनियों में नागरिक सुविधायें	Civic Amentities in Colonies of Delhi .	23
2015	राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा आयोजित गोष्ठियां	Seminar organised by State Institute of Education, Delhi	23
2016	पंजाबी बाग, दिल्ली-26 में पीने के पानी तथा सीवर की सुविधाएं	Drinking water and sewarage facilities in Punjabi Bagh, Delhi-26 . . .	24
2017	धान, चावल अथवा खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की योजना	Plan by FCI for enlargement of Zones for movement of Paddy, Rice or Foodgrains	24
2018	हानि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम की कथित असफलता की जांच	Port & Dock Workers Federation into alleged failure of FCI to prevent losses	25
2019	लिटन रोड, नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जे तथा मालिकाना अधिकार के बारे में ज्ञापन/शिकायत	Memorandum Complaint regarding illegal occupation and proprietary Right of property on Lytton Road, New Delhi	25
2020	नई दिल्ली में उचित मूल्य की एक दुकान पर अनाज का न होना	Non-availability of Food Stock with a Fair Price Shop in New Delhi .	25
2021	1972-73 के लिए काम के दिन तथा गन्ना से औसतन वसूल किया गया मिठास का तत्व और दिया गया वास्तविक मूल्य	Working days, Average percentage of Recovery and Actual price paid on Account of Sugarcane for 1972-73 .	26
2022	राज्यों में फसलों को क्षति	Damage to Crops in States . .	26
2023	भारतीय खाद्य निगम में स्थानांतरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति	Transfer and Promotion Policy in FCI	25
2024	कम्पोस्ट और गैस का उत्पादन करने के लिए पूना के निकट एक उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertiliser Plant near Poona to produce compost and Gas .	27
2025	यूरिया, अमोनियम सल्फेट और केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate	27

ता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2026	देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम — Steps to meet shortage of Fertilizers in the country	28
2027	बिजली बन्द होने के कारण उत्पादन में हानि — Loss of production due to power failure	29
2028	दिल्ली में छिपाये गये खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं का पता लगाना — Unearthing of Hoarded Foodgrains and Essential Articles in Delhi	29
2029	रोजगार के द्रुत कार्यक्रमों पर राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई राशियां — Amounts utilised by States on Crash Programme for Employment	30
2030	कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि कार्यों और कृषि उद्योगों के लिये ऋण देने की प्रक्रिया — Procedure for advancing loans to Farmers and landless labour for agricultural activities and agro industries	30
2031	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भगत कंस्ट्रक्शन कम्पनी को सीमेंट की बोरियां देना — Issue of cement bags to Bhagat Construction Company by DDA	31
2032	दिल्ली में मंदिरों के नाम पर सरकारी भूमि पर कब्जा — Occupation of Government Land in the name of Temples in Delhi	31
2033	महाराष्ट्र के पैठान तालुक में भूख से बच्चों की मृत्यु — Death of Children due to Starvation in Paithan Taluk in Maharashtra	31
2034	मूंगफली तथा इसके तेल की खरीद में अनियमितताएं — Irregularities in the purchase of Groundnut and its Oil	32
2035	राजस्थान में महामारी फैलने का कथित समाचार — Reported Epidemic in Rajasthan	32
2036	उत्तर प्रदेश में नहर तथा नल कूप सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र — Area under Canal and Tube well Irrigation System in U.P.	32
2037	कोचीन में 'आयल टैंकर बर्थ' — Oil Tanker Berth at Cochin	33
2038	समुद्री-तट की भूमि में सिंचाई के लिये समुद्र के जल का प्रयोग — Use of Sea Water for Irrigation on Coastal Land	34
2039	रेतीली तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना — Converting Sandy and Unfertile Land into Cultivable Land	34
2040	रत्नगिरि जिले में फसलों पर कीटनाशी दवाएं छिड़कने के कारण मछलियों का मरना — Death of Fish due to spraying of insecticides on crops in District Ratnagiri	34
2042	कृषि श्रमिकों का नियोजन — Employment of Agricultural Labourers	35
2043	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण में सफलता — Success of Take Over of Wholesale Trade in Wheat	36

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2044	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शकरपुर ब्लाक में अधूरे मकानों पर कब्जा करना / Acquiring of Half Constructed House in Shakarpur Block DDA . . .	36
2045	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासियों को भूमि-वितरण / Land Distribution to Adivasis during Fifth Plan	36
2046	'एटामिक स्टेशन इमीशन्स हैज़रड्स टु हैल्थ' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार / Atomic Station Emissions Hazardous to Health	37
2047	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य / Target of Food Production during Fourth Plan	37
2048	देश में खाद्यान्नों के मामले में हुए दंगे / Food Riots in the country	38
2049	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा / Clerk grade examination conducted by NDMC	38
2050	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पश्चिम बंगाल चोकर कांड की जांच / CBI Investigation into West Bengal Wheat Bran Scandal	38
2051	छिपाकर जमा की गई खाद्य वस्तुओं की जब्त की गई मात्रा / Quantity of Hoarded food articles seized .	39
2052	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर क्षेत्र को शामिल करना / Inclusion of Alwar District in National Capital Region	39
2053	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा सुझाई गई कृषि विकास की नई प्रणाली / New pattern of agricultural growth urged by Director General of ICAR . .	40
2054	ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत केरल को सहायता तथा इसका उपयोग / Assistance to Kerala under Rural Employment Schemes and its utilisation .	41
2055	कृषि और पशु पालन विशेषज्ञों का उत्तर वियतनाम का दौरा / Visit of Agricultural and Animal Husbandry experts to North Vietnam .	42
2056	वर्ष 1973-74 में भूमि सुधारों से लाभ प्राप्त करने में असफलता / Failure in achieving gains from Land Reforms during 1973-74 . . .	43
2057	गुजरात में मत्स्य-पालन उद्योग का विकास करने की योजना / Plan to develop Fisheries in Gujarat .	43
2058	भारतीय जहाजों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा / Foreign Exchange earned by Indian Ships	44
2059	संकर कपास के उत्पादन में वृद्धि / Increase in production of Hybrid Cotton .	44
2060	वस्तु व्यापार निगम की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता / Financial assistance to M.P. for Commodities Trading Corporation . .	45

अता० प्र० सं० U.S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2061 सोवियत रूस का मूंगफली के तेल का निर्यात	Exports of Groundnut oil to USSR .	45
2062 चावल के थोक व्यापार के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सिफारिशें	Recommendation of Reserve Bank of India regarding Wholesale Trade in rice	45
2063 वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा	Quantity of edible oil imported during 1972-73 and 1973-74	46
2064 सलाया पत्तन का विकास	Development of Salaya Port .	46
2065 'शिप बंचिंग हिट्स वाइटल इम्पोर्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Ship bunching hits vital imports .	47
2066 विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में रोगी शैयाओं की संख्या में वृद्धि	Increase in the Number of Beds in Willingdon Hospital, New Delhi .	48
2067 आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेज, नई दिल्ली में दवाइयों का अन्वेषण	Research in Medicines by All India Institute of Medical Science, New Delhi	48
2068 गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केन्द्रीय विधान बनाने के बारे में गोरक्षा समिति का संकल्प	Resolution of Committee on Cow Protection for enactment of Central Legislation or Ban on Cow Slaughter	48
2069 डी०टी०सी० बसचालक और संवाहक का दुर्व्यवहार	Misbehaviour of a conductor and Driver of DTC Bus	49
2070 मछली संसाधनों के लिए अरब सागर में सर्वेक्षण	Survey of Arabian Sea for Fish Resources	49
2071 दक्षिण में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्पोर्ट्स की शाखा आरम्भ करना	Branch of Netaji Subash National Institute of Sports in South . . .	50
2072 नारियल, सरसों तथा अन्य खाद्य तेलों का राशन	Rationing of Coconut Oil, Mustard Oil and other Edible Oils . .	50
2073 तमिलनाडु में भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये भूमि का आवंटन	Distribution of House Site to Landless Peasants and Agricultural Labour in Tamil Nadu	51
2074 नूहावा शेवा पत्तन परियोजना	Nhava Sheva Port Project .	52
2075 स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में कुपोषण का मुकाबला करने के लिए कार्यक्रम	Programme to combat mal-nutrition among Pre-School Children	53
2076 चालू वर्ष में कर्नाटक को उर्वरक का आवंटन	Allotment of Fertiliser to Karnatak during 1972-73	53

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2077	नौवहन और परिवहन मंत्रालय को टायरों की आवश्यकता / Requirement of Tyres in the M/o Shipping and Transport	54
2078	दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के टोकन के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र / Applications for Milk Tokens Pending with DMS	55
2079	दीपावली के अवसर पर वनस्पति घी के दामों में अत्यधिक वृद्धि / Exhorbitant price of Vanaspati Ghee during Diwali Days	55
2080	जापान से खाद्यान्न ला रहे जहाज की टक्कर / Collision of Ship Carrying Food grains from Japan	56
2081	लोक सभा सचिवालय को अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की अनुमति देना / Construction of Residential Accommodation for Lok Sabha Secretariat Employees	56
2082	आंध्र प्रदेश में आरम्भ की जा रही परियोजनायें / Projects being undertaken in Andhra Pradesh	56
2083	दूध की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली में सहकारी डेरियां / Cooperative Dairies in Delhi to meet Milk Shortage	57
2084	ग्रंथालय अभियान को सुदृढ़ बनाने संबंधी योजना / Scheme to Strengthen Library Movement	57
2085	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता / Requirement of DTC Buses	57
2086	पश्चिम बंगाल में नई किस्म का वायरल एन्सीफ्लाइटिस रोग / New Type of Viral Encephalities in West Bengal	58
2087	वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश को दिये गये गेहूं और धान की किस्में / Varities of Wheat and Paddy Allotted to MP During 1973	59
2088	मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में जल संकट को दूर करने के लिये योजना / Scheme to Overcome Water Crisis in Burhanpur, Madhya Pradesh	59
2089	मध्य प्रदेश में डेरियां तथा पशुपालन / Dairies Cattle Breeding in Madhya Pradesh	60
2090	मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन के लिए पेय जल की व्यवस्था हेतु योजना / Drinking water scheme for Indore Division in Madhya Pradesh	60
2091	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा का निर्माण कार्य बन्द होना / Suspension of Construction Work for Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra	60
2092	गुजरात द्वारा अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले मूंगफली तेल पर शुल्क लगाने की अनुमति मांगना, / Permission by Gujarat Government to impose Levy on Groundnut oil Exported to other States	61
2093	महाराष्ट्र में सहकारी समितियों द्वारा गेहूं का क्रय-विक्रय / Co-operative to Buy and Sell Wheat in Maharashtra	61
2094	मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिये रक्षित स्थान / Seats Reserved for SC and ST in the Medical Colleges	62

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2095	पश्चिम बंगाल के जिलों में सूखा	Drought in West Bengal Districts .	62
2096	देश के पूर्वी क्षेत्रों में सहकारी समितियां	Co-operative in Eastern Region of the Country	62
2097	वर्ष 1973 के दौरान पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का कोटा	Foodgrains to West Bengal during 1973 .	64
2098	पोलैण्ड के पत्तनों से होकर गुजरने वाले पारगमन माल की ढुलाई में सहयोग देने के पोलैण्ड के साथ करार	Agreement with Poland to Share Transit Cargo Passing through Polish Ports .	65
2099	दिल्ली में स्कूल परीक्षा के ढांचे में परिवर्तन	Change in Pattern of School Examinations in Delhi	66
2100	भारतीय इतिहास और संस्कृति पर नई पुस्तकें	New Volume of Book on History and Culture of India	66
2101	वृद्धावस्था पेंशन पुनः आरम्भ करना	Introduction of Old Age Pension .	67
2102	अखिल भारतीय भाषा वैज्ञानिक सम्मेलन	All India Conference of Linguistics .	67
2103	'एन० एस० एस० इन पटना वर्सिटी ब्रिकम्स एन० आर० एस० एस० सैल' शीर्षक से समाचार	NSS in Patna Varsity becomes an RSS Cell	68
2104	सड़कों का विकास	Development of Roads.	68
2105	यमुना नगर, पंजाब में धान की फसल को नये प्रकार का रोग लग जाना	New Paddy Disease in Yamuna nagar, Punjab	69
2106	गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा क्षोभ प्रकट करना	Resentment of the Scientists on the Recommendations of Gajendra Gadkar Committee	69
2107	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Government Servants . .	69
2108	कुरनूल, आंध्र प्रदेश में मिल्क पावडर फैक्ट्री के लिये आवेदन-पत्र	Application for Milk Powder Factory at Kurnool, Andhra Pradesh . .	70
2109	गेहूं, धान, ज्वार और बाजरे के वसूली मूल्य में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in Procurement price of wheat, paddy, jowar and Bazara	71
2110	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का शामिल न किया जाना	Non inclusion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Seniority List prepared by Eductation Department of Delhi Administration .	72

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2111	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ लाजपतनगर, नई दिल्ली और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट से हर्जाने की वसूली	Realisation of damages from Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi and Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust . . .	72
2112	आल इंडिया ब्लाइंड एंड रिलीफ सोसाइटी, 2-एफ, लाजपतनगर, नई दिल्ली	All India Blind and Relief Society 2-F Lajpat Nagar, New Delhi . .	74
2113	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिये चुने गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes selected for different posts in Education Department of Delhi Administration .	74
2114	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में प्रयुक्त भवन निर्माण-सामग्री के बारे में शिकायतें	Complaints about materials used in DDA Flats	75
2115	भारतीय खाद्य निगम के भोपाल स्थित गोदामों में गेहूं और चीनी की बोरियों का खराब हो जाना	Bags of Wheat and Sugar got rotten in FCI Godowns, Bhopal . . .	76
2116	शहरों और गांवों में निरक्षरता का प्रतिशत	Percentage of Illiteracy in Cities and Villages	76
2117	सिंचित रकबे के आधार पर रबी और खरीफ फसल के लिये उर्वरक का आवंटन	Allotment of fertiliser for Rabi and Kharif Crop on the Basis of Irrigated areas	76
2118	आंध्र प्रदेश में 'रेड हेयरी केटर-पिलर' कीट से मूंगफली फसल को क्षति	Damage to ground Nut crop from Red Hairy Caterpillar Pest in Andhra Pradesh	77
2119	अगरतल्ला में विषैला गेहूं खाने के कारण मरे व्यक्ति	Persons killed in Agartala due to consumption of Poisonous wheat . .	77
2120	दिल्ली में मोतियाखान के निकट बगीची अलाउद्दीन की एक महिला का बन्धकरण-आपरेशन किया जाना	Performance of Tubactomy operation on a Woman of Bagichi Alauddin near Motiakhan Delhi	78
2211	वन-संरक्षण के लिये राजस्थान को अनुदान	Grants to Rajasthan for preservation of Forests	78
2122	शुष्क प्रदेश में खाद्य उत्पादन	Food production in dry land belt areas .	
2123	विदेशों द्वारा गुजरात तट से दूर मछलियां पकड़ा जाना	Exploitation of Fish Resources off Gujarat Coast by Foreign Countries .	79
2124	धान और चावल की वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा आदेश	State Government Orders for procurement of Paddy and Rice	79

अता०प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2125	गुजरात को गेहूं और मोटे अनाज का आवंटन और उस राज्य में राशन का कोटा	Allotment wheat and Coarse Grain to Gujarat and Ration quota in that State.	79
2126	बंगला देश द्वारा सरसों और बिनौलों का आयात	Import of Mustard and Cotton Seeds by Bangladesh	80
2127	भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन और विकेन्द्रीकरण	Reorganisation and Decentralisation of FCI	81
2128	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के संबंध में विश्व बैंक के चेयरमैन के विचार	Views of Chairman of World Bank regarding Stepping up Food Production	81
2129	दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक-शास्त्र विभाग का आयन मंडल अनुसंधान केन्द्र	Ionosphere Research Centre of Department of Physics, University of Delhi .	81
2130	दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में किये गये बन्ध्यकरण आपरेशन	Tubectomy Operations carried out in various Hospitals of Delhi. . .	82
2131	संसदीय कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	SC/ST Employees in Department of Parliamentary Affairs . . .	83
2132	वनस्पति संरक्षण के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन	FAO Regional Conference on Plan Protection	84
2133	बच्चों के लिये स्वास्थ्य उपकर योजना	Health Cess Plan for Children.	84
2134	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा और अन्य सरकारी औषधालयों तथा अस्पतालों में सस्ती और प्रभावहीन औषधियों का उपयोग किया जाना	Use of Cheap and Ineffective Medicines in CGHS and other Government Dispensaries and Hospitals .	85
2135	आदिवासी क्षेत्रों में बीज का विकास करने तथा अधिक उत्पादन करने हेतु नयी टेक्नोलाजी	New Technology for Developing Seeds and Increase Production in Adivasi Areas .	85
2136	ग्रेडों के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन द्वारा पास किया गया संकल्प	Resoeution passed by Delhi University Teachers Association regarding Grades.	86
2137	सड़क परिवहन से माल लाने ले जाने के बारे में महाराष्ट्र तथा पंजाब के बीच करार	Agreement between Maharashtra and Punjab to Transport Goods by Road	86
2138	राज्यों में चावल की थोड़ी वसूली	Little procurement of rice in States .	87

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2139	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उत्पादित अपमिश्रित वनस्पति की बिक्री	Sale of Adulterated vanaspati manufactured in Punjab, Haryana and Chandigarh	88
2140	आवास और नगरीय विकास निगम का मध्यावधि मूल्यांकन	Mid Term evaluation of the HUDCO .	89
2141	धान की वसूली के लिये उड़ीसा सरकार का निर्णय	Orissa Government decision for procurement of Paddy	90
2142	वर्ष 1974 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन	Estimate of sugar production during 1974.	90
2143	चांदबली लघु पत्तन, उड़ीसा के बारे में लघु पत्तन समिति का प्रतिवेदन	Minor Port Committee Report in Chandbali Minor Port Orissa .	90
2144	भारतीय खाद्य निगम की आलोचना	Criticism on FCI . . .	91
2145	रूस से उधार लिये गये गेहूं की ढुलाई पर भाड़ा	Cost of freight on Shipment of wheat loan from USSR	91
2146	चावल की वसूली के लिये बनाई गई एजेंसियां	Agencies set up for procurement of rice	92
2147	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की गिरफ्तारी और कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Arrests of FCI employees and memo-to Agriculture Minister and Prime Minister	93
2148	चावल की असंतोषजनक किस्म के बारे में कर्नाटक राज्य की शिकायत	Complaint from Karnataka regarding unsatisfactory quality of rice .	94
2149	ब्रिटेन की जहाजरानी कंपनीयों द्वारा भाड़ों में वृद्धि	Increase in freight rate by U.K. Shipping Lines	
2150	किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराना	Availability of Agro equipment to farmers	95
2151	गेहूं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त खाद्यान्नों की खरीद के लिये व्यापारियों को सलाह	Advice to dealers to purchase food grains except wheat and rice after takeover of wholesale trade in Wheat.	96
2152	शहरी एवं ग्रामीण छात्र-छात्राओं के लिये एक समान शिक्षा पद्धति	Uniform System of Education for Urban and Rural Students . . .	96
2153	सुपर बाजार, दिल्ली में अधिक मूल्य पर चीनी की बिक्री	Sale of Sugar at High Rate from Super Bazar, Delhi	
2154	दिल्ली दूध योजना द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर आयल का उपयोग	Use of Skimmed Milk Power and Butter Oil by DMS . . .	97

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2155	दिल्ली में स्कूलों की शिक्षा प्रणाली	Academic Pattern of School Education in Delhi	97
2156	छिपाये गये खाद्यान्न का पता लगाने के लिये राज्यों द्वारा भारत रक्षा नियमों का प्रवर्तन	Enforcement of DIR by States to dehoard hoarded Foodgrains	98
2157	चावल क्रान्ति की योजना	Scheme for Rice Revolution . .	99
2158	बिहार में खाद्य उत्पादन में स्थिरता	Food production stagnant in Bihar .	100
2159	पांचवीं योजना के दौरान निर्माण की रूप रेखा	Profile of Construction during Fifth Plan	101
2160	बिहार में नगरों के लिए वृहत् योजनाएं	Master Plans for the cities in Bihar .	101
2161	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिकरण संयंत्र की स्थापना	Setting up of Soyabean Processing Plant by FCI	103
2162	कुपोषण और मन्द पोषण के बारे में अनुमान लगाना	Assessment about Mal nutrition and Under-Nutrition	104
2163	चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by Minister regarding Nationalisation of Sugar Industry . . .	104
2164	सफदरजंग उपरि पुल, नई दिल्ली	Safdarjung Fly over Bridge, New Delhi .	105
2165	सफदरजंग उपरि पुल के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Safdarjung Fly Over Contractor	105
2166	"सुगर फ्राड कोस्ट्स गवर्नमेंट रूपीज टू लैक्स," शीर्षक से समाचार	News regarding" Sugar Fraud Costs Government Rs. two lakhs" .	106
2167	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला को प्राप्त वित्तीय सहायता	Financial Assistance received by Indian Institute of Advanced Studies Simla	107
2168	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले शहर	Cities left Uncovered by CGH Scheme	108
2169	सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नये पत्तनों के लिये केन्द्रीयदल	Central Team for new ports in Saurashtra and South Gujarat . .	109
2170	कुछ कालिजों में परीक्षा संबंधी सुधारों को कार्यरूप देने हेतु वित्तीय सहायता	Financial aid for implementation of Examination Reform in Selected Colleges	109
2171	मकानों की खरीद के लिये ऋणों हेतु अहमदाबाद के केन्द्रीय कर्मचारियों से आवेदन पत्र	Applications from the Central Government Employees of Ahmedabad for Loans towards purchase of Houses .	109

अ ता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2172	विश्व बैंक की सहायता से विदर्भ में बीज उद्योग का विकास	Development of Seed Industry in vidarbha with World Bank Aid	110
2173	"आई० सी० ए० आर० क्लेम इज़ एग्जेजरेटिड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार	New Item Captioned ICAR Claims is Exaggerated	110
2174	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना का निरीक्षण	Inspection of Delhi Milk Scheme by Health Officers	112
2175	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को रिहायशी विकसित भूखंडों के आवंटन के तरीके के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुदेश	DDA Instructions to the Co-operative House Building Societies in Delhi regarding Allocation of Residential Developed Plots	112
2176	रत्नगिरि की बन्दरगाह की बचाव दीवार के लिये ऋण	Loan for Protective Wall of Ratnagiri Harbour	113
2177	राजपथों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को दी गई राज सहायता तथा ऋण का उपयोग	Utilisation of Subsidies and Loans Given to States for Highways . . .	113
2178	गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for Slum Clearance .	114
2179	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर व्यय	Expenditure of Central Social Welfare Board	115
2180	"बाम्बे पोर्ट हाल्स लेस कारगो" शीर्षक से समाचार	News Item Bombay Port hauls less Cargo .	115
2181	देश में सरकारी परिवहन उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही बसें	Buses Employed by Public Transport Undertaking in the country . .	116
2182	राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के सड़ने के बारे में जांच	Inquiry into rotting of Seeds of National Seeds Corporation . .	116
2183	राज्यों द्वारा धान तथा चावल का थोक-व्यापार	Wholesale trade in Paddy and Rice by States	117
2184	मक्का, बाजरा और ज्वार की वसूली के अखिल भारतीय नीति	All India policy for procurement of Maize, Bajra and Jawar . . .	118
2185	मूंगफली तिलहन के उत्पादन का अनुमान	Estimate of production of Groundnut and Oilseeds	118
2186	खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये पंजाब द्वारा प्रस्तुत योजनायें	Schemes submitted by Punjab to Overcome food shortages	119

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2187	विश्व विद्यालयों, कालेजों, प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों की संख्या	Number of Universities Colleges, Teachers and Students	119
2188	सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी कारखाने और राज्यवार चीनी का उत्पादन	Sugar Factories in Co-operative and Public Sector and Production of Sugar State wise	120
2189	गन्ने के मूल्य की लागत अनुसूची चीनी का उत्पादन और चीनी मिलों को रियायतें	Cost schedule of Sugarcane, Production of Sguar and concession to Sugar Mills	121
2190	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम का विस्तार	Development of DTC under Fifth Five Year Plan	122
2191	दिल्ली परिवहन निगम की बस समस्या के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by Central Road Research Institute regarding DTC Bus problem .	122
2192	राज्यों द्वारा त्रिभाषा के सूत्र के अनुसार हिन्दी को लागू करना	Introduction of Hindi in three language formula by States	123
2193	दिल्ली में अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन	Accommodation to Government servants owning accommodation in Delhi .	125
2194	जहाजों पर कार्य करने वाले 'सीमैन'	Seamen on Ships .	125
2195	विकल्प प्रस्तुत करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों को भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् में नियमित करना तथा खपाना	Regularisation and alesorption of permanent Government Optees into service of ICAR	126
2196	नेपाल से चावल का आयात	Import of rice from Nepal .	127
2197	केरल के अजहीकल पत्तन संबंधी अध्ययन	Study of Azheikkal Port, Kerala .	127
2198	कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय	Office of Freight Investigation Bureau at Cochin	128
2199	केरल राज्य सरकार के खिलाफ याचिका देने के कारण ऐरालम फार्म के निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Director of Aralam Farm for filling petition against Government of Kerala . . .	128
2200	वन तथा घासयुक्त जमीनों को बनाये रखने हेतु कार्यवाही	Steps to conservation of forest and grassy lands	129

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2201	ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति	Achievement of objectives for crash programme for rural employment .	129
2202	मैरेक्स रोग के लिये टीकों का आयात न करने के परिणामस्वरूप चूजों की मृत्यु	Death of chicks due to non import of vaccine for marex diseases . .	130
	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी के बारे में	Re. Lock out in Indian Airlines . .	131
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	131
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .	133
	समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee . . .	133
	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on offices of profit	133
	नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matter under Rule 377 . .	134
	चीनी के राष्ट्रीयकरण संबंधी भार्गव आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	Action taken by Government on Bhargava Commission's Report on Sugar Nationalisation	134
	दीर्घाओं से फोटो खेने के बारे में	Re. Taking Photographs from the Galleries	135
	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Lockout in Indian Airlines	135
	श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	135
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. 'Annual Reports of University Grants Commission'. . .	138
	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	138
	श्री एन० श्री कान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	140
	प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena .	141
	श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	141
	श्री एम० एम० जोजफ	Shri M.M. Joseph . . .	142
	श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sundar Mohapatra .	143
	श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्	Shri S.D. Somasundaram .	144
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . . .	144
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . . .	145
	श्री रूद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh . .	145
	श्री धामनकर	Shri Dhamankar	146
	श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . . .	146
	प्रो० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . . .	147
	प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक	Press Council (Amendment) Bill	151
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	151
	श्री आई० के० गुजराल	Shri I.K. Gujral .	151

43 LSS/73—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	152
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	152
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	153
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	154
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	154
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh . . .	155
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	156
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan . . .	156
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	157
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi .	157
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil .	158
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	159
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion . . .	160
फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्ज ट्रावनकोर कोचीन डिवीजन में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts working in the Cochin Division of FACT	160
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	160
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan . .	162

लोक–सभा
LOK SABHA

सोमवार, 26 नवम्बर, 1973/5 अग्रहायण, 1895 (शक)
Monday, November 26, 1973/Agrahayana 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता और पारादीप पत्तनों से सीमेंट तथा अन्य सामग्री भेजना

०211. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कलकत्ता से गौहाटी वाले जहाज पूरी तरह से सामान से भरे हुए नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता और पारादीप पत्तनों से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को सीमेंट तथा अन्य सामग्री जहाज द्वारा भेजने की संभावना पर विचार किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) कलकत्ता से गोहाटी तक वाणिज्य माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कलकत्ता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नदी द्वारा सीमेंट ढोने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री पी० आर० शिनाय : कलकत्ता में बढ़ती हुई भारी भीड़ तथा फरक्का में परिवहन कठिनाइयों और बोंगाइगांव में लदाई सम्बन्धी कठिनाइयों तथा प्रत्येक स्थल पर माल-डिब्बों के उपलब्ध न होने की बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार कलकत्ता और पारादीप से गोहाटी के लिये सीमेंट जी० आई० पाईप्स तथा लोहे की चादरें और अन्य आवश्यक वस्तु की तुरन्त ढुलाई की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

Shri Kamla Pati Tripathi : It has been mentioned in the Statement that the matter is under consideration. The matter is being discussed with the Railways and is likely to be settled soon in view of removing the Congestion.

श्री पी० आर० शिनाय : मंत्री महोदय ने बताया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है । परन्तु समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट तथा लोहे की चादरों की बहुत कमी है जो भवन निर्माण के लिये बहुत ही आवश्यक है। सरकार आसाम में एक सीमेंट कारखाना लगाना चाहती थी । उसके लिये भी सीमेंट की आवश्यकता है और वह भी इस समय उपलब्ध नहीं है । इन बातों को ध्यान में रखते हुये क्या सीमेंट, लोहे की चादरें तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें जहाजों से तुरन्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भेजी जायेगी ? ये वस्तुयें जहाजों से केवल कलकत्ता से ही नहीं अपितु पारादीप से भी गोहाटी तथा यदि संभव हो तो अगरतला भेजी जा सकती हैं क्योंकि अब पूरे लदे हुये जहाज गोहाटी से कलकत्ता आ रहे है और जब ये कलकत्ता से गोहाटी जाते हैं तब पूर्णतया खाली होते हैं ।

Shri Kamla Pati Tripathi : Cargo is not adequately available there is a wide distinction between the rates of the ship and the goods train and it is therefore, there is no encouragement towards transportation from sea route. Efforts are being made to see that some sort of freight settlement is reached with the railways, so that shipment through sea route may be possible. I think such a settlement will be reached very soon. The matter is being discussed by both the Railway Ministry and Transport Ministry and the matter is expected to be decided very soon.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, transportation of goods to and from ports is a difficult problem . May I know whether the Hon. Minister is aware that a number of Wagons are blocked at Bombay and Calcutta ports since these are not being unloaded and consequently several difficulties are arising.

Mr. Speaker : The question is about Gauhati and you are asking about Bombay.

Shri Madhu Limaye : Sir, Brahamputra-Ganges river route was an important route for transportation in North-eastern India before the partition of the Country. May I know whether the Government are holding negotiations with the Government of Bangla Desh regarding the development of this route? If any discussion have already taken place the results thereof ?

Shri Kamla Pati Tripathi : There is a Central Inland Water Transport Corporation. This Corporation owns certain ships. We are making efforts to utilize these routes and remove congestion.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया है कि ढुलाई के लिये माल की कमी है । परन्तु जहां तक हमें पता है, देश में माल डिब्बों की बहुत कमी है और माल होने पर भी व्यापारियों को माल डिब्बे नहीं मिल पाते हैं । सरकार जहाजों के भाड़े को कम करने तथा जहाजों से कलकत्ता से गोहाटी माल ले जाने के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठा रही है ? कलकत्ता से गोहाटी तक स्टीमर से माल ले जाने में कितना समय लगता है ।

Shri Kamla Pati Tripathi : The distance between Calcutta and Gauhati is 1000 Kms. and it is 1500 Kms. by sea route. Dicussions between the Railway and Shipping department are going on to decide such freight charges so that the business Community is encouraged to take their cargo by steamers.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : कलकत्ता से गोहाटी पहुंचने में एक स्टीमर कितना समय लेता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरे विचार से यह मामला शीघ्र ही तय हो जायेगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि कलकत्ता से गोहाटी तक की सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था में भाड़े की दर में परिवर्तन के कारण विलम्ब नहीं हो रहा है अपितु पर्याप्त माल न होने के कारण विलम्ब हो रहा है । परिवहन सम्बन्धी इस कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान कब दिलाया गया तथा सरकार ने जहाजों तथा रेलों से सीमेंट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिये तुरन्त क्या कदम उठाये ?

Shri Kamla Pathi Tripathi : I have already said that Cargo is not adequately available for ships. Cargo is available from Calcutta to Gauhati but the position is not the same from Gauhati to Calcutta. The reason is that the railway freight is comparatively cheaper to steamers and it is therefore, we are trying to arrive at such freight rates so that both the routes may be utilized.

Shri Mohammad Ismail : The hon. Minister is new to this department, perhaps he may not be in a position to reply, I would like to know that a Navigation Company was set up to take jute etc. from Calcutta to Gauhati but the same has been disbanded and a Corporation has been set up and all the steamers of steam navigation Company are operating under this shipping Corporation. May I know whether the arrangements for transporting all such goods from Calcutta to Gauhati can be made ?

Shri Kamla Pati Tripathi : I have already said that the Central Inland Water Transport Corporation has taken over the Company and there are adequate facilities available with the Corporation. We are making efforts to see that the Water route is also used and if there is any loss of freight that is compensated so that the cargo may be delivered soon.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का नया रजिस्ट्रेशन

०212. **श्री ईश्वर चौधरी:**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव:

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को मकान देने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बहुत समय से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नया रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Ishwar Chaudhry : Sir, the last part of my question that, 'by what time new registration will start; has not been replied to.

Mr. Speaker : He says that the registration has not been closed.

Shri Ishwar Chaudhry : Sir, it has been published in a newspaper that the new registration will start in December. Is it correct and if so, since when it will be effective ?

Shri Bhola Paswan Shastri : Which is that paper ? That is not available with me.

Mr. Speaker : The hon. Member should produce that this does not arise out of the main question.

Shri Ishwar Chaudhry : Sir, D.D.A. has formulated a scheme for the common men to allot built houses in Malviya Nagar. Some of the people have deposited money for this purpose. But now it is being proposed that the houses will be allotted to those who will deposit Rs. 65,000. Will it not be an encouragement to the rich ?

Shri Bhola Paswan Shastri : A house worth Rs. 65,000 will be sold at the cost of Rs. 65,000. How it can be sold at a lower cost ?

Shri Ishwar Chaudhry : What I mean to say is that instead of the payment in instalments D.D.A propose to dispose of these houses on Cash terms.

Shri Bhola Paswan Shastri : There is a scheme for common people also.

Mr. Speaker : This does not arise out of that.

Shri S. M. Banerjee : May I know the number of pending applications which have already been registered and whether it is a fact that the middle and the lower middle class have deposited a pretty good amount for the purpose, if so the number of the houses to be built for the allotment to those whose applications are already registered ?

Shri Bhola Paswan Shastri : About 7,000 Houses have been allotted so far and 23,000 applications are pending. Some of the applications get their registration cancelled. The position as it stands now is that there are 23,000 pending applications and it is expected that allottment of 10,000 houses will be made by March. As regards the rest the houses will be allotted as soon as these are constructed. This process will continue.

Shri S. M. Banerjee : Is there any more to stop the further construction ?

Shri Bhola Paswan Shastri : No, sir, this is a continuing process.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker Sir, May I know whether you have allowed this photography ? Is it proper ?

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति से नहीं हो रही है ।

श्री पी० जी० मावलंकर: फोटो खींचने की अनुमति किस प्रकार दी जा सकती है । यह बिल्कुल अनुचित है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से फोटो खींचने वाला कोई विदेशी है जिसे यहां के नियमों का पता नहीं है । मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा कि उसे किस प्रकार अनुमति दी गयी । सदन से, अध्यक्ष से अथवा महासचिव से इस सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं मांगी गई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : How did he enter with Camera ?

श्री एस० एम० बनर्जी: वह किसी मित्र देश के निवासी हैं। उन्हें नम्रता पूर्वक यहां के नियम बताये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही करने अथवा न करने का प्रश्न नहीं है । हम सभी विदेशी संभ्रात व्यक्तियों तथा पर्यटकों को पूरा सम्मान देते है । उन्हें भी हमें सूचित करने तथा हमसे अनुमति लेने की शिष्टता दिखानी चाहिये । हममें अभी तक सदन के अन्दर फोटो खींचने की कभी अनुमति नहीं दी है ।

श्री जगन्नाथ राव : हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विज्ञापन के अनुसार 2 प्रतिशत फ्लैट संसद सदस्यों को आबंटित करने के लिये आरक्षित रखे गये हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संसद सदस्यों ने एक सहकारी समिति बना ली है–अधिकांश संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं और उन्हें कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है.....

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): समिति को भूमि आबंटित कर दी गई है ।

श्री जगन्नाथ राव: क्या इस 2 प्रतिशत की सीमा को 5 प्रतिशत किया जायेगा ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: यह कार्यकर्ता के लिये अनुरोध है । सरकार इस पर ध्यान देगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether he has received any complaint regarding the Sub standard material, used in view of the cost prescribed for these houses ? There are the complaints regarding Cement, timber etc. used in these houses. May I know whether an inquiry will be made in this regard ? The middle class people are not getting materials worth to their payments.

Shri Bhola Paswan Shastri : This is a question of a general nature. Complaints are looked into. If the hon. Member refers any particular case that will definitely be looked into by the Government.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have written a letter but no reply has been received in this regard.

Shri Bhola Paswan Shastri : Your letter will be replied.

Shri A. K. M. Ishaque : There is a scheme for middle income group but the cost for the houses is 20, 40, 50,000. It has been brought to my notice that the houses are proposed to be allotted at payment either full or at least half of the cost prescribed. People in low income group are not able to pay this much amount in lump sum. May I know whether there is any scheme to allot houses on instalment basis for this group ?

Shri Bhola Paswan Shastri : Scheme is already there. We are going to construct houses for this group.

Mr. Speaker : It is very difficult for me. Neither the hon. Member nor the Minister listen to me. The question is whether the registration has been closed, if so, the reasons therefor ? The hon. Minister has said that the registration has not been closed. No other question arise after this. Now new questions are being asked. When the Minister replies naturally fresh questions will be asked out of the replies. All this will not cast a good impression of our functioning.

[प्रश्न संख्या 213. श्री एच० एम० पटेल, अनुपस्थित।]

श्री नवल किशोर शर्मा, अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्या 214. इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं सदन में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि यह सदस्य प्रश्न पूछने के लिये नहीं आये है यह प्रश्न गलती से क्रम संख्या के अनुसार आ गया है। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध नीति सम्बन्धी मोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रौफेसरों तथा संकायों के बारे में आन्तरिक शिकायतों के सम्बन्ध में नहीं पूछ सकते । ये मामले कुलपतियों तथा उपकुलपतियों से सम्बन्धित हैं । मुझे खेद है कि यह प्रश्न कार्य सूची में आ गया है. . .

एक माननीय सदस्य : गलती से ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 215 श्री बी० एन० रेड्डी —अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्या 216—श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा—अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्या 217—श्री वीरभद्र सिंह ।

पुरातत्व क्षेत्र में भारत-अफगानिस्तान समझौता

*217. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व क्षेत्र में भारत-अफ़गानिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां । अफगानिस्तान की गणतंत्र सरकार और भारत सरकार के बीच 24 अक्तूबर, 1973 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) करार का उद्देश्य छात्रों तथा अध्येताओं की पुरात्तव की वैज्ञानिक पद्धतियों में प्रशिक्षण देने के लिये अफगानिस्तान की सरकार के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरु करना है । करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

(1) भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण पांच वर्ष की अवधि के लिये बेग्राम में खुदाई और फराह क्षेत्र (अफगानिस्तान) में खोज का कार्य कर सकता है ।

(2) भारत सरकार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय में तीन अफगान अध्येताओं को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था करनी होगी और अफगानिस्तान में भारतीय दल द्वारा खुदाई किये जाने वाले स्थलों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का कुछ भाग मुहैया करना होगा।

(3) सभी खोदी गई वस्तुएं अफगानिस्तान सरकार की सम्पत्ति होंगी तथापि, उनमें से कुछ को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अस्थाई रूप से भारत में निर्यात करने की अनुमति होगी । फिर भी, अद्वितीय किस्म की वस्तुओं की प्रतियां तथा अनुकृत्तियां भारत सरकार द्वारा ली जा सकती है ।

(4) बलख के प्रसिद्ध स्मारक की मरम्मत का कार्य भारत की ओर से होगा ।

(5) भारतीय दल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा निष्कर्षों के बारे में पश्तों/दारी और अंग्रेजी दो भाषाओं में एक प्रकाशन निकालेगा और प्रत्येक प्रकाशन की 50 प्रतिलिपियां अफगान पक्ष को दी जाएंगी ।

श्री वीर भद्र सिंह : क्या पुरात्तव के क्षेत्र में अफगानिस्तान सरकार के साथ और आगे सहयोग का कोई अन्य प्रस्ताव है ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : मैं समझ नहीं सका की माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं।

श्री वीर भद्र सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुरात्तव के क्षेत्र में अफ्गानिस्तान सरकार के साथ सहयोग के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ?

प्रो० ए स० नूरूल हसन : हाल ही में एक समझौता किया गया है। हम इस समझौते के अनुसार काम करना चाहेंगे और कुछ समय के पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो दोनों सरकारें आगे विस्तार के प्रश्न पर बातचीत कर सकती हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या अफगानिस्तान सरकार के साथ जो समझौता किया गया है वह पहले इसी प्रकार किये गये कुछ समझौतों के आधार पर है अथवा इस प्रकार का समझौता करने का यह पहला अवसर है । यदि यह समझौता पिछले अनुभव के आधार पर है तो उन समझौतों के अन्तर्गत क्या मुख्य पहलू आते थे ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : इस समय यह मुझे याद नहीं परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे विचार से हमने इससे पहले इस प्रकार का कोई समझौता किसी अन्य देश के साथ नहीं किया । इस प्रकार का समझौता करने का यह पहला अवसर है । इससे पहले पुरातत्व के क्षेत्र में हमने तदर्थ आधार पर कार्य किया है, उदाहरणतया अम्वान बांध क्षेत्र में अथवा अफगानिस्तान में भद्दा की मरम्मत का कार्य। परन्तु मेरे विचार से इस प्रकार का समझौता हमने पहले नहीं किया ।

श्री पी० वेंटकसुब्बया : समझौते की शर्तों के अनुसार खुदाई में मिलने वाले पुरावशेष तथा अधिक महत्व की वस्तुएं अफगानिस्तान में ही रखी जायेंगी । तथापि, उनमें से कुछ को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अस्थायी आधार पर भारत में निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी । तथापि, अद्वितीय वस्तुओं की प्रतिलिपियां और सांचे भारत सरकार द्वारा लिये जा सकते हैं । यह समझौते की एक शर्त है ।

क्या माननीय मंत्री से मैं यह जान सकता हूं कि चूंकि अफगानिस्तान जिसे मूलतः 'गन्धर्व' कहा जाता था, के अनेक सदियों से हमारे देश के साथ सांस्कृतिक संबंध थे, क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान और भारत द्वारा संयुक्त रूप से एक संग्रहालय स्थापित करने का है । अफगानिस्तान में मिलने वाली वस्तुएं भारतीय इतिहास के लिये भी अत्याधिक मूल्यवान हैं । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार समझौता अथवा समझौते में इस प्रकार का संशोधन किया जायेगा ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : It has been stated in the written statement of the hon. Minister that excavation work would be undertaken and there is a big statue at Balakh, perhaps it refers to a statue of Budha. It refers to repair work at a monument at Balakh. I want to know as to how much amount Government propose to spend on these works ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : विस्तृत प्राक्कलन हमारे दल के वहां पर जाने पर तैयार किये जायेंगे और इसके अनुसार व्यय के अनुमान तैयार किये जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye : How much amount is proposed to be spent on Archaeology ?

Prof. S. Nurul Hasan : In this way we would be required to give details without any basis. We had prepared a rough estimate in respect of certain works, but unless detailed estimates are worked out by a team after a visit there. It would not be proper to give any figures to the House.

Shri Madhu Limaye : Please give rough estimates.

Prof. S. Nurul Hasan: It will be a speculation.

Mr. Speaker : You may put this question at some other time.

प्रो० एस० नूरूल हसन : ज्योंहि अनुमान तैयार किये जायेंगे मैं उक्त जानकारी सभा-पटल पर रखूंगा ।

श्री पी० आर० शिनॉय : भारत ने इस समझौते के अन्तर्गत अफगानिस्तान में अब तक कितना खुदाई कार्य किया है और उसमें क्या प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : जानकारी समझौते पर हस्ताक्षर तथा उसकी मुख्य बातों के संबंध में मांगी गई थी । यदि आप अब तक के कार्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में मंत्री से पूछते, तब वह सदन में तैयारी के साथ आते । यदि वे उत्तर देने की स्थिति में हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा ।

श्री पी० आर० शिनाय : समझौते पर बहुत समय पूर्व हस्ताक्षर हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो बहुत समय पूर्व नहीं भेजा गया था अतः इसे उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये था । यह प्रश्न तो हाल ही में उत्पन्न हुआ है ।

प्रो० एस० नूरूल हसन: 24 अक्तूबर, 1973 से बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से प्रश्न का उत्तर उसी दिन दिया गया था । मुझे इसका बहुत दुख है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether that Government would also spend some amount on repairs of cemetries etc. as it is proposed to spend some amount on repairs of Budha statue ?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तारांकित प्रश्न संख्या 218 से 220---अनुपस्थित

मेरे विचार से हमें अब कार्यवाही की अगली मद पर विचार करना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि श्री नायर उपस्थित हैं । मैं दोहरा रहा हूं । इस समय अनेक माननीय सदस्य वापस आ चुके होंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 210 से 206---अनुपस्थित ।

केरल में ताड़ तेल बागान के लिए सहायक कम्पनी

*207. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**
श्री सी० जनार्दन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में केन्द्रीय सहायता के साथ ताड़ तेल बागान के लिये सहायक कम्पनी बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रस्ताव के अध्ययन के लिये कोई समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने अपने एक प्रतिष्ठान उद्यान निगम लि० के ज़रिए क्विलन ज़िले के येरोट सुरिक्षत वन में ताड़ तेल बागान विकास का कार्य अपने हाथ में ले लिया है । कुछ समय पहले राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया कि इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में माना जाए । योजना आयोग में की गई अन्तर-विभागीय बैठक में इसकी जांच की गई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि केरल उद्यान निगम के साथ केरल के ताड़ तेल बाग़ान को रहने दिया जाए परन्तु

केन्द्र बागान के आगामी विकास के लिए अपेक्षित सहायता दे सकता है। तदनुसार योजना आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि कृषि मंत्रालय को केरल सरकार के साथ निगम की साम्य पूंजी में केन्द्रीय सरकार के योगदान के रूप में यह सहायता देने अथवा निगम के अधीन पृथक गौण निगम बनाने की संभावना का पता लगाना चाहिए। राज्य सरकार के साथ कुछ और विचार-विमर्श किया गया है और इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: केन्द्रीय सरकार का इस बारे में राज्य सरकारों को क्या सहायता देने का विचार है? क्या ये सहायता साम्य पूंजी में साझेदारी के रूप में होगी अथवा सहायक कम्पनी की स्थापना के रूप में?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह ठीक है कि हमारा सुझाव सहायक कम्पनी की स्थापना का था परंतु विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार के समय इन सभी बातों पर विस्तार से विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को एक करोड़ रुपये की सहायता देना चाहेगी और योजना में इसकी व्यवस्था की गई है। सहायक कम्पनी अथवा साम्य पूंजी में भागीदारी के दोनों प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: कितने समय से यह मामला विचाराधीन है और सरकार को निर्णय लेने में और कितना समय लगेगा?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जहां तक कार्यक्रम का संबंध है इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और इसकी प्रगति रोकी नहीं गयी है, यद्यपि केरल सरकार के सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं। परंतु हम केरल सरकार से मामला तय करेंगे और इस बात को देखेंगे कि कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

Shri Madhu Limaye: Hon. Minister is talking of making investment in a Company. I want to know the details about the targets about production of oil and its consumption.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: ताड़ तेल का उपयोग मुख्यता औद्योगिक तेल के रूप में किया जाता है और इसे मुख्यता साबुन के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाता है। हम अपने देश में ताड़ बागान बनाने के प्रयास कर रहे हैं और हमें पता चला है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के कुछ भाग ताड़ तेल बागान के विकास के लिये बहुत उपयुक्त हैं और हमारे देश में मूंगफली अथवा अन्य तिलहनों की अपेक्षा ताड़ तेल बागानों से तेल का उत्पादन अधिकतम होता है।

श्री वरके जार्ज: इस बात को देखते हुए कि केरल बागान निगम ने ताड़ तेल बागान का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया है। क्या सरकार एक नये निगम की स्थापना करने के स्थान पर उन्हें राज सहायता देगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैंने बताया है कि हम उनकी सहायता करना चाहेंगे क्योंकि राज्य निगम ने यह कार्य पहिले ही प्रारंभ कर दिया है और गत दो वर्षों से उन्होंने इस कार्यक्रम को वस्तुतः कार्यान्वित कर रखा है परंतु इस कार्यक्रम को आगे चलाना है। इस बारे में बीजों की भी कुछ कठिनाई आई है और हमें अन्य देशों से बीजों का आयात करना है। परंतु यह राज्य का कार्यक्रम है, अतः मैं नहीं समझता कि राजसहायता देने से आवश्यकता पूरी होगी। हमारा विचार है कि साम्य पूंजी में भागीदार बना जाये अथवा राज्य सरकार को ऋण दिया जाये अथवा राज्य सरकार को किसी अन्य रूप में धनराशी उपलब्ध की जाये।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ताड़ तेल बागान के लिये आवश्यकता अनुसार विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं की जा रही। यदि हां, तो क्या सरकार अधिक विलम्ब न करके और इस निगम द्वारा मांगी गई विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं नहीं समझता कि विदेशी मुद्रा की उपलब्धता कोई समस्या है परन्तु फिर भी मैं इस बारे में जांच करूंगा। यदि इस बारे में केरल राज्य निगम का कोई अनुरोध लम्बित है तो हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाये क्योंकि यह देश की तेल अर्थव्यवस्था के विकास कार्यक्रम का एक स्वीकृत अंग है।

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ : देश में खाद्य तेलों की अत्यन्त कमी को देखते हुए क्या इस तेल को खाने योग्य बनाने की संभावना की खोज के लिये अनुसन्धान प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में वनस्पति उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पिछले वर्ष जब मूल्य बहुत कम थे तो हमने विदेशों से तेल की कुछ मात्रा आयात करने के प्रयास किये। इसे खाने योग्य बनाने में कोई कठिनाइ नहीं है क्योंकि इसकी प्रक्रिया सर्वज्ञात है। इसके लिये अनुसन्धान की आवश्यकता नहीं। यह प्रक्रिया पूर्णतया सिद्ध है।

श्री एस० एम० बनर्जी : केरल के अनुभव को देखते हुए क्या पश्चिम बंगाल से भी इसी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश के कुछ विशेष प्रदेश ही, भूमध्य रेखा से 15 अक्षांस उत्तर की ओर तक, इसके लिये उपयुक्त हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल इस क्षेत्र में नहीं आता परंतु अन्दमान और निकोबार इस क्षेत्र में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं था कि क्या यह तेल खाने योग्य है अथवा नहीं। यह सहायक कम्पनी की स्थापना के बारे में था। कम्पनी का गठन हो अथवा नहीं तेल पर चर्चा की जा रही है। यदि ये प्रश्न प्रत्यक्षतः सम्बद्ध नहीं हैं तो भी किसी सीमा तक तो ये संगत होने चाहियें।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमारी गलती सुधारना आप का काम है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री एच० एम० पटेल प्रश्न 213 पूछने के लिये मुझे प्राधिकृत करना चाहते थे। परंतु दुर्भाग्य से मैं उन्हें मिल नहीं सका।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने कहा था कि यदि प्रोफेसर अनुपस्थित हैं तो मुझे उपस्थित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है। परंतु कार्यसूची में भी इस बारे में कोई संकेत होना चाहिये। यदि मुझे वह सूचित कर दिया जाता तो मैं सहर्ष अनुमति दे देता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया स्थित जहाज निर्माण यार्ड सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप की सिफारिश

*201. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों के एक कार्यकारी ग्रुप ने हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों सहित कई क्षेत्रों से अपने-अपने राज्यों में शिपयार्डों की स्थापना करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः एक तकनीकी आर्थिक कार्य दल की स्थापना की गई है, जो शिपयार्डों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों का तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करे और यह भी बताये कि अनुशंसित निर्माण स्थलों में किस प्रकार तथा आकार के पोतों का लाभ के साथ निर्माण किया जा सकता है। तकनीकी-आर्थिक दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अंतिम निर्णय किया जायेगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं की स्थापना

*202. **श्री प्रभातभाई मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागों में नरोत्पादनशील जीव विज्ञान के मूलभूत तथा व्यावहारिक पहलुओं पर लगभग 60 अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस क्षेत्र में 60 से भी अधिक अनुसंधान परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रजनन जीव विज्ञान के मूलभूत और व्यावहारिक पहलुओं की अनुसंधान परियोजनाओं को चालू करने के कारण और अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं

बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में विश्वव्यापी चिन्ता को देखते हुए और खासकर विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण गर्भनिरोधक तरीकों में सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। गर्भनिरोधक तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने प्रजनन जीव विज्ञान के मूलभूत तथा व्यावहारिक पहलुओं पर अनुसंधान

के लिए अपने प्रयासों को तीव्र करने का निर्णय किया है। इन अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करना इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गर्भनिरोधक तकनीक में सुधार करना और वर्तमान तरीकों से पड़ने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

योजना के अन्तर्गत बनाई गई इन परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) नवीनतर गर्भनिरोधक उपकरणों का क्लिनिकल परीक्षण तथा व्यवहारगत जांच-पड़ताल।

(2) गर्भपात के दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव।

(3) पांच वर्ष की अवधि से अधिक तक गर्भाशयी गर्भनिरोधक (लूप) के प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाले दीर्घकालिक प्रभाव।

(4) अध्यंड का क्रिया-विज्ञान (फिजिओलोजी आफ एपिडिडिमिस) (शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया और परिपक्वन)।

(5) गर्भाधारण में शुक्राणु संबंधी प्रकिन्व (ऐन्जाइम) के प्रभाव।

(6) जननक्षमता-रोध के प्रति प्रतिरक्षणात्मक दृष्टिकोण।

(7) गर्भनिरोधकों के रूप में स्टेरांइड हारमोनों के प्रयोग में कोशिकात्मक संबंधी परिवर्तन।

(8) अस्थायी/प्रतिवर्ती नसबंदी आपरेशन का विकास।

Shortage of Equipment and medicines used in Special Surgery in Willingdon Hospital, New Delhi

*203. **Shri Mahadeepak Singh Shankya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of equipments and medicines used in special surgery in the Willingdon Hospital, New Delhi and the Surgeons and patients have to face considerable difficulties as a result thereof; and

(b) if so, the efforts being made by Government to meet the shortage ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) Adequate arrangements are made to meet requirements.

(b) Does not arise.

Crop Insurance Scheme for Selected Crops

*204. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4474 on the 27th August, 1973 regarding the crop insurance on pattern of Japan and Sri Lanka and state :

(a) whether pilot scheme of Crop Insurance in selected areas for selected crops has since been introduced at any place; and

(b) if so, the main features thereof and the places where this has been introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The only pilot Crop Insurance Scheme in operation in the country is in Baroda district in Gujarat in respect of H-4 Cotton. At present the scheme covers a total area of 926 acres. The Government of India and the General Insurance Corporation have taken up with the State Governments the question of introducing mere pilot schemes for selected crops. The possibility of taking up two pilot schemes, one for MCU-5 Cotton proposed for summer 1974, and the other for MCU-5 and Sujata Cotton proposed for next kharif, both in Coimbatore district of Tamil Nadu, is being examined by the General Insurance Corporation. Efforts are continuing for formulating such pilot schemes in other States also.

बरायणा (दिल्ली) में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न दिये जाने में अनियमितताएं

*205. **श्री भोला मांझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नरायणा (दिल्ली) स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के बारे में में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन गोदामों के आफीसर-इन-चार्ज सर्किल संख्या 8, 10, 11, 12 और 15 की उचित दर दुकानों के मालिकों से विभिन्न खातों से अतिरिक्त राशि वसूल करता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से शिकायतों के हक में कोई सबूत नहीं मिला है।

एकल राजीय बाजरा जोन समाप्त करने के लिए हरियाणा द्वारा अनुरोध

*206. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र से एकल राजीय बाजरा जोन समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार का वर्तमान निर्णय मोटे खाद्यान्नों के अन्तर-राज्यीय संचलन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने का है। तथापि, हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी सहायता से जहाज निर्माण

*208. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो देशों ने भारत में जहाज निर्माण करने में सहायता देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस विदेशी सहायता से जहाज निर्माण के लिए यार्ड बनाने के लिए स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) से (ग) सितम्बर, 1972 में कुछ यूरोपीय देशों में नौवहन और परिवहन मंत्री के दौरे के दौरान यू० के० की दो और पश्चिम जर्मनी की तीन जहाज निर्माता फर्मों ने भारत में शिपयार्डों की स्थापना में दिलचस्पी दिखाई। अगस्त-सितम्बर, 1973 में इन देशों का परिवहन-सचिव की अध्यक्षता में दौरा करने वाले दल की प्रतिक्रिया स्वरूप युगोस्लाविया, नार्वे, फ्रांस और यू० के० तथा पश्चिम जर्मनी ने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की है।

शिपयार्डों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थानों और अनुशंसित स्थानों पर लाभपूर्ण ढंग से बनाए जा सकने वाले प्रकारों और आकारों के बारे में बताने हेतु दोनों तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिये एक तकनीकी-आर्थिक कार्यदल नियुक्त किया गया है। इस दल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अन्तिम फैसला किया जाएगा।

Ban on Export of Hide for the manufacture of manure

*210. **Shri Hemendra Singh Banera** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to stop the export of bones for encouraging its use in manufacturing manure in the country for raising production of foodgrains in the country;

(b) if so, the broad outlines of the scheme; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

(c) At present, exports of skeletons and uncrushed bones are restricted and can be allowed only in exceptional cases, subject to the approval of the Ministry of Commerce and Ministry of Agriculture. The export is allowed only of crushed bones and bone grist but not of bonemeal. Under the Export (Control) Amendment order issued in April, 1973 by the Ministry of Commerce, export of all types of fertilisers has been banned. Bonemeal has been defined as a fertiliser under the Fertilizer (Control) Order 1957, and therefore its export outside the country is banned.

Bonemeal is a phosphatic fertiliser containing 20-22 per cent of P_2O_5. Bonemeal as a fertiliser has not gained much popularity because of its high cost per unit of nutrient compared with that of other phosphatic fertilisers, slower availability of the citrate soluble P_2O_5 contained in it and the sentiments of the farmers. Bonemeal manufacturers have been finding difficulty in marketing the bonemeal produced by them. Since the entire quantity of bones available in the country cannot be utilised for the production of bonemeal in view of the difficulties in its domestic consumption, no restrictions have been placed on the export of crushed bones and bone grist.

गेहूं के आयात में कटौती

*213. **श्री एच० एम० पटेल:**

श्री नवल किशोर शर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व-बाजार में खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इसके फलस्वरूप सरकार ने गेहूं के आयात में कटौती करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किस हद तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) प्राक्कलित मात्रा आयात करने के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तथापि, चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, उपलब्धता आदि को ध्यान में रखने के बाद वास्तविक खरीदारी की जाती है ताकि देश को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।

राज्यों को आबंटित खाद्यान्न तथा प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न की दुकानें

*215. **श्री वी० एन० रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया; और

(ख) प्रत्येक राज्य में लोगों को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए कितनी खाद्यान्न-दुकानें खोली गई हैं और प्रति किलो चावल की कितनी कीमत नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं, जिनमें पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा और देश में कार्य कर रही उचित मूल्य/राशन की दुकानों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5801/73]**

उचित मूल्य/राशन की दुकानों से दिए जा रहे चावल के मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये मूल्य न केवल प्रत्येक राज्य में बल्कि राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थान में भी भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों से अनाज की किस्म पर निर्भर करते हुए 1.07 से 2.07 रु० प्रति किलो के बीच के मूल्य-रेंज का पता चलता है।

प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की कमी

*216. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण के लिए अधिक केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):(क) भारतीय फामसी परिषद् के अनुमानों के अनुसार देश में प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की कमी है।

(ख) तथा (ग) फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण का आम पैरा मेडिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ जुड़ा हुआ है जिसको जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए समेकित अनुदान दिये जा रहे हैं। पालिटेकनिक्स में नानाविधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए जिन में फार्मेसी भी शामिल है, राज्य सरकारें अपनी-अपनी योजनाओं में व्यवस्था कर रही हैं।

कलकत्ता और शिलिगुड़ी के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 की जीर्णावस्था

*218. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता और सिलिगुड़ी के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 के, जो कि कलकत्ता बन्दरगाह के साथ आसाम और उत्तर बंगाल के बीच एक मुख्य सड़क संबंध है, लम्बे टुकड़ों की जीर्णवस्था की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पिछले आधे दशक में 1967 और 1972-73 के बीच गंगा नदी पर फरक्का पुल तथा अन्य नदी पुलों के चालू हो जाने के उपरांत इस राष्ट्रीय राजपथ के रास्ते भारी ट्रकों पर ढोये जाने वाले माल यातायात और यात्री यातायात में पहले की अवधियों की तुलना में वृद्धि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथ के आर्थिक एवं सामरिक महत्व को देखते हुए इसे चौड़ा करने और इस की सड़क क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 कलकत्ता से शुरू होकर दलखोला (445 किलो मीटर) में समाप्त हो जाता है और जहां यह सिलीगुड़ी को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से मिल जाता है। कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक का कुल फासला 575 किलो मीटर है। पिछली बरसात के दौरान भारी वर्षा के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 50 किलोमीटर लम्बे टुकड़े को कुछ क्षति पहुंचने के बारे में सूचना मिली है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा यथावश्यकता आपातिक अस्थायी मरम्मत कार्य किये जाते हैं ।

पटरी के चौड़ा करने और सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के सुधार के लिए चतुर्थ योजना अवधि के दौरान 827 लाख रुपये के अनुमानों की स्वीकृति की गई है और कार्य प्रगति में है। पिछली वर्षा ऋतु के कारण कुछ भागों के संबंध में पटरी को मजबूत बनाने की आवश्यकता के प्रश्न की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पहले ही दो गली की सुविधा प्राप्त है।

दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों की यातायात गणना की गई है। फरक्का में गंगा के ऊपर पुल चालू करने से पहले दलखोला—सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या 450-650 थी और अब यह लगभग 1000 हो गई है। रायगंज के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर पुल के चालू करने से पहले गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन 450-750 थी और अब यह 1000 हो गई है। जगुली के नज़दीक पुल के चालू करने से पहले प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या 450-750 थी और अब यह 1500 हो गई है। बढ़ती हुई यातायात की व्यवस्था करने के लिये पटरी के चौड़ा तथा मजबूत बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के सुधार का काम पहले ही से शुरू किया जा चुका है।

Working of Sub-soil Water Department in Madhya Pradesh

*219. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Sub-soil Water Department is doing work in Madhya Pradesh also at Central level and whether this Department has found out places where water is available; and

(b) if so, the locations of such places especially, in Hoshangabad and Eastern Nimar Districts (Madhya Pradesh) ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir. The Central Ground Water Board is carrying out a systematic geohydrological surveys and exploration for groundwater in Madhya Pradesh.

(b) As a result of these investigations, the parts of the alluvial area of Hoshangabad, Narsinghpur, Jabalpur, Raisen and Nimar districts, in the Narmada basin, of Bhind, Morena and Gwalior districts, in the Chambal basin, of Raipur and Durg districts in Mahanadi basin have been found groundwater worthy.

In the alluvial parts of Narmada basin in Hoshangabad District, the following areas have been found groundwater worthy :

1. Padghal area (110 sq. kms.)
2. Powerkhede-Ari-Babai area (650 sq. kms.)
3. Samarkhera-Gadawara area.

In Eastern Nimar district, the following areas around Khargone and Khandwa have found groundwater worthy :

1. Khandwa—Asapur,
2. Khaknar—Dhertalai,
3. Burhanpur—Dolphoria,
4. Sannawad—Harsud.

चावल व्यापार के सरकारीकरण के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*220. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल व्यापार के सरकारीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय तथा कमियों को पूरा करने के लिये केन्द्र ने राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन राज्यों को जिन्होंने अभी इस व्यापार को अपने हाथ मे नहीं लिया है, चावल व्यापार का सरकारीकरण करने के लिये निदेश देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) हालांकि कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तो भी देय वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, और राज्य सरकारों को दी जाने वाली संगठनात्मक सहायता, संबंधित राज्यों के अन्दर चावल की अधिप्राप्ति करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच हुई व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करेगी ।

(ख) और (ग) क्योंकि चावल का थोक व्यापार लेने की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए न केवल कार्यचालन सम्बन्धी ब्यौरों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के पूर्ण योगदान और सहयोग की भी आवश्यकता थी, इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं से कई एक बार विचार विमर्श किया। इन बैठकों में इस योजना में आने वाली कई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। बफर स्टाक और अपेक्षित प्रबंध न होने के कारण आगामी खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने से संबंधित नीति का पुनर्निधारण करने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त वार्ता को ध्यान में रखते हुए और चावल की अधिप्राप्ति में पर्याप्त तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए, उचित यही समझा गया कि यह बात राज्यों पर छोड़ दी जाए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की कोई भी प्रणाली अपना लें । तथापि, मोटे तौर पर राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि वे या तो उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाने अथवा मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली को अथवा दोनों प्रणालियों को अपनाएं और भारी संख्या में हुलरों को भी अपने नियंत्रण और देख-रेख में लाएं। जो राज्य सरकारें 1973–74 के खरीफ के मौसम से चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की इच्छुक थीं उनको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, असम सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है।

विकलांगों को सहायता

2003. **श्री कुशोक बाकुला:** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकलांगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और केंद्रीय सरकार द्वारा उनको स्वीनियोजन के लिए किस प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) कोई राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बढ़ते हुए सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की संहिता

2004. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ते हुए सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश में नगर-पालिका निकायों के ढांचे में परिवर्तन हेतु राज्यों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त संहिता बनाने का है; और

(ख) यदि हां , तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचारधीन नहीं है । नगरपालिका प्रशासन राज्य सरकार का विषय है तथा राज्यों सरकारों के पास तत्सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में अनन्य शक्तियां हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राइमरी अध्यापकों की सूची पर पुनर्विचार

2005. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी अध्यापकों के अस्थायी पदों के 15 प्रतिशत पदों के सेलेक्शन ग्रेड के बारे में 20 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 सितम्बर, 1971 के बाद से सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राइमरी अध्यापकों (पुरुष तथा महिला दोनों) की सूचियों पर पुनर्विचार करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या 5 सितम्बर, 1971 के बाद सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राइमरी अध्यापकों की पुन-रीक्षित सूची में 5 सितम्बर, 1972 अथवा 5 सितम्बर, 1973 की अवधि को लिया जायेगा ; और

(ग) यदि उक्त सूचियों पर पुनर्विचार अभी आरंभ नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और 5 सितम्बर, 1972 और 5 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राइमरी अध्यापकों की सूचियों पर किस तारीख तक पुनर्विचार हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, स्थिति निम्न प्रकार है :–

(क) निगम के अन्तर्गत प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाध्यापिकाओं की सूचियों का 31 दिसम्बर, 1972 तक पुनरीक्षण किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि तक प्राथमिक स्कूलों के प्रमुखों को सेलेक्शन ग्रेड दे दिए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के संबंध में 5-9-1971 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए सेलेक्शन ग्रेड दे दिए गए हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 के पश्चात् सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र प्राथमिक स्कूलों के प्रमुखों की सूचियों का 5 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि तक का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार सहायक अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के संबंध में भी 6-9-71 से 4 सितम्बर, 1973 तक सेलेक्शन ग्रेडों की स्वीकृति के] लिए सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग पहले ही इन सूचियों का पुनरीक्षण कर रहा है। वर्तमान समय-सारणी के अनुसार आशा की जाती है कि सभी पात्र अध्यापकों को सेलक्शन ग्रेडों का लाभ 31 दिसम्बर, 1973 तक दे दिया जायेगा।

Modern Dairies Colony in Delhi and Expenditure thereon

2006. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Ministry of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration are formulating a scheme for the construction of a colony of modern dairies in the capital; and

(b) if so, the number thereof and the estimated expenditure to be incurred thereon and the time after which people are likely to get the facility of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Administration has a scheme to establish one dairy colony in Delhi. The Planning Commission has approved a provision of Rs. 10 lakhs for this purpose during the Fifth Five Year Plan. The Delhi Administration proposes to establish this Dairy colony during the first year of the Fifth Plan i.e. 1974-75 where-after it is expected that the milk will become available from it.

खेलकूद योग्यता छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थी

2007. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय-वार कितने पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को खेलकूद योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) क्या इस योजना के कारण उक्त विद्यार्थियों के खेल में बेहतरी के कोई संकेत मिले हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 5802/73]।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, विश्वविद्यालयों के उन बहुत से खिलाड़ियों को जिन्हें खेलकूद प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्राप्त हो रही थीं विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय दलों में चुने जाने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी सम्मान प्राप्त किया है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इन छात्रवृत्तियों का प्रदान किया जाना, छात्रवृत्ति प्राप्त कर्त्ताओं के लिए अपने-अपने खेलों में बेहतर कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन का एक साधन है।

'राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रम' योजना में प्रगति

2008. **श्री के. कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'राष्ट्रीय खेल कूद संगठन कार्यक्रम' योजना में, 1969 में जबकि इसे आरंभ किया गया था, लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) विश्वविद्यालय-वार अब तक कितनी व्यायाम शालायें, तैरने के तालाब तथा बहुप्रयोजनीय स्टेडियम बनाये गये हैं।

(ग) विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो गई है ; और

(घ) अब तक दी गई सहायता के कोई परिणाम किसी प्रकार सामने आये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क)(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वर्ष 1972–73 तक कुल 55,19,128 रुपए के अनुदान अनुमोदित और संस्वीकृत किए हैं :–

1. 33 विश्वविद्यालयों में व्यायामशालाओं का निर्माण।
2. 85 कालेजों में व्यायामशालाओं का निर्माण।
3. 36 विश्वविद्यालयों में क्रीड़ास्थलों का निर्माण ; और
4. 314 कालेजों में क्रीड़ास्थलों का निर्माण।

(ii) अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड ने निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया :

प्रशिक्षण शिविर :

वर्ष 1972–73 तक विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए कुल 296 विश्वविद्यालय, अन्तर विश्व-विद्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। प्रत्येक शिविर में विश्वविद्यालयों के औसतन एक सौ खिलाड़ियों ने भाग लिया।

खेल प्रतिभा छात्रवृत्तियां :

विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 1970–71, 71–72 और 72–73 के दौरान प्रत्येक वर्ष में सौ सौ रुपये प्रति मास की पचास खेल छात्रवृत्तियां मंजूर की गई थीं।

अन्तर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं :

मास्कों में अगस्त 1973 के दौरान आयोजित विश्वविद्यालय के छात्रों "युनिवर्सेड–73" के विश्व खलों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के एक दल को भेजा गया था।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पूंजीगत परियोजनाओं को अंततः 1971–72 में ही अनुमोदित किया गया था। अधिकांश मामलों में ये परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। किन्तु, भवन निर्माण संबंधी सामग्री की कमी के कारण भवन निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रही है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड को वर्ष 1972–73 तक कुल 81 लाख 95 हजार और 7 सौ साठ रुपए के अनुदान दिए गए थे।

(घ) यद्यपि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में इस योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई व्यायामशालाओं और क्रीड़ास्थलों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अन्तर-विश्व-विद्यालय बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित कार्यक्रमों के आशाप्रद परिणाम निकले हैं। जब से इस योजना को आरम्भ किया गया है तब से कई विश्वविद्यालीय खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में सम्मान प्राप्त किया है और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिये उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय टीमों में शामिल किया गया था। भविष्य में इन परिणामों की प्रत्यक्षता और भी अधिक मात्रा में आशाप्रद होने की सम्भावना है जबकि विश्वविद्यालय के वे खिलाड़ी जिन्होंने काफी वर्षों तक विशेषज्ञ प्रशिक्षण का लाभ उठाया है, उत्तम दर्जे की विशिष्टता प्राप्त करेंगे।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए आन्ध्र प्रदेश को अपर्याप्त राशि में कटौती

2009. श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम" के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि में कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो जिलावार कितनी धनराशि कम की गई है और कटौती के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में सूखाग्रस्त कार्यक्रम के लिए 1970-71 से 1973-74 तक चार वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भ में 10.64 करोड़ रुपये के परिव्यय का निर्धारण किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण राज्य सरकारों को यह अनुदेश दिये गये थे कि कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लघु सिंचाई के अलावा अन्य सभी निर्माण कार्य बन्द कर दिये जायें। जिलावार कोई विशिष्ट कटौतियां नहीं की गई थीं। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी जाने वाली कुल सहायता 8.17 करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

बीमारी के कारण गेहूं की उपज को क्षति

2010. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष फसल की बीमारी की घटनाओं में वृद्धि के कारण गेहूं की लगभग 10 प्रतिशत उपज खराब हो गई थी : और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि फसल की बीमारी के कारण अब वास्तव में कितनी हानि हो रही है और क्या चेतावनी को देखते हुए सरकार ने नई किस्मों की उगाई के लिए कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) विशेषकर पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रतुवा रोग के भारी प्रभाव तथा फसल के पकने के समय प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां मौजूद होने के कारण गेहूं की उपज को कुछ हानि पहुंची है । केवल रोग के प्रभाव के कारण हुई हानि की प्रतिशतता का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् रोग की प्रतिरोधी नई किस्मों को विकसित करके निर्मुक्त कर रही है। हाल ही में गेहूं की कुल 25 ऐसी किस्में निर्मुक्त की गई हैं । आगामी वर्ष कृषकों को बड़ी मात्रा में इनका वितरण करने के लिए इस वर्ष इन किस्मों के बीजों का वर्णन किया जाएगा । इस बीच में पंजाब तथा हरियाणा सरकार को सलाह दी गयी है कि वे 1973–74 के रबी के मौसम में सोनालिका किस्म की बड़े पैमाने पर खेती प्रारम्भ करें, जो कि अब तक रतुवा प्रतिरोधी सिद्ध हुई है । नवम्बर में बुवाई होने की स्थिति में ही कल्याण सोना का प्रयोग किया जायेगा ।

गेहूं, चावल और खाद्यान्नों के मूल्यों की खरीददार की क्रय शक्ति के साथ सम्बद्ध करना

2011. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों को खरीददार की क्रय शक्ति के साथ सम्बद्ध करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह किस प्रकार का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादक को प्रोत्साहन मूल्य देना है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन और अधिप्राप्ति हो सके और साथ ही, समाज के जरूरतमन्द वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।

किसानों के वसूली मूल्य के खिलाफ आन्दोलन के परिणामस्वरूप वसूली कार्यक्रम पर प्रभाव

2012. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या किसानों के वसूली मूल्य के खिलाफ आन्दोलन के परिणामस्वरूप वसूली कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है और क्या मोटे अनाज के बढ़े हुए मूल्यों ने भी किसानों को सरकार को गेहूं न बेचने के लिए प्रेरित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों के कुछेक वर्गों ने इस भावना से कि अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्यों की तुलना में गेहूं का 76 रु० प्रति क्विंटल का अधिप्राप्ति मूल्य कम है, गेहूं रोक लिया । मोटे अनाजों के बाजारों में चल रहे ऊंचे मूल्यों से भी किसानों की अपने गेहूं का स्टाक रोकने की क्षमता बढ़ गई है ।

तथापि, इन कारणों से कितना स्टाक रोका गया है, उसका अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है ।

विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की आवश्यकता

2013. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की आवश्यकता का कोई पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम सप्लाई वाले राज्यों की मांगों को पूरा करने में सरकार किस हद तक सफल हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की आवश्यकतायें उपलब्धता, अन्य वैकल्पिक खाद्य-पदार्थों, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार जैसी कई एक बातों पर निर्भर करती हैं और इसलिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। अतः विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों से संबंधित आवश्यकताओं का मात्रात्मक जायजा लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों की उपयुक्त जरूरतों को केन्द्रीय पूल से पूरा किया जा रहा है।

Civil Amenities in Colonies of Delhi

2014. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether public health facilities have not been provided to the residents of Madan Park, Delhi-110035 which is surrounded by Jaidev Park, Punjabi Bagh, Bhagwan Dass Nagar, Manohar Park, and Ashoka Park Extension ;

(b) if so, the reasons for which health facilities have not been provided by the Delhi Municipal Corporation, Delhi Administration to these colonies inhabited 15 years ago; and

(c) the action taken by Government to remove the inconvenience being felt by the residents in this regard ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Public Health facilities like Water Supply and Sewerage do not exist in Madan Park Colony.

(b) and (c) Madan Park Colony is a regularised colony and services in such colonies are provided after the plot holders of the colony have paid the development charges or have executed agreements for such payment. Since the requisite number of plot holders have not so far complied with this requirement, the services could not be provided.

Seminar Organised by State Institute of Education Delhi

2015. **Shri Hari Singh :**

Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of long-term art seminars organised during the last three years by the State Institute of Education, Delhi;

(b) the salient features thereof and the expenditure incurred by Government thereon and the benefits which accrued to the educational field as a result thereof;

(c) whether Government propose to lay a list of the names of teachers, who stood successful in these seminars on the Table of the House and whether these teachers have been issued with the certificates thereof if not, the reasons therefor; and

(d) whether the teachers got some promotion; and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The State Institute of Education conducted three long term courses—One in 1971-72 and two in 1972-73.

(b) The salient features of these courses are :—(i) to provide requisite knowledge to art teachers who were deficient in skill to draw. (ii) to help them to know the methodology to impart the skill to draw to their students. The expenditure incurred is Rs. 3100/- on the first course and Rs. 8845/- on the second and third courses.

(c) List of the names of teachers who successfully completed the three courses is attached. [Placed in Library. See No. L.T.5803/73]. Those who qualified in the first course have been awarded the certificates. Certificates to those teachers who qualified in the second and third courses will be awarded shortly.

(d) In service courses for teachers are designed to improve their professional competence and keep them abreast with the latest techniques of teaching and new developments in the subject area. These are not conducted with the objective of qualifying teachers for promotion.

Drinking Water and Sewerage Facilities in Punjabi Bagh Delhi-26

2016. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether drinking water and sewerage facilities have not been provided by Municipal Corporation to the Panjabi Bagh colony of New Delhi-26, inhabited about 12 years ago, in spite of the demand made by the residents as a result of which the residents are experienceing great inconvenience;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the time by which Government propose to provide these facilities to this colony ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Water Supply system as well as sewerage facilities exist in Punjabi Bagh Colony, New Delhi-26.

(b) and (c) Do not arise.

धान, चावल अथवा खाद्यान्नों के लाने ले जाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की योजना

2017. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धान, चावल अथवा खाद्यान्न को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने की योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं। अधिप्राप्ति के हित में सरकार की नीति धान, चावल और मोटे अनाजों के संचलन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हानि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम की कथित असफलता की जांच

2018. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडेरेशन के प्रेजिडेण्ट ने 8 अक्तूबर, 1973 को यह मांग की है कि भारतीय खाद्य निगम के उच्च-अधिकारियों की राष्ट्रीय खजाने की होने वाली कई करोड़ रुपयों की हानि को रोकने में तथाकथित असफलता की उच्चस्तरीय जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलों और व्यापारियों से बोरी की कीमत न लेने से राज-कोष को हो रही भारी हानि के बारे में अखिल भारतीय पत्तन तथा गोंदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की जो आलोचना की है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षिक किया गया है। वस्तुतः राज्य सरकारों और रोलर फ्लोर मिलों को भारतीय खाद्य निगम के डिपों पर/गंतव्य स्थान तक रेल पर्यन्त निःशुल्क दिये जाने वाले गेहूं के केन्द्रीय निगम मूल्य, गेहूं से भरी बोरी के लिये निर्धारित किये जाते हैं जिसमें बोरी की लागत शामिल होती है। गेहूं कि इकनामिक लागत में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खर्च किये गये अन्य विभिन्न प्रासंगिक प्रभारों के अलावा, लागत की मदों में बोरी में बोरी का मूल्य भी एक मद है। गेहूं के अन्तिम उत्पादकीय लागत में भी बोरी की लागत होती है :

लिटन रोड, नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जे तथा मालिकाना अधिकार के बारे में ज्ञापन/शिकायत

2019. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिटन रोड (फरीदकोट हाउस से आगे) नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति जो कि "सिरमूर" प्लाट वैस्टर्न हाउस पर कुमकुम नामक कोठी के रूप में प्रसिद्ध है जहां पर कुमकुम समुदाय का लोग कल्याण केन्द्र संस्था का (कुम कुम कम्यूनिटी वेलफेयर सैन्टर सोसाइटी) कार्यालय है, के गैर-कानूनी कब्जे तथा मालिकाना अधिकार के दावे के बारे में कोई ज्ञापन अथवा शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह सम्पत्ति इस सोसाइटी को कम्यूनिटी सैन्टर चलाने के लिए दी गई थी ;

(ग) क्या इस सोसाइटी का आनरेरी सैक्रेटरी वहां इस सोसाइटी की गतिविधियों को नहीं चला रहा है और वह इसे निजी कार्यों हेतु प्रयोग कर रहा है ; और

(घ) क्या इस सम्पत्ति के बारे में कोई जांच कराई गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में उचित मूल्य की एक दुकान पर अनाज का न होना

2020. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मादीपुर, नई दिल्ली–26 में उचित मूल्य की दुकान संख्या 4360 में दुकानदार अनाज के भंडार नहीं रखता है और कालोनी के लोगों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ;

(ख) क्या अनाज की कमी के कारण राशन कार्ड धारी उस विशेष पखवाड़े के लिए राशन से वंचित रह जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मदों को अगले पखवाड़े में सप्लाई करने के निदेश देगी ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। इस संबंध में दिल्ली प्रशासन को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, जब कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है तब अनुदेश जारी कर दिए जाते हैं ।

1972-73 के लिए काम के दिन तथा गन्ने से औसतन वसूल किया गया मिठास का तत्व और दिया गया वास्तविक मूल्य

2021. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 के मौसम के लिए प्रत्येक राज्य में कारखाना-वार कितने दिन काम किया गया तथा गन्ने से औसतन कितने प्रतिशत मिठास का तत्व वसूल किया गया तथा वास्तव में प्रति क्विंटल कितना मूल्य दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 1972-73 मौसम के लिए, कारखाना-वार गन्ने से चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता, अवधि और गन्ने के वास्तव में दिये गये मूल्य का रैंज बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5804/73)**

राज्यों में फसलों को क्षति

2022. श्रीमती कृष्णा कुमारी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में फसलों की किस हद तक क्षति हुई है ;

(ख) सरकार का विचार प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली इस समस्या को हल करने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि आधार पर क्या उपाय करने का है ; और

(ग) विभिन्न फसलों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम स्थानान्तरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति

2023. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण तथा पदोन्नति संबंधी किन्हीं निश्चित नियमों का पालन नहीं किया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में श्रेणी एक के रिक्त स्थानों में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) इस संख्या में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं और स्थानान्तरण तथा पदोन्नति संबंधी एक नियमित नीति को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण और पदोन्नतियां निर्धारित नीति और विहित कार्याविधि के अनुसार की जाती है । निगम में श्रेणी–1 के भरे गए पदों की कुल संख्या 1970-71 को 500 से बढ़कर 1972-73 में 679 हो गई थी । यह वृद्धि मुख्यत: निगम की गतिविधियों में सामान्य विस्तार होने से हुई थी ।

कम्पोस्ट और गैस उत्पादन करने के लिए पूना के निकट एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

2024. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोबर से कम्पोस्ट तथा घरेलू उपयोग के लिए गैस बनाने के लिए पूना के निकट एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पूना के निकट बनने वाले कारखाने में उत्पादन कब तक आरंभ हो जायेगा तथा यह घरेलु उपयोग के लिए कम्पोस्ट और गैस की कितनी आवश्यकता पूरी करेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूरिया, अमोनियम सल्फेट और केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के मल्यों में वृद्धि

2025. श्री ई० बो० विखे पाटिल :

श्री बख्शी नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया, अमेनियम सल्फेट और कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट की कीमत में वृद्धि करने का सरकार ने कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां । कीमत में वृद्धि निम्नप्रकार है :—

उर्वरक का नाम	कीमत में वृद्धि (रू० प्रति मीटरी टन)
यूरिया:	
46% नाइट्रोजन	90.00
45% नाइट्रोजन	90.00
अमोनियम सल्फेट (सफेद):	
100 कि०ग्रा० की बोरी	41.00
50 कि०ग्रा० की बोरी	40.00
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट:	
26% नाइट्रोजन	51.00
25% नाइट्रोजन	50.00

(ख) नैपथा की लागत में वृद्धि तथा उर्वरकों की आयात लागत में वृद्धि होने से मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

(ग) किए गए अध्ययनों के अनुसार उर्वरकों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि से उर्वरकों के उपभोग अथवा किसान के निबल लाभ पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ना चाहिए । इस प्रकार इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।

देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम

2026. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री के० कोडंडारामी रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चालू वित्त वर्ष के दौरान उर्वरकों की भारी कमी से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धि में कुछ बाधा आई हैं ।

(ख) सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) उर्वरकों के देशी कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा देशी विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् क्षेत्रीय सम्मेलनों में समन्वित सप्लाई के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं । उसके पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी करके देशी विनिर्माताओं के लिये कानूनी रूप से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्होंने सम्मेलनों में प्रत्येक राज्य को जितने उर्वरकों की सप्लाई करने का वचन दिया था, उसे पूरा करें ।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी संस्थाओं और खुदरा विक्रेताओं के गोदामों में उपलब्ध स्टाक की ध्यानपूर्वक सूची तैयार करें और उपलब्ध उर्वरकों के समय पर और उचित वितरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसका समय-समय पर पुनरीक्षण करें ।

(4) उर्वरक विनिर्माताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्पादन की यथा संभव अधिकतम मात्रा को सहकारी संस्थाओं और सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से बेचे, ताकि इस मामले में घांधली की कम गुंजायश रहे ।

(5) अति उच्च स्तर पर सामयिक पुनरीक्षण करके रेलों से उर्वरकों के लाने ले जाने के लिये वैगनों की उपलब्धि पर निगाह रखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित तथा देशी उर्वरकों के लाने ले जाने के लिये पर्याप्त रेल परिवहन उपलब्ध हों।

(6) यथा संभव अधिकतम मात्रा का आयात करने तथा करार हुई मात्राओं को शीघ्र जहाजों से लाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ;

(7) राज्य सरकारों तथा कृषकों के संगठनों से कहा गया है कि वे कार्बनिक खाद तैयार करके उसका यथा संभव अधिकतम उपयोग करें ;

बिजली बन्द होने के कारण उत्पादन में हानि

2027. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के दौरान विद्युत संयंत्र इंजीनियरों द्वारा हड़ताल किये जाने के साथ-साथ बिजली बंद हो जाने के कारण कृषि उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कृषि उत्पादन बीजों, उर्वरकों, वनस्पति रक्षण रासायनों, सिंचाई जल, आदि जैसे विभिन्न कृषि आदानों के प्रयोग और साथ ही साथ किसान की फसल की व्यवस्था करने की क्षमता और आधुनिक प्रौद्योगिकी को सही रूप से समझने और उसके प्रयोग करने का सामुहिक फल होता है । अतः फसल उत्पादन पर किसी अकेले तत्व के असर का पृथक रूप से अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है । इसके अलावा सितम्बर-अक्तूबर में फसलों की जल की आवश्यकता आमतौर पर अधिक नहीं होती है । सितम्बर में अच्छी वर्षा हुई थी । अतः दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्र इंजीनियरों की हड़ताल के साथ-साथ बिजली बंद हो जाने से इन राज्यों में कृषि उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ा था ।

दिल्ली में छिपाये गये खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं का पता लगाना

2028. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाये गये खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने के लिए दिल्ली में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ख) जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1973 में कितने चोर बाजारियों तथा जमाखोरों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) क्या पता लगाये गये खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को उपभोक्ताओं में समान मात्रा में बांट दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस ने भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत जमाखोरों और काला बाजारियों के विरूद्ध 37 मामले रजिस्ट्र किए थे और 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) पकड़े गए स्टाक को मामला-संपत्ति के रूप में पुलिस को सौंप दिया जाता है । तथापि, जहां यह समझा जाता है कि स्टाक खराब हो जाएगा तब उन्हें परमिट जारी कर उपभोक्ताओं को इस्ते माल के लिए दे दिया जाता है । अथवा अन्य स्टाकिस्टों को हस्ताक्षरित कर दिया जाता है ।

रोजगार के द्रुत कार्यक्रमों पर राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई राशियां

2029. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को रोजगार के द्रुत कार्यक्रमों के लिए आवंटित और व्यय की गई राशियां कितनी थीं ;

(ख) बजट आवंटनों के कम उपयोग में लाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) द्रुत कार्यक्रमों के अब तक क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन और किया गया व्यय दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (अनुबंध 1)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5805/73]**

(ख) आवंटनों का उपयोग संतोषजनक हुआ है। वर्ष 1971-72 में मौके पर काम केवल अक्तूबर में ही आरंभ किया जा सका, क्योंकि वर्ष का पूर्व भाग परियोजनाएं बनाने, आवश्यक प्रशासनिक तथा अन्य प्रबंध पूरा करने और बरसात में बीत गया था। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अपेक्षित दस महिने की अवधि के मुकाबले में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए केवल छः महिने की कार्य-अवधि ही वास्तव में उपलब्ध थी। इसलिए दस महिनों के पूर्ण कार्य-वर्ष में 50 करोड़ रुपए के अपेक्षित व्यय और 875 लाख श्रम दिनों के रोजगार के मुकाबले में वर्ष 1971-72 के छः महिनों के कार्य मौसम में जितना व्यय होने की आशा की जा सकती थी, वह 30 करोड़ रुपये था, जिससे 525 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हो सकता था। वर्ष 1971-72 में 31.17 करोड़ रुपए व्यय किये गये और 789.66 लाख श्रम-दिनों का रोजगार पैदा किया गया। योजना के कार्यान्वयन के पहले ही वर्ष में इसे विशिष्ट रूप से संतोषजनक माना जाना है।

वर्ष 1972-73 में 53.41 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई जिससे 1322.51 लाख श्रम-दिनों का रोजगार पैदा किया गया। अतिरिक्त व्यय वर्ष 1971-72 की बचत से पूरा करना पड़ा।

विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1973-74 में कुल 13.41 करोड़ रुपए के व्यय होने की सूचना मिली है, जिससे 336.38 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। ये रिपोर्टें भिन्न-भिन्न अवधियों की हैं और कुछ राज्य सरकारों की तो मई, 1973 की हैं। चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि से अधिक व्यय होने की आशा है।

(ग) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इस योजना के अंतर्गत निर्मित भौतिक परिसंपत्तियां दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (अनुबंध 2)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 5805/73]**

कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि कार्यों और कृषि उद्योगों के लिए ऋण देने की प्रक्रिया

2030. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि कार्यों और कृषि उद्योगों के लिए ऋण संबंधी वर्तमान प्रक्रिया दोष पूर्ण और जटिल पाई गई है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के एक सदस्य से सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) समय-समय पर की गई संविक्षा के परिणामस्वरूप भारत सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने, विशेषकर छोटे और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिक आदि निर्धन वर्गों को कृषि ऋण की अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों आदि वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रिया और नीतियों को सरल बनाने और पुनर्निर्धारण करने के लिए कदम उठाए हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग के एक सदस्य ने उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के संबंध में आयोग को अपने दौरे का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कुछ सुझाव दिये थे । आयोग भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय विचारार्थ विषयों से संबंधित सुझावों पर विचार करेगा ।

Issue of Cement Bags to Bhagat Construction Company by D.D.A.

2031. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether in 1972, the D.D.A. issued 1,000 bags of cement to Bhagat Construction Company without any work being awarded to them; and

(b) if so, reasons therefor and when and how the said bags were recovered from them and who were found guilty by the Department for this irregularity as also the action taken against them in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) During 1972, cement was issued to Messrs Bhagat Construction Co. for certain works entrusted to them. On the basis of certain discrepancies noticed in the stores of cement, an investigation is in progress.

Occupation of Government Land in the Name of Temples in Delhi

2032. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the news item published at page, 6 of the daily "Janayug" dated the 11th October, 1973 is true that the persons belonging to Delhi Jana Sangh have occupied Government land in the name of temples in Delhi; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection and the results thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) It is a fact that a number of unauthorized temples have come up on Government (Nazul) land in Delhi. However, the political affiliation of the persons behind such squatting is not known.

(b) As soon as such squattings come to the notice of the Government, efforts are made to remove the encroachments.

महाराष्ट्र के पैठान तालुक में भूख से बच्चों की मृत्यु

2033. **श्री मधु दण्डवते:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पैठान तालुक में एक व्यक्ति ने अपने तीन बच्चों को 16 सितम्बर, 1973 को कुएं में फैंका तथा उन्हें मार दिया क्योंकि वे उनको खाना नहीं दे सका था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बच्चों की मौत को भूख से हुई मौत समझती है ; और

(ग) ऐसी दुखद दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जिस दुर्घटना का उल्लेख किया गया है वह भुखमरी के कारण नहीं हुई थी बल्कि अन्य कारणों से हुई थी ।

मूंगफली तथा इसके तेल की खरीद में अनियमितताएं

2034. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से मांग की गई है कि वह गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा मूंगफली तथा इसके तेल की खरीद में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को आरोपों की जांच करने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए इस प्रकार की कोई मांग कृषि मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, राज्य सरकार ने गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा मूंगफली तथा इसके तेल की खरीद में अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचारों तथा अनियमितताओं के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होने की सूचना दी है, जिनकी राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

राजस्थान में महामारी फैलने का कथित समाचार

2035. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जिलों अर्थात् बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जेसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में मलेरिया और पेचिस जैसी महामारी फैलने का कोई समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) जी नहीं । वैसे, ज्वर के मामलों में कुछ वृद्धि हुई बतलाई गई है ।

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से एक दल जांच करने के लिए भेज दिया गया है । राज्य सरकार ने आवश्यक उपचार की व्यवस्था पहले ही कर ली है ।

उत्तर प्रदेश में नहर तथा नलकूप सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र

2036. **डा० गोविन्ददास रिछारिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नहर तथा नलकूप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत ज़िला-वार कुल कितनी भूमि है ; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक नहर तथा नलकूप सिंचाई योजना के अंतर्गत अलग-अलग तथा जिला-वार कितने एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भूमि उपयोग संबंधी नवीनतम आंकड़े वर्ष 1969-70 के लिए उपलब्ध हैं । इनके अनुसार नहरी सिंचाई के अंतर्गत कुल निबल क्षेत्र अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5806/73]**

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोचीन में 'आयल टैंकर बर्थ'

2037. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में प्रस्तावित 'आयल टैंकर वर्थ' के निर्माण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) कोचीन में बोलघाटी जलमार्ग में एक सुपर टैंकर तेल घाट के निर्माण को मंत्रिमंडल ने 3 मई, 1973 को अनुमोदित किया ।

(ख) परामर्शदाताओं की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की कुल लागत 34.09 करोड़ रुपये होगी ।

परियोजना के अंतर्गत 40 फुट के डुबाव वाले 80,000 डी० डब्लू०टी० के तेल वाहक पोतों को जगह देना है ।

तेल जेटी से कच्चे तेल की पाईप लाईन तट पर लाई जायेगी और पानी के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर बिछाई जायेगी । पाईप लाईन जेट्टी के उत्तर में कुछ दूर लाकर उन पुलों की ओर ले जायेगी, एक वह जो वल्लारपदम तथा मुलावुकड के तथा दूसरा वह जो बोलघाटी और एर्नाकुलम को जोड़ता है ।

बल्लारपदम तथा मुलावुकड के बीच पुलों का निर्माण स्थल इस प्रकार नियत किया गया है ताकि बल्लारपदम की ओर कम से कम दो घाटों के निर्माणार्थ पर्याप्त खाली स्थान की व्यवस्था की जा सके । पुल, कच्चे तेल तथा भावी पाईप लाईन उत्पादन के अतिरिक्त, दोगली ए० ए० यातायात ढ़ोने के लिये बनाया जायेगा ।

भविष्य में बोलघाटी के किनारे के साथ साथ घाटों का निर्माण भी किया जायेगा ।

(ग) विस्तृत परियोजना रर्पोट तैयार करने तथा विस्तृत इंजीनियरी कार्य करने के लिये मैसर्स इंजीनियर इंडिया लि०, नई दिल्ली को परामर्शदाता इंजीनियर के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है । उपरोक्त परियोजना के निष्पादन संबंधी प्रारंभिक कार्य भी स्वीकृत किये जा चुके हैं । विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद अनुमान मंजूर किये जायेंगे । निविदायें मांगी जायेंगी और निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, कार्य प्रारंभ होने पर इसे पूरा होने में लगभग 4½ वर्ष लगेंगे ।

Use of sea water for irrigation on coastal land

2038. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to utilise sea water for irrigation during the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the acreage of coastal land likely to be irrigated and the amount of earmarked therefor; and

(c) whether the concerned State Governments have been asked to implement it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) to (c) The Indian Council of Agricultural Research has sanctioned in April, 1972, an All India Coordinated Reaserch Project, entitled "the use of Saline Water in Agriculture" with a fourth plan outlay of Rs. 27.12 lakhs. There are ten centres provided in this scheme, three of which are situated at the coastal research centres to undertake studies on use of sea water for agriculture. The site selection committee has been set up for finalising the locations of the coastal centres for this purpose. This project will continue in the Fifth Five Year Plan with a total outlay of Rs. 40.00 lakhs.

An *ad hoc* scheme entitled,"Scheme for research on use of Sea Water in Agriculture" has been sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research in February 1970 at Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry to test the feasibility of using sea water for agricultural production.

The Central Salt and Marine Research Institute, Bhavnagar, Gujarat under the Council of Scientific and Industrial Research have also undertaken exploratory studies on the use of sea water for agriculture.

In the absence of proven results, no development project has been taken up by the Indian Council of Agricultural Research.

Converting sandy and unfertile land into cultivable land

2039. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any provision has been made and funds earmarked in the Fifth Five Year Plan for converting sandy, barren and unfertile land into cultivable land by exploding bombs on it;

(b) if so, the acreage of sandy land in the country, particularly in Rajasthan, which is likely to be made cultivable by exploding bombs on it and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) whether foreign assistance is proposed to be sought in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

रत्नगिरी जिले में फसलों पर कीटनाशी दवाएं छिडकने के कारण मछलियों का मरना

2040. श्री मधु दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के मालवा तालुक की अडारी उपनदी के किनारे की फसलों पर कीटनाशी दवाएं छिड़कने के कारण कई मछलियां मर गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपनदी के जलदूषण, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं, को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) कृषि भूमि में कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग के बाद बरसात हो जाने से मालवा तालुक में अक्तूबर, 1973 के दौरान कोलन उपनदी में लगभग $1\frac{1}{2}$ मीटरी टन मछलियां मर गई थी।

(ख) हवाई छिड़काव करने वाले हैलीकोप्टरों को अनुदेश हैं कि कृषि फसलों पर कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करते समय वे नदियों में छिड़काव न करें। वर्तमान मामले में मछलियों की मृत्यु कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव के कुछ ही दिनों में गैर-मौसमी बरसात से घुल जाने के कारण हुई थी। इस मामले में महाराष्ट्र का जल दूषण निवारण बोर्ड आगे और विचार करेगा।

कृषि श्रमिकों का नियोजन

2042. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार (24 मई, 1963 का इकोनामिक टाइम्स) कृषकों की संख्या 1961 में 52.8 प्रतिशत से घटकर 43.3 प्रतिशत रह गई है तो पट्टेदारी को स्थानान्तरण योग्य बनाकर उनकी संख्या को न बढ़ाने के क्या कारण हैं :

(ख) जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या 1961 में 16.7 प्रतिशत से बढ़कर जनसंख्या की 26.3 प्रतिशत हो गई है तो कार्य के लिए अकाल संहिता के समान "मिनिमम पीस रेट" की स्थायी पेशकश करके उनकी बेरोजगारी को कम न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजना की वित्तीय लागत का अनुमान लगाने के लिए नमूना क्षेत्रों में प्रयोग करने और उसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देने का है ; और

(घ) सरकार ने उन देशों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं जहां श्रमिकों की कमी है और जो श्रमिकों को लेने के इच्छुक हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पारिभाषिक परिवर्तनों के कारण वर्ष 1971 के आंकड़े वर्ष 1961 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। किसानों के आंकड़ों में पट्टेदार काश्तकार शामिल हैं। अतः यदि स्थानान्तरण का आशय पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार सौंपना है तो पट्टेदारी को स्थानान्तरण योग्य बनाने से किसानों की प्रतिशतता नहीं बढ़ सकती। बेरोजगारों को काम देने के लिए अकाल संहिता के समान "मिनिमम पीस रेट" की स्थायी पेशकश करना आवश्यक वित्तीय तथा संस्थात्मक संसाधनों में बाधक सिद्ध हो सकता है।

(ग) बेरोजगारी के स्वरूप का पता लगाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए वित्तीय बाधाओं का अनुमान लगाने के लिए देश के 15 खंडों में मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजनाएं शुरू की गई थी।

(घ) विदेशों वाले जरूरत पड़ने पर प्रायः अकुशल कारीगरों की अपेक्षा कुशल कारीगरों की ही मांग करते हैं। सरकार को विदेशों में अकुशल मजदूर भेजते समय सावधान रहना होता है क्योंकि ऐसे मजदूर प्रायः स्थानीय सामाजिक वातावरण में अपने आपको ढालने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में बाधक सिद्ध होते हैं।

Success of take-over of wholesale trade in wheat

2043. **Shri Phool Chand Verma:**
Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the take-over of wholesale trade in wheat proved to be complete success;

(b) if not, impediments coming in the way of success; and

(c) the measures adopted by Government to severe them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) In the context of the acute drought conditions which prevailed in the country during the last two years leading to a considerable shortfall in the agricultural production and pressure on prices at the time of the Rabi procurement, the implementation of the decision to take over wholesale trade in wheat has, on the whole, been satisfactory, despite the difficulties in the first year of operation and initial troubles, including opposition from vested interests. A quantity of over 4.5 million tonnes of wheat has been procured to ensure uninterrupted supply of foodgrains to consumers at a very reasonable price and to effectively fight back the psychology of scarcity created by vested interests. It has also been possible to eliminate the wholesalers and to make alternative purchase arrangements by spreading out the public agencies which are now fully geared to play a commanding role in the marketing of wheat. There were certain operational snags but the Government were able to overcome these. It is expected that these difficulties would be overcome completely in the next season in the light of the experience gained by the public agencies during this year so that they are able to serve well and efficiently the producers as well as the consumers.

Acquiring of half-constructed house in Shakarpur Block D.D.A.

2044. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether half-constructed houses are being forcibly acquired by Delhi Development Authority in Shakarpur Block, New Delhi

(b) whether the plots so acquired were purchased by the people in 1969, viz., before the coming into being of the Delhi Development Authority; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check them and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The land in the revenue estate of Sakarpur Khas (Trans-Yumna Shahdara area) was notified for acquisition for the planned development of Delhi about 13 years ago. Acquisition has been effected through several awards under the Land Acquisition Act, 1894 by the Delhi Administration. Compensation has been assessed for the structures which existed before the notification was issued.

(c) As the acquisition is for the planned development of Delhi, the question of withdrawal of the proceedings does not arise.

Land distribution to Adivasis during Fifth Plan

2045. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to give agricultural land to the landless Adivasis in Fifth Five Year Plan ;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, Government's objection to such a proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The guidelines issued by the Government of India on ceiling on agricultural holdings clearly laid down that while distributing surplus land priority should be given to the landless agricultural workers, particularly those belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes. The land ceiling laws which have been amended or enacted in the light of these guidelines, have accorded high priority to Scheduled Tribes (adivasis) in the distribution of surplus land.

'एटामिक स्टेशन इमीशन्स हैजरड्स टु हैल्थ' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार

2046. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'एटामिक स्टेशन इमीशन्स हैजरड्स टु हैल्थ' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) खतरों संबन्धी जिन आंकड़ों को इस समाचार में प्रकाशित किया गया है वे असाधारण रूप से अधिक हैं। इन पर अभी भी अमेरिका में वाद विवाद हो रहा है। सम्बन्धित नान-रेडिएशन फैक्टरों की समाचार में प्रकाशित नहीं किया गया है। भारत में परमाणु शक्ति स्टेशनों से निकलने वाले फालतू पदार्थों का सामान्य वातावरण में फैलाव सदैव सुरक्षित और जायज परिमाण से भी कम रहता है तथा उस पर निरन्तर नज़र रखी जाती है।

Target of food production during Fourth Plan

2047. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there was a target of increasing food production by 5 per cent in the Fourth Five Year Plan; and

(b) whether there was an increase of only 1.6 per cent during the four years of the Plan and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) In the Fourth Five Year Plan, it was envisaged to raise foodgrains production from the assumed base level of 98 million tonnes to 129 million tonnes in 1973-74, which implied a growth rate of 5.6 per cent per annum. The actual production in the base year 1968-69, however, turned out to be only 94 million tonnes. The target of foodgrains production fixed for the Annual Plan 1973-74 is now 115 million tonnes.

(b) All India estimates of production of foodgrains from 1968-69 to 1972-73 together with the percentage increase over 1968-69 are indicated below :

(Million tonnes)

Year	Production	Percentage increase (+) over 1968-69
1968-69	94.01	—
1969-70	99.50	+5.8
1970-71	108.42	+15.3
1971-72	105.17	+11.9
1972-73	95.20	+1.3

The all-India foodgrains production increased during the first two years of the Fourth Plan (i.e. 1969-70 and 1970-71), but declined during 1971-72 due to adverse seasonal conditions in some areas and further during 1972-73 due to severe drought conditions over large parts of the country and shortage of fertilisers and power.

देश में खाद्यानों के मामले में हुए दंगे

2048. **श्री एम० सुदर्शनम :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हाल ही के महीनों में खाद्यान्न के मामले को लेकर दंगे होने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां तो, किन-किन राज्यों में ऐसे दंगे हुए हैं ; और

(ग) दंगों के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अद्यतन स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है। प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा

2049. **श्री आर० एम० बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1973 में नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे ;

(ख) कुल कितने अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये ; और

(ग) सफल घोषित अभ्यर्थियों में से कितनों को अब तक रोजगार दे दिया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने पिछली बार परीक्षा फरवरी, 1973 में ली थी न कि जून, 1973 में । परीक्षा में 13,520 उम्मीदवार बैठे थे ।

(ख) 473.

(ग) 98.

केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा पश्चिम बंगाल चोकर कांड की जांच

2050. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने चोकर कांड में पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग के अधिकारी की भूमिका की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या 19 अक्तूबर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित यह समाचार सही था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन में जिस अधिकारी को निलम्बित करने की सिफारिश की गई थी उसे पश्चिम बंगाल सरकार ने निलम्बित नहीं किया ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सिफारिश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

छिपा कर जमा की गई खाद्य वस्तुओं की जब्त की गई मात्रा

2051. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में अब तक विभिन्न राज्यों में कुल कितने मूल्य की छिपा कर जमा की गई खाद्यान्न वस्तुएं जब्त की गई ; और

(ख) इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) और (ख) अब तक प्राप्त सूचनानुसार खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत पहली जनवरी, 1973 से जुलाई, 1973 के अन्त तक 4,52,618 क्विंटल खाद्यान्न पकड़े गए थे । उसी अवधि के दौरान 28,019 मामले पकड़े गए थे, 24,239 व्यक्तियों का चालान किया गया और 8,077 व्यक्तियों को सजा दी गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर क्षेत्र को शामिल करना

2052. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान से केवल अलवर जिले को शामिल किया गया है ;

(ख) क्या राजस्थान ने यह अभ्यावेदन दिया है कि राजस्थान के कुछ और क्षेत्र को राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहरूर, मंदावार, किशनगढ़, तिजारा की तहसीलें तथा अलवर जिले की अलवर तहसील का भाग शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड की समिति ने अभी विचार करना है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा सुझाई गई कृषि विकास की नई प्रणाली

2053. श्री एम० एस० शिवस्वामी :
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने अनुरोध किया है कि कृषि-विकास की नई प्रणाली बनाई जाये जिससे अधिक आय हो और अधिक खाद्यान्न के अतिरिक्त अधिक रोजगार मिले ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस संबन्ध में दिए गए सुझावों के अन्तर्गत कई क्षेत्र और गतिविधियां आती है जैसे :—

(1) बहुफसली और रिले खेती के जरिये सिंचित क्षेत्रों की क्षमता का बेहतर उपयोग, पानी ले जाने और उसके प्रयोग की बेहतर प्रणाली और उन्नत सिंचाई विधियां।

(2) सखातोर पर अधिक उत्पादन देने वाली फसलों में जोखिम के तत्वों को कम करने के लिए प्रत्येक पारिस्थितिक क्षेत्र और मौसम के लिए विस्तृत उत्पादन नीतियों का विकास।

(3) ऐसी किस्म की फसलों का प्रयोग जो अपेक्षाकृत ऊष्मा से असंवेदनशील होती है और जो शीघ्र तैयार हो जाती है और परिणामस्वरूप जिनमें सूखे या बाढ़ से बचने की क्षमता हो।

(4) वनस्पति की तरह की ऐसी किस्मों का प्रसार जो प्रति यनिट क्षेत्र, समय और जल से अधिकतम उत्पादन दे सकें।

(5) उर्वरकों का उचित ढंग से प्रयोग।

(6) ऐसे क्षेत्रों में जहां भूमि की कुछ समस्यायें हैं जिप्सम के प्रयोग निकासनाली और फसलों तथा फसल की किस्मों के उपयुक्त चुनाव जैसे उपचारात्मक उपायों का प्रयोग।

(7) खासतौर पर तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार।

(8) लाभप्रद मिश्रित खेती की प्रणालियों का विकास।

(9) नारियल और सुपारी जैसी रोपी हुई फसलों अथवा वृक्षों के बीच के खाली स्थानों में कोको, लोंग आदि जैसी कुछ मूल्यवान फसलें उगाकर बहुफसली खेती का प्रयोग। दुग्ध उत्पादन के लिये संकट प्रजनित गायों के रख-रखाव के लिए इन बागानों में घासों और फलियों की नई किस्में, फसलों के बीच में बोई जा सकती हैं।

(10) साहचर्य के नियम का प्रयोग। इस नियम के अन्तर्गत किसी निश्चित भू-भाग या जल-खंड में उत्पादन बढ़ाने के लिये संबन्धित किस्मों के समन्वित कार्यकलापों के जरिये पौधों अथवा पशुओं में आपसी लाभप्रद संबन्ध स्थापित किया जाता है। अधिक मात्रा में

मछलियां पकड़ने के लिए कई प्रकार की मछलियों को एक-साथ रखना क्योंकि विभिन्न किस्म की मछलियां अलग-अलग गहराई में पोषण प्राप्त करती हैं । यह साहचर्य का एक उदाहरण है ।

(11) जल-संरक्षण तथा व्यर्थ पदार्थों के पुनः प्रयोग (रिसाइकिलिंग) में खासतौर पर वारानी खेती के क्षेत्र में सहकारी प्रयास ।

(12) सुझाई गई प्रौद्योगिकी की संभावनाओं के प्रति जागरुकता के विकास और कृषक समुदाय को तकनीकी जानकारी की व्यवस्था के जरिये प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोग के किये उपयुक्त सामाजिक तथा शैक्षणिक मूल सुविधाओं का विकास। इसके लिए स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों, रेडियों, सिनेमा और टेलीविजन आदि का कारगर ढंग से प्रयोग करना आवश्यक होगा ।

(13) जहां पर खेती का कारोबार किया जा रहा है वहां पर शिक्षा आरम्भ करके स्कूल के कार्यक्रमों में उपयुक्त परिवर्तन ।

(14) विद्यार्थियों द्वारा कुक्कुट यूनिट या शाकवाटिका जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्य-संचालन को संभाल कर कार्य के लाभप्रद अनुभव का विकास करना ।

(15) कार्य करके सीखने की तकनीकी के जरिये कार्य करने वाले किसानों, मछुओं और अन्य व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त संख्या में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना ।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत केरल को सहायता तथा इसका उपयोग

2054. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत केरल सरकार को कितनी सहायता तथा ऋण दिया गया ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है कि इसका उपयोग किस प्रकार किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्यों तथा कन्द्र शासित क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करती हैं । केरल सरकार राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट भेजती रही है । वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गई निधियां, भुगतान की गई धनराशि, किया गया व्यय, पैदा किया गया रोजगार तथा निर्मित की गई परिसम्पत्तियां दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में केरल में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई निधियां, भुगतान की गई धनराशि, किया गया व्यय पैदा किया गया रोजगार तथा निर्मित की गई भौतिक परिसंपत्तियां दर्शाने वाला विवरण—

	1971-72	1972-73	1973-74
1. आवंटित धनराशि (लाख रु०)	159.00	174.00	137.50
2. भुगतान की गई धनराशि (लाख रु०)	159.00	196.95	77.00 (अक्तूबर 73 तक)
3. किया गया व्यय (लाख रु०)	181.95	183.08	60.65 (सितम्बर, 73 तक)
4. पैदा किया गया रोजगार (लाख रु० श्रमदिन)	41.04	43.67	15.86 (सितम्बर, 73 तक)

5. **निर्मित की गई भौतिक परिसंपत्तियां**

	1971-72	1972-73(क)
(1) लघु सिंचाई (हैक्टे०)	1,471	2,340
(2) भूमि सुधार	16	—
(3) भूमि संरक्षण (हैक्टे०)	310	80
(4) बाढ़ बचाव (हैक्टे०)	441	59
(5) सड़के (की० मी०)	1,052	449
(6) पुलिया (सं०)	116	172
(7) मछली पालन तालाब (हैक्टे०)		11

(क) यह सूचना अप्रैल-सितम्बर, 1972 से संबन्धित है ।

कृषि और पशुपालन विशेषज्ञों का उत्तर वियतनाम का दौरा

2055. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और पशु-पालन विशेषज्ञों के एक शिष्टमंडल ने हाल में उत्तर वियतनाम का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था और इसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि और पशु-पालन विशेषज्ञों के पांच सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने 20 अक्तूबर से 10 नवम्बर, 1973 तक 3 सप्ताह के लिये उत्तर वियतनाम का दौरा किया था ।

(ख) शिष्टमंडल का उद्देश्य उत्तर वियतनाम की कृषि जलवायु संबन्धी परिस्थिति का सर्वेक्षण करना और पशु, फसलों की खेती, पशु विकास कार्यक्रम, आदि के बारे में उनकी मांग का मूल्यांकन करना था। दल की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, कृषि और पशु-पालन के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के कुछ पहलुओं का पता लगाया गया है ।

वर्ष 1973-74 में भूमि सुधारों से लाभ प्राप्त करने में असफलता

2056. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस आशय का समाचार देखा है कि भूमि सुधारों के अत्यधिक प्रभार वर्ष 1973-74 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों में सराहनीय उपलब्धि रिकार्ड करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या समाचार में ऐसा भी उल्लेख है कि पिछले एक वर्ष से समस्त कृषि सुधार कार्यक्रम को कार्यरूप नहीं दिया जा सका है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में मत्स्य-पालन उद्योग का विकास करने की योजना

2057. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के मत्स्य पालन उद्योग का विकास करने हेतु बड़ी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है ;

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने में केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने को सहमत हो गइ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) पांचवीं योजना के लिये सिफारिश की गई स्टेट प्लान स्कीमों का उद्देश्य योजना अवधि के अन्त तक मछली के उत्पादन को 1,80,000 मीटरी टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2,90,000 मीटरी टन प्रति वर्ष करना है । प्लान के लिए प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार 1,200 पंजीकृत नौकाएं और 5 ट्रालरों को उपयोग में लाने, 4,000 लाख स्पान इकट्ठे करने, 1,650 लाख डिमपोना और आंगुलिक मछलियों का वितरण करने, 12 मीन-बीज फार्म स्थापित करने और नर्सरी आदि के लिए 30 हैक्टार क्षेत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । गुजरात सरकार ने मत्स्यन बन्दरगाहों की व्यवस्था करने, एक ओसिएनेरियम स्थापित करने और सरोवरीय मछलियों का अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा था। पांचवीं योजना में प्रस्तावित केन्द्रीय और केन्द्र

द्वारा प्रायोजित क्षेत्रों की योजनाओं में बन्दरगाहों के निर्माण, मत्स्य-पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करके अन्तर्देशीय क्षेत्रों के विकास, संसाधनों, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण का सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रों में निधि का राज्यवार आधार पर कोई आवंटन नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे।

भारतीय जहाजों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

2058. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय जहाजों द्वारा वर्ष 1971-72 और 1969-70 की तुलना में वर्ष 1972-73 में कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक के दौरान समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों की कुल कमाई निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

1969-70 . . .	139.48
1970-71 .	165.06
1971-72	178.59

निवल विदेशी मुद्रा कमाई सकल कमाई का लगभग 50 % होने का अनुमान है। वर्ष 1972-73 की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

संकर कपास के उत्पादन में वृद्धि

2059. **श्री प्रभुदास पटेल :**

(क) क्या गुजरात में बड़ौदा के प्रायोगिक क्षेत्रों में पोधों में 'हारमोनों' के विकास के माध्यम से संकर कपास के उत्पादन में समुचे रूप में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सत्य है;

(ग) क्या यह प्रयोग अन्य राज्यों में भी किया जायेगा ; और

(घ) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ख) गुजरात सरकार ने सूचना भेजी है कि ऐसे कोई परीक्षण नहीं किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) भारत सरकार देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये सघन कपास जिला कार्यक्रम, संकर-4 कपास का अधिकतम उत्पादन संबन्धी कार्यक्रम और कपास के बीजों के वर्धन कार्यक्रम को गतिमान करने के विषय में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

Financial Assistance to M.P. for Commodities Trading Corporation

2060. **Shri Rana Bahadur Singh :**
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has asked for Rs. 25 crores from the Central Government to set up Commodities Trading Corporation; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir. The State Government has asked for an interest free loan of Rs. 25 crores for setting up a Commodities Trading Corporation under the Companies Act. At present there is no scheme for providing financial assistance to the State Governments for setting up their own Corporations under the Companies Act.

Exports of Groundnut Oil to USSR

2061. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quantity of groundnut oil exported to Soviet Russia from January, 1973 to April, 1973?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): There have not been any exports of groundnut oil to Soviet Russia from January, 1973 to April, 1973.

चावल के थोक व्यापार के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की शिफारिशें

2062. **श्री मधु दण्डवते:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखा है ; और

(ग) रिजर्व बैंक की सिफारिशें अस्वीकार करने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल का थोक व्यापार लेने के बारे में रिज़र्व बैंक आफ इडिया ने ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की है । तथापि, 1972-73 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक आफ इडिया ने चावल की अधिप्राप्ति सम्बन्धी नीति पर निम्न-लिखित विचार प्रकट किए है :

"गेहूं का थोक व्यापार लेने में आई कठिनाइयों और समस्याओं के सदर्भ में चावल की अधि-प्राप्ति के लिए सुविचारित नीति तैयार करने की आवश्यकता होगी। चावल की अधिप्राप्ति की समस्या ओर भी जटिल होगी क्योंकि उसकी अधिप्राप्ति का कार्य लगभग सभी राज्यों में करना होगा जबकि गेहूं के मामले में कुछ राज्यों में ही भारी अधिप्राप्ति करनी थी। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर चावल की अधिप्राप्ति करने के लिए, चावल मिलों और अन्य सम्बन्धितों पर लेवी प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से लागू करना होगा । यदि इस प्रणाली के परिचालन में कठिनाइयां पैदा होती है तो अन्य अनुपूरक योजनाओं पर भी विचार करना आवश्यक हो सकता है । जो भी प्रणाली अपनाई जाती है उसके लिए यह बात ज़रूरी है कि अधिप्राप्ति संबंधी योजनाओं को पहले विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तैयार किया जाना चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(क) सरकार द्वारा अपनाई गई नीति रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपर्युक्त विचारों के अनुरूप ही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1972-73 तथा 1973 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा

2063. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1972-73 तथा चालू वर्ष में कितनी मात्रा में खाद्य तेलों (मद-वार) का आयात किया गया ; और

(ख) क्या आयात देश के वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)

(मीटरी टन में)

(क) खाद्य तेल	1972-73	1973-74	
		नवम्बर तक	प्रत्याशित आमद
(1) सोयाबीन का तेल .	32,985	33,883	—
(2) ताड़ का तेल .	5,052	18,925	43,675
(3) तारिया का तेल .	10,190	32,736	—
जोड़	48,227	80,544	43,675
(ख) खाद्य तिलहन			
तोरिया . .	75,973	12,777	80,000 अथवा तेल के बराबर
मूंगफली और/या तिल .	—	--	10—15,000

(ख) देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आयात करने की योजना बनाई जा रही है। तथापि वास्तविक आयात इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और विश्व की मंडियों में खाद्य तिलहनों और तेलों की सप्लाई तथा मूल्य स्थिति द्वारा शासित होता है।

सलाया पत्तन का विकास

2064. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात राज्य के जामनगर जिले में सलाया पत्तन का जो वर्षों तक तस्करों का अड्डा रहा है, विकास करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन के विकास के सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय आयेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) गुजरात सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तन विकास की केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत अन्य योजनाओं के साथ-साथ सलाया पत्तन के विकास का प्रस्ताव किया है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत शामिल करने के लिये योजनाओं की सूची का फैसला अभी तक नहीं किया गया है । योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर यह निर्णय किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'शिप बंचिंग हिट्स वाइटल इम्पोर्टस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2065. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री वसंत साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "शिप बंचिंग हिट्स वाइटर इम्पोर्टस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) इसके क्या कारण थे; और

(घ) इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कदम उठाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जहाजों से खाद्य पदार्थ और उर्वरक उतारने की जिम्मेदारी भारत के खाद्य निगम की है, इस काम में तेजी लाने के लिये बम्बई, कांडला और दूसरे पत्तनों में खाद्य पदार्थों और उर्वरकों को लाने ले जाने वाले जहाजों के लिये कई घाट आरक्षित कर लिये गये हैं। जहां तक अखबारी कागज का संबंध है, यह समस्या बम्बई पत्तन तक सीमित है। बम्बई पत्तन न्यास अखबारी कागज ले जाने वाले जहाजों को प्राथमिकता देता रहा है और ऐसे छः जहाजों के लिये पहले ही प्राथमिकता के आधार पर घाट की व्यवस्था की जा चुकी है।

जबकि बंबई में जहाजों का कुछ जमाव हुआ है पत्तन पर होने वाला जमाव मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और उर्वरकों के काफी आयात और इन जहाजों के लिये कई घाटों के आरक्षण के कारण है जिससे दूसरे माल के लिये उपलब्ध घाट के स्थान की कमी हो गई है। कांडला में भी पांच में से चार घाट खाद्य पदार्थ और उर्वरक जहाजों के लिये आरक्षित किये गये हैं और जिससे दूसरे जहाजों को देरी हो जाती है।

खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की भारी मात्रा पहुंच जाने के कारण स्थिति के एक या दो महीने और कठिन बने रहने की संभावना है । अन्य पत्तनों पर यथासम्भव जहाजों के मोड़ देने की संभावना की निरन्तर रूप से समीक्षा की जाती है । जहाजों के फेरों में वृद्धि करने के लिये, खाद्य पदार्थ और

उर्वरक जहाजों से निकासी की गति में बढ़ोतरी करने हेतु समय समय पर भारत के खाद्य निगम पर भी जोर दिया जाता रहा है । पत्तन में तीसरी पारी फिर से चालू करने के लिये मजदूर नेताओं को राजी करने के लिये भी प्रयत्न जारी हैं। खुले माल वाहकों और तेल पोतों के डुबाव को बनाये रखने के लिये विदेशी ठेकेदारों द्वारा कांडला में निकर्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

Increase in the Number of Beds in Willingdon Hospital, New Delhi

2066. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the number of in-door patients in the Willingdon Hospital, New Delhi, has increased considerably in the year 1971-72 and 1972-73 as compared to the year 1970-71.

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to increase the number of beds in accordance with the increasing number thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) Yes.

(b) & (c) The number of beds has already been increased from 610 to 730 in 1971 and this is sufficient to meet the present needs. There is no proposal under consideration to increase the number of beds in this hospital.

Research in Medicine by All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

2067. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) a number of diseases in which research has been conducted and the number of medicines discovered by the A.I.I.M.S., New Delhi during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the reasons why success has not been achieved in eradicating cancer disease and the results of the research conducted in this regard so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) & (b) The details of the researches in the various fields including cancer conducted and the discoveries made by the All India Institute of Medical Sciences are given in the Annexure. [Placed in Library. *See* No. L.T.5807/73]

Cancer is a world-wide disease and despile intensive research efforts all over the world, the precise cause of most types of cancer is still not known. However, these efforts at the All India Institute of Medical Sciences and elsewhere have led to improvements in the earlier diagnosis and treatments for various forms of cancer, especially cancer of the oral cavity which is particularly common in India. Research at the Institute is also focussed on factors involved in immunity against various forms of cancer.

Resolution of Committee on Cow Protection for Enactment of Central Legislation or Ban on Cow Slaughter

2068. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Cow Protection Committee adopted a Resolution in its meeting held in September last recommending that in view of the Judgements delivered by the Supreme Court on the 23rd April, 1958 and on the 23rd November, 1960 for imposing complete ban on cow slaughter, Government should themselves take initiative by enacting the necessary legislation and also ask the State Governments to follow suit without any delay and also ensure speedy implementation thereof at all levels; and

(b) if so, the action taken by Government so far, the results thereof and the future plan in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Yes. A resolution was adopted at the meeting of the Committee on Cow Protection at its meeting held on 17th September, 1973. The subject of preservation, protection and improvement of stock in entry 15 of list 2 in the 7th schedule of the constitution is a State subject and therefore the attention of the States/Union Territories has been again drawn towards the implementation of Article 48 of the Constitution as interpreted by the Supreme Court in the two judgements referred to above.

डी० टी० सी० बस चालक और संवाहक का दुर्व्यवहार

2069. **श्री भोला मांझी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 अक्तूबर, 1973 के 'पेट्रियट' (दिल्ली) में छपे पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें 24 अक्तूबर 1973 को रूट नं० 6 की बस संख्या डी० एल० पी० 4489 के चालक और संवाहक के व्यवहार की शिकायत की गई है ; और

(ख) क्या इसकी जांच करके कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना से जिस गाड़ी का संबंध है वह दिल्ली परिवहन निगम के नियंत्रण के अंतर्गत ठेका आधार पर चलाई जा रही एक प्राइवेट बस है । गाड़ी के मालिक के साथ किये गए करार की शर्तों के अनुसार गाड़ी के चालक के कथित दुर्व्यवहार के बारे में उसे एक "कारण बताओं" नोटिस जारी किया गया है । बस के कण्डक्टर जो कि एक दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी है के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

मछली संसाधनों के लिए अरब सागर में सर्वेक्षण

2070. **श्री सी० जनार्दनन**.
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में मछली संसाधनों का पता लगाने के लिये भारत के दक्षिणी तट पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से हाल ही में विशिष्ट हवाई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं ; और

(ग) सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हमारे मछली उद्योग के विकास के लिए क्या कोई उपयोग किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त समुद्री मत्स्य परियोजना ने 27-10-73 तथा 3-11-73 के बीच की अवधि में दक्षिण पश्चिमी तट पर कोचीन तथा मालवन के समुद्र का संयुक्त रूप से हवाई व समुद्रीय सर्वेक्षण किया था। यह दूसरा हवाई सर्वेक्षण है जो परियोजना द्वारा किया जाना है । पहला सर्वेक्षण अक्तूबर 1972 में किया गया था।

(ख) इस सर्वेक्षण से मैकरेल और सरडाइन जैसी समुद्री मछली की किस्मों के स्थानों के बारे में ऐसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध हुई है जिसके बारे में पहले कोई ज्ञान नहीं था । जहाजों पर लगे हुए ध्वनि सम्बन्धी यंत्रों की सहायता से समुद्र के आड़े और खड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और हवाई सर्वेक्षण से मछलियों के समूह के सतही क्षेत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है।

(ग) परियोजना द्वारा किए हुए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप संसाधनों उनके स्थान व बहुतायत सम्बन्धी पूर्ण जानकारी की प्राप्ति से संसाधनों के युक्तिसंगत समोपयोजन के कार्य में सहायता मिलेगी। इस से मछली पकड़ने के पोतों की किस्मों व मछली पकड़ने के उपकरणों के चुनाव में भी सहायता मिलेगी। परियोजना संसाधनों के अध्ययन में लगी हुई है। फिर भी पहले ही एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर पता लगाए गए संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

दक्षिण में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्पोर्टस की शाखा आरम्भ करना

2071. **श्री सी० जनार्दनन :**
[श्री श्रीकृष्ण नायर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्पोर्टस की एक शाखा तथा एक स्पोर्टस स्कूल आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या भारत सरकार के अधिकारियों के एक दल ने त्रिवेन्द्रम में स्पोर्टस स्कूल और एक प्रोदेशिक केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थान की सोसायटी का प्रस्ताव था कि दक्षिणी-प्रदेश में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला की एक शाखा खोली जाए । इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए सुसंगत आंकड़े एकत्र करने हेतु राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थान की सोसायटी द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने दक्षिण-प्रदेश के राज्यों का दौरा किया है । राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की सोसायटी के अभिशासी मंडल से अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है । पांचवीं योजना में खेलों के विकास के लिए आवंटित धन को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

देश के विभिन्न भागों में खेल-स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

नारियल, सरसों तथा अन्य खाद्य तेलों का राशन

2072. **श्री सी० जनार्दनन :**
[श्री रानेन सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं और इसकी उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने नारियल के तेल का राशन करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या होगा : और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य में सरसों के तेल या अन्य खाद्य तेलों का राशन किया गया है, यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान नारियल के तेल के मूल्य सामान्यत : स्थिर रहे हैं। वर्ष 1972-73 के लिए नारियल उत्पादन (जिस पर तेल का उत्पादन निर्भर है) के अखिल भारतीय अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1972-73 के व्यापक सूखे से गत वर्ष खाद्य तिलहनों की पैदावार में तेजी से कमी होने के कारण देश में खाद्य तेलों की कुल पूर्ति की स्थिति में कठिनाई रही है ।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये भूमि का आवंटन

2073. **श्री एम० कतामुत्तु :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार राज्यों ने भूमिहीन लोगों को मकानों के लिये भूमि का आवंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनायें मंजूर की गयी हैं ; और

(ग) राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य क्षेत्र में कितने भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये भूमि का आवंटन किया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) संभवतः यह प्रश्न ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को वास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना से सम्बन्धित है । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को वास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को देने के लिए मंजूर किए गये तथा विकसित किये गये वास-स्थलों की संख्या और मंजूर की गई तथा मुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण संलग्न है । इस योजना के अधीन किसी भी संघ राज्य क्षेत्र की कोई परियोजना अभी तक मंजूर नहीं की गयी है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में भुमिहीन श्रमिकों को वास-स्थल देने की योजना के अधीन आवंटद के लिए मजूर किये गये तथा विकसित किये गये वास-स्थलों की सख्का मजूर की गई और दी गई केन्द्रीय वित्तिय सहायता का विवरण-पत्र।

क्रम सं०	राज्य	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	वास-स्थलों की संख्या		केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
			विकास के लिए मंजूर	आवंटन के लिए विकसित किये गये	मंजूर की गई	मुक्त की गई
					(लाख रुपयों में)	
1.	बिहार	39	23,872	कुछ नहीं	45.82	11.45
2.	गुजरात	85	1,62,676	2,434	306.58	76.65
3.	हरियाणा	1	53	कुछ नहीं	0.08	0.02
4.	हिमाचल प्रदेश	5	430	कुछ नहीं	0.64	0.16
5.	कर्नाटक	109	1,72,597	14,295	239.38	59.84
6.	केरल	960	96,000	57,583	677.76	205.44
7.	महाराष्ट्र	83	1,08,962	7,322	164.56	41.14
8.	उड़ीसा	2	3,349	कुछ नहीं	8.40	2.10
9.	पंजाब	3	12,082	कुछ नहीं	31.68	7.92
10.	राजस्थान	20	8,141	प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	11.24	2.81
11.	तमिल नाडु	36	33,692	कुछ नहीं	75.51	18.88
12.	उत्तर प्रदेश	27	19,808	266	30.85	7.71
13.	पश्चिम बंगाल	12	11,166	कुछ नहीं	19.39	4.85
	कुल	382	6,52,828	81,900	1,611.89	438.97

नहावा शेवा पत्तन परियोजना

2074. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन में उपलब्ध डुबाव (ड्राट) बड़े जहाजों के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे माल लादने तथा उतारने में अधिक खर्च आता है ;

(ख) यदि हां, तो नूहावा शेवा पत्तन परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) विश्व नौवहन में प्रवृत्ति और खुले माल वाहक पोतों की धरा उठाई की अर्थ व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए बम्बई पत्तन में डुबाव अपर्याप्त कहा जा सकता है।

(ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना में न्यावा शेवा में उप-पत्तन की संरचना को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) न्हावा शेवा में उप-पत्तन की योजना में विकास के प्रथम चरण के तौर पर सीमित प्रवेश के साथ ज्वीरीय थाले के अन्दर 8 गहरे घाटों की व्यवस्था है। ये घाट 80,000 डी डब्ल्यू टी तक के खुले माल वाहकों को 42 फुट तक के डुबाव की व्यवस्था करेगा। पत्तन उर्वरक और कच्चे माल चीनी और खली और आधानों की धरा उठाई करेगा और यंत्रीकृत धरा उठाई सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में कुपोषण का मुकबला करने के लिए कार्यक्रम

2075. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता अभियान के कारण नगरों, गन्दी वस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में कुपोषण का मुकाबला करने पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम सप्ताह में केवल तीन दिन चलाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम को सप्ताह में छः दिन चलाने के लिये क्या अन्य उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारी वित्तीय दबाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिये विशेष पोषहार कार्यक्रम के अधीन भोजन खिलाने के दिनों की संख्या को कम करना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे पिछले वर्षों से उपलब्ध बचतों को देखते हुए बजट की स्थिति का पुनर्विलोकन करें और वर्ष के शेष भाग के लिए तदनुसार भोजन खिलाए जाने के दिनों का समायोजन करें। इस प्रकार उपलब्ध बचतों के अनुसार विभिन्न राज्यों में भोजन खिलाने के दिन भिन्न-भिन्न होंगे। कुछ राज्यों में जबकि एक मास में 25 दिनों की पूरी अवधि के लिए भोजन खिलाया जाता रहेगा अन्य राज्यों में इस अवधि को 12 दिनों से भी कम करना पड़ेगा। 6 करोड़ रुपये के अतिरिक्त नियतन के बिना जो पिछले वर्ष के स्तर पर कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है सभी राज्यों में एक मास में पूरे 25 दिनों के लिए इस कार्यक्रम को फिर से चलाना कठिन होगा।

वर्ष 1972-73 में कर्नाटक को उर्वरक का आवंटन

2076. **श्री पी० आर० शिनाय :**
श्री एस० बी० पाटिल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कर्नाटक सरकार द्वारा कुल कितने उर्वरक की मांग की गई है ;

(ख) उक्त राज्य को कितना आवंटन किया गया है ; और

(ग) मांगी गई मात्रा का आवंटन न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिये पोषक तत्वों के रूप में कुल 4.64 लाख मीटरी टन की मांग की थी। राज्य की इस वर्ष की मांग के विषय में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था और राज्य की

पिछली खपत तथा वर्ष 1973-74 के प्रस्तावित कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 2.71 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की सप्लाई करने का निर्णय किया गया था। राज्य सरकार के अथशेष स्टाक को घटाने के पश्चात् राज्य की पोषक तत्वों की निवल मांग 2.51 लाख मीटरी टन तय हुई थी।

(ख) अब तक देशी विनिर्माताओं तथा केन्द्रीय उर्वरक पूल से कुल 2.09 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की मात्रा आवंटित की गई है। नवम्बर 73 से जनवरी 74 तक की तिमाही के दौरान पूल से उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा आवंटित होने की सम्भावना है।

(ग) आयात तथा विश्व-बाजार में उर्वरकों की अधि प्राप्ति की कठिनाइयों के कारण राज्य को मांग की तुलना में कम उर्वरक दिया गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय को टायरों की आवश्यकता

2077. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की टायरों की कुल आवश्यकता पूरी हो जाती है,

(ख) यदि नहीं, तो कितनी मांग पूरी नहीं की जाती है; और

(ग) उक्त कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय में स्टाफ कार के तौर पर प्रयोग होने वाली कारों तथा जीपों के लिए टायर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राज्य सड़क परिवहन निगम की अपनी बसों के लिए टाइरों की आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से हो रही है या नहीं। यदि हां, तो स्थिति यह है कि इन उपक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नही हो रही है।

(ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की संस्था द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार चालू वर्ष में राज्य परिवहन उपक्रमों को पूर्ति के सम्बन्ध में लगभग 90,000 टायरों की कमी होने की संभावना है। परन्तु इन उपक्रमों को टायरों की सप्लाई में कमी के संबंध में आटोमोटिव टायर आफ इंडिया का अनुमान बहुत ही कम है।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(1) टायर उद्योग से कहा गया है कि वह 1-1-1974 से एक वर्ष के लिए वस्तु निष्ठ के आधार पर राज्य परिवहन उपक्रम की मांग का हिसाब लगाये।

(2) यह सहमति हुई है कि ऐसे उपक्रमों के लिए टायरों का कोटा 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये ताकि उनकी मौजूदा कमी को दबाया जा सके।

(3) आटोमोटिव टायर इंडस्ट्री आफ इण्डिया अतिरिक्त पारियों में काम करके विभिन्न श्रेणियों/आकारों के टायरों जिनकी इस समय कमी है, का अधिकतम उत्पादन करने हेतु सहमत हो गई है।

Applications for Milk Tokens Pending with DMS

2078. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether lakhs of applications for milk-token are pending with the Delhi Milk Scheme at present; and

(b) if so, the number of milk-tokens likely to be issued till the 26th November, 1973 and since when these applications are pending and the time by which tokens would be issued to these applicants?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) The total number of pending applications for milk tokens as on 31-10-1973 is 88,147.

(b) As at present, the D.M.S. is not in a position to issue fresh milk tokens. The dates of the oldest applications in various categories in waiting lists are indicated below :—

Sl. No.	Category	Month of Registration of oldest application.
1.	(a) V.I.P.I.	February, 1971
	(b) V.I.P.II	October, 1971
2.	Medical	February, 1972
3.	Defence	February, 1972
4.	Govt. Officers.	October, 1971
5.	Other Govt. Employees.	July, 1970
6.	Special circumstances.	October, 1971
7.	General	December, 1968.

Delhi Milk Scheme is at present distributing milk to the extent of 100% of its installed handling capacity and, therefore, additional milk tokens can be issued in significant numbers, only when the installed capacity of the Scheme is increased from 300 lakh litres daily to 3.75 lakh litres daily. Work on the expansion of the Scheme is at an advance stage and is expected to be completed in about three months time, whereafter it would be possible to issue milk tokens to the majority of the applications who are presently on the waiting list.

Exhorbitant Price on Vanaspati Ghee During Diwali days

2079. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri G.P. Yadav :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether on the eve of Diwali, the traders in Delhi sold vanaspati ghee at exhorbitant rates;

(b) whether a tin of ghee which costs Rs. 132 was sold at Rs. 264/- per tin; and

(c) whether no action has been taken by Government against those traders because of their connivance with them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) (a) & (b) : The Delhi Administration had not received any such complaints.

(c) Does not arise.

Collision of Ship Carrying Food-Grains from Japan

2080. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a ship carrying food-grains from Japan collided with another ship near Singapur some time back ;

(b) whether the ship had not been insured and whether the ship and the food-grains loaded therein were all destroyed; and

(c) the causes and investigations of this incident and the reasons for which this ship was running without being insured ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamla Pati Tripathi): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

लोक सभा सचिवालय को अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की अनुमति देना

2081. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री धन शाह प्रधान :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय को अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने की अनुमति दी है;

(ख) लोक सभा सचिवालय को कितने क्वार्टरों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है, ये क्वार्टर कर्मचारियों को आवंटित किये जाने के लिए कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे और उक्त आवंटन का क्या आधार होगा; और

(ग) लोक सभा सचिवालय को कितनी भूमि उपलब्ध की गई है और उक्त निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) हाल ही में, सामान्य पूल वास के 402 रिहायशी क्वार्टर, लोक सभा सचिवालय के लिये पृथक पूल बनाने हेतु लोक सभा सचिवालय को सौंपे गये हैं।

जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, लोक सभा सचिवालय के लिये अतिरिक्त निर्माण कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है और उस उद्देश्य के लिये किसी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में आरम्भ की जा रही परियोजनायें

2082. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग आउटर हार्बर ड्राई डाक के अतिरिक्त केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में और कौन सी परियोजनायें आरम्भ कर रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : स्वीकृत परियोजनायें (विगम बन्दरगाह परियोजना और सूखी गोदी) और जो प्रगति पर हैं के ब्यौरा को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5808/73] ।

दूध की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली में सहकारी डेरियां

2083. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में दूध की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार दिल्ली के आस पास डेरी सहकारी समितियां आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यरूप दिये जाने की संभावना है तथा योजना सम्बन्धी अन्य विवरण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए योजनाओं की जांच की जा रही है।

ग्रंथालय अभियान को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी योजना

2084. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रंथालय अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के अनुरक्षण और विकास के अलावा, केन्द्रीय सरकार, देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता देती है। केन्द्रीय सरकार ने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की भी स्थापना की है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों के निकट सहयोग से पुस्तकालय सेवाओं के एक देश व्यापी तंत्र की स्थापना करने को सुदृढ़ करना और उसका प्रवर्धन करना है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के भाग के रूप में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान नव-साक्षरों के लिए एक ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पुस्तकालयों के तंत्र का विकास भी औपचारिक शिक्षा और सतत शिक्षा की योजना का एक प्रमुख अंग होगा।

हालांकि भारत के संघीय संविधान के अन्तर्गत कोई केन्द्रीकृत पुस्तकालय प्रणाली नहीं हो सकती, तथापि, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से, जहां भी संभव है, पुस्तकालयों के समन्वित विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता

2085. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अक्तूबर, 1973 को दिल्ली परिवहन निगम को कितनी बसों की आवश्यकता थी,

(ख) इस समय कितनी बसें सड़कों पर चल रही हैं; और

(ग) सरकार इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) अनुमान है कि दिल्ली परिवहन निगम को 1973–74 के दौरान यातायात की पूर्ति के लिए 1700 बसों की आवश्यकता होगी।

(ख) औसत रूप से प्रतिदिन लगभग 1250 बसें चल रही हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में निगम के बेड़े में 300 अतिरिक्त बसों के जोड़े जाने की आशा है। बस सेवाओं की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यकतानसार निगम का अतिरिक्त निजी बसों को किराये पर लेने का प्रस्ताव है। पांचवी योजना अवधि में प्रतिवर्ष 400 बसों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिनमें से 150 पुरानी बसों के स्थान पर और 250 बसों की वृद्धि होगी। निगम की गाड़ियों के लिए मरम्मत और देखरेख सुविधाओं के लिए प्रबल प्रयास किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में नई किस्म का बायरल एन्सीफ्लाइटिस रोग

2086. **श्री त्रिदिव चौधरी:**
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में गत कुछ मास में बार-बार फैलने वाले नई किस्म के वायरल एन्सीफलाइटिस रोग की ओर दिलाया गया है जिससे काफी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस रोग से प्रभावित क्षेत्र के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और क्या इसके विस्तार पर काबू पा लिया गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के चिकित्सा विशेषज्ञों के किसी केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों और चिकित्सा अनुसंधान निकायों से इस रोग विशेष के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विचार-विमर्श किया है और क्या इसके रोगाणुओं को सफलता-पूर्वक पृथक कर लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और वाइरस अनुसंधान संस्थान, पूना के चिकित्सा विशेषज्ञों के केन्द्रीय दलों ने इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों और आयुर्विज्ञान अनुसंधान से संबंधित स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता जैसे निकायों के साथ विशेष प्रकार के मस्तिष्कशीय की बीमारी पर विचार विमर्श किया। अन्वेषणों से पता चला कि यह रोग मच्छरों से फैला। इस रोग से मरने वालों के मस्तिक से निकाले गए पदार्थ के कुछ नमूने आसनसोल तथा वांकुडा से लिए गए और जपानी मस्तिष्कशोथ वाइरस को पृथक किया गया। इस वाइरस को मच्छरों से भी पृथक किया गया। इस विशेष प्रकार के वाइरस पर स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता विस्तृत अनुसंधान कर रहा है। इस रोग का प्रकोप अक्तूबर, 1973 के बाद से घट गया है और स्थिति काबू में है।

Varieties of wheat and Paddy Allotted to MP During 1973

2087. **Shri G. G. Dixit :**
Dr. Laxmi Narayan Pandeya :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the break-up showing the quantity of various varieties of wheat and paddy allotted to Madhya Pradesh during the period from January, 1973 to October, 1973,month-wise, together with the rate of each variety as also the quantity demanded by Madhya Pradesh; and

(b) whether the people in Madhya Pradesh have to face and are facing great difficulties due to the non-supply of foodgrains in adequate quantity despite repeated demands by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasheb P. Shinde) : (a) & (b) No paddy was either demanded or allotted to Madhya Pradesh Government from the Central Pool during January, 1973 to October, 1973. The quantity of wheat demanded and allotted to the M. P. Government from the Central pool for the public distribution for the period January, 1973 to October, 1973 is as follows :—

Month	Quantity demanded	Quantity allotted
	(In thousands tonnes)	
January, 73	28.5	15.0
February	23.5	16.0
March	28.9	15.0
April	40.0	20.0
May	36.0	25.0
June	35.6	25.0
July	38.0	20.0
August	37.0	15.0
September	38.0	15.0
October	38.0	15.0

During the relevant period of supply, the Central issue price of wheat was Rs. 78/- per quintal.

Allotments from the Central Pool are made to the State Governments keeping in view the overall availability of stocks in the Central Pool and the relative needs of the other States.

Scheme to overcome water crisis in Burhanpur Madhya Pradesh

2088. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there is a crisis of drinking water in the various 'muhallas' under Burhanpur Municipality (Madhya Pradesh);

(b) if so, whether Madhya Pradesh Government have submitted a scheme to Central Government for seeking solution of the crisis; and

(c) if so, the details thereof and Government's reaction in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, there is a scarcity of drinking water due to limited source of water supply in the city.

(b) & (c) A scheme for augmenting water supply to Burhanpur is under preparation by the Public Health Engineering Department of Madhya Pradesh Government. The Scheme is based on the Nawatha Dam multi-purpose project on Tapti river. The question of reaction of the Central Goverment, if any will arise only after the scheme is finalised.

Dairies Cattle Breeding in Madhya Pradesh

2089. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the districts of Madhya Pradesh in which Government propose to start dairies and intensive schemes for cattle breeding during the coming five years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : The Madhya Pradesh Government proposes to start dairy schemes in Khargone, Tikamgarh, Ranjandgaon, Surguja, Morena and Panna districts of the State. It also proposes to start Cattle Breeding Schemes in Bilaspur, Shajapur, Balaghat, Chatarpur, Panna, Rewa, Khandwa, Chhindwara, Khargone, Mandla, Hoshangabad, Satna, Jhabua, Dhar, Surguja, Bastar Sooni, Rajgarh, Ratlam, Guna, Raigarh, and Durg districts.

Drinking Water Scheme for Indore Division in Madhya Pradesh

2090. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of schemes relating to supply of drinking water sanctioned so far in the rural areas of Indore Division in Madhya Pradesh and the main features thereof;

(b) the estimated expenditure involved in these schemes and the number of villages covered thereunder as well as the number of persons likely to be benefited by the implementation of the scheme;

(c) the date on which these schemes were started as also the time by which they are likely be completed ; and.

(d) the progress made in this regard in Burhanpur Tehsil of East Nimar District ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Presumably the Question refers to rural water supply schemes under the Central Accelerated Rural Water Supply Programme. Under this programme water supply schemes for 134 villages in Indore Division of Madhya Pradesh have been approved for implementation. These include drilled tube-well schemes, pump and tank schemes and piped water supply schemes.

(b) The total estimated cost of these schemes is Rs. 37,15,000/- . These schemes will cover a population of 90,988.

(c) The approval for implementation of these schemes was communicated to State Government on 28th August, 1972. The State Government were sked to select schemes for implementation out of these approved schemes so as to limit the expenditure to the allocation made. As per the terms of the Scheme, these were to be completed by the end of 1973-74 subject to availability of required funds.

(d) No Scheme for Burhanpur Tehsil has been included under this programme.

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा का निर्माण कार्य बन्द होना

2091. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा का निर्माण कार्य, काफी धन खर्च करने के बाद स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) उक्त मंडल के लिए प्रयुक्त विभिन्न भवनों तथा अन्य आवास-स्थानों अन्य सुविधाओं का वार्षिक किराया तथा दो स्थानों की देख-रेख को लागत और अप्रयुक्त पड़ी निवेश योग्य राशि पर ब्याज की राशि कितनी है; और

(ग) उक्त मंडल अपने भवन में कब तक जा सकेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) संसाधनों की तंगी के कारण चौथी योजना की अवधि में उक्त स्थान पर निर्माण कार्य शुरू न हो सका। केवल 15 एकड़ भूमि का एक प्लाट अधिग्रहित किया गया है और उसकी सुरक्षा के लिए चार दिवारी बना दी गई है।

आगरा में मण्डल के किराये के भवनों की देख-रेख और किराये का वार्षिक खर्च लगभग 1.32 लाख रुपये है। उपर्युक्त भूमि की बढ़ रही कीमत उसके ब्याज से कहीं अधिक है।

आगरा में मण्डल के भवन निर्माण का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जाएगा।

गुजरात द्वारा अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले मूंगफली तेल पर शुल्क लगाने की अनुमति मांगना

2092. श्री एस० सुदर्शनन: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से अन्य राज्यों को भेजे जा रहे मूंगफली के तेल पर शुल्क लगाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

महाराष्ट्र में सहकारी समितियों द्वारा गेहूं का क्रय-विक्रय

2093. श्री आर० बी० बड़े: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को 120 रुपये से 140 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने और उसे 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचने का प्राधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा गत दो वर्षों में प्रति वर्ष कितना गेहूं खरीदा और बेचा गया है; और

(ग) क्या इन निश्चित दरों से अधिक दर पर गेहूं के क्रय विक्रय के लिये इसके अतिरिक्त किन्हीं अन्य संगठनों को भी प्राधिकृत किया गया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेडीकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए रक्षित स्थान

2094. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कालेजों में गत वर्ष कितने स्थान अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए रक्षित थे;

(ख) इनमें से कितने स्थान भरे गए और कितने खाली रहे; और

(ग) मेडिकल कालेजों में ये सीटें भरने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के जिलों में सूखा

2095. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 15 जिले सूखाग्रस्त हैं और केन्द्रीय अध्ययन दल ने पश्चिम बंगाल के सभी सूखाग्रस्त जिलों का दौरा नहीं किया;

(ख) क्या मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया तथा बीरभूम जिलों में गरीब आदिवासी रहते हैं और उनमें से अधिकांश को सूखा तथा अन्य दयनीय स्थितियों के कारण अपने घरबार छोड़ने पड़े हैं और जीवकोपार्जन के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया था कि हालांकि अधिकांश जिलों में सूखा पड़ा था लेकिन 1972 के दौरान 8 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। केन्द्रीय अध्ययन दल ने कुछेक प्रभावित जिलों का दौरा किया था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, सूखे की स्थिति में टैस्ट राहत कार्यों पर पैसा अर्जित करने के लिए काम ढूढ़ने के प्रयोजन हेतु लोगों का आना-जाना रहता है। राज्य सरकार ने प्रभावित जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए टैस्ट राहत कार्य खोलने, पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने, चारे और पशु-स्वास्थ्य संबंधी उपायों को बनाए रखने, मुफ्त सहायता सुलभ करने, मुफ्त आहार कार्यक्रमों, कृषि-ऋण देने आदि जैसे आवश्यक उपाय किए थे। राज्य सरकार को 1972–73 के दौरान 10.17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

देश के पूर्वी क्षेत्रों में सहकारी समितियां

2096. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या पूर्वी राज्यों में सहकारी आन्दोलन पूरे जोर शोर से नहीं चलाया गया ;

(ग) क्या हाल ही में पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियों के सम्बन्ध में मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन ने क्या करने के सुझाव दिये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) 1970–71 . . 62,149

1969–70 62,624

1968–69 67,778

(ख) पूर्वी राज्यों में सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है।

(ग) जी हां।

(घ) सम्मेलन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 12 व 13 अक्तूबर, 1973 को गौहाटी में हुए सम्मेलन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

1. प्राथमिक ऋण सोसायटियों में पूर्णकालिक सचिव होने चाहिए और इन सचिवों का एक संवर्ग होना चाहिए।

2. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले उधारों और जमाराशियां जुटाने के बीच जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है वह इस क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

3. उन क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक कमजोर हैं, राज्य सहकारी बैंक कृषि वित्त प्रदान करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उपयुक्त मामलों में, सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक के साथ मिला दिया जाना चाहिए, जैसा कि पश्चिम बंगाल के मामले में किया गया है।

4. तकवी ऋण सहकारी सोसायटियों के माध्यम से दिए जाने चाहिए।

5. राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जहां सहकारी सोसायटियां कमजोर हैं, वित्त प्रदान करने का कार्य आरम्भ करना चाहिए। उनकी वर्तमान प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है।

6. सहकारी शहरी बैंकों के पास फालतू निधियां हैं। ऐसे प्रबन्ध करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए जिनसे ग्रामीण ऋण से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा इन निधियों का उपयोग किया जा सके।

7. सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण-पत्र जारी करने अथवा सावधि जमाराशियां एकत्र करने की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरह कृषि पुनर्वित निगम को पिछड़े जिलों में ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए।

9. शीर्ष सहकारी विपणन परिसंघ तथा नीचे के स्तर की सोसायटियों को किसानों से खरीद करने के कार्यों में पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए।

10. प्रस्तावित राज्य खाद्य/सिविल पूर्ति निगमों और सहकारी सोसायटियों के बीच निकटतम संभव समन्वय होना चाहिए और उनकी भूमिकाओं की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए और इन निगमों की स्थापना से राज्य परिसंघों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

11. भारतीय खाद्य निगम राज्य खाद्य विभागों द्वारा सहकारी चावल मिलों का उपयोग एकमात्र अपने धान की कस्टम मिलिंग के लिए किया जाना चाहिए।

12. सहकारी चावल मिलों के बारे में लेवी नीतियां इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, जिससे कि सहकारी सोसायटियों को हानि न हो और वे लाभकर आधार पर चल सकें।

13. नैफेड को चाहिए कि वह बाजार में प्रवेश करे और उत्तर-पूर्वी परिषद् की सम्भव सहायता से इस क्षेत्र में पैदा होने वाले अनन्नास, संतरे, कटहल, आलू अदरक तथा दूसरी महत्वपूर्ण बागानी उपज जो जल्दी खराब हो जाती है, के उगाने वालों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करे। उन्हें चाहिये कि वे इन वस्तुओं के लिए विधायक तथा शीत भण्डारों की सुविधायें भी स्थापित करें।

14. भारतीय जूट निगम को चाहिए कि वह सहकारी सोसायटियों के साथ उनके अभिकरण के माध्यम से जूट खरीदने के बारे में दीर्घकालीन प्रबन्ध करे। भारतीय जूट निगम के बोर्ड में सहकारी हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

15. पूल उर्वरकों की पूरी मात्रा सहकारी सोसायटियों के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए। देसी उर्वरकों की अधिकांश मात्रा सहकारी सोसायटियों के माध्यम से वितरित करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

16. उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को अत्यावश्यक पदार्थों तथा बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण करने की सहकारी प्रणाली का प्रसार किया जाना चाहिए, उसे मजबूत बनाया तथा विकसित किया जाना चाहिए।

17. इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा की विस्तृत तथा गहन सुविधाओं की आवश्यकता है।

18. पूर्वी क्षेत्रों में मछली पालन, डेरी पालन तथा कुक्कुटादि पालन सहकारी सोसायटियों तथा सहकारी वन श्रमिक सोसायटियों के कार्यक्रमों को उपयोगी ढंग से आरम्भ किया जाना चाहिए तथा उनका विस्तार किया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी सोसायटियों को चाहिए कि वे सदस्यों को एकीकृत सेवाएं सुलभ करें।

वर्ष 1973 के दौरान पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का कोटा

2097. श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री माधुर्य हालदार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को आबंटित किया जाने वाला खाद्यान्न का मासिक कोटा कितना है ;

(ख) फरवरी से सितम्बर, 1973 के दौरान खाद्यान्न की कितनी मांग रही और वस्तुतः कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया; और

(ग) राज्य सरकार की मांग के अनुसार पूरा कोटा सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) किसी राज्य के लिए खाद्यान्नों का कोई निर्धारित कोटा नहीं है । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार को खाद्यान्नों की यथासम्भव अधिक से अधिक सप्लाई की जा रही है ताकि राज्य में सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

फरवरी से सितम्बर, 1973 के महीनों के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग	सप्लाई की गई मात्रा
फरवरी	170.0	132.1
मार्च	175.0	144.9
अप्रैल	175.0	131.2
मई	195.0	168.0
जून	205.0	159.7
जुलाई	240.0	161.8
अगस्त	240.0	175.8
सितम्बर	240.0	140.4

पोलैंड के पत्तनों से होकर गुजरने वाले पारगमन माल की ढुलाई में सहयोग देने के लिए पोलैण्ड के साथ करार

2098. श्री एम० एस० संजीवी राव :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड पत्तनों से होकर गुजरने वाले पारगमन माल की ढुलाई में सहयोग देने के लिए पोलैण्ड के साथ करार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पोलिश पत्तनों से होकर गुजरने वाला पारगामी माल अधिकतर चैकोस्लाव पोत वणिकों/प्रेषितियों का होता है । इस माल का नियंत्रण चैको फ्रांच द्वारा किया जाता है। चैकोफ्रांच प्रतिनिधियों का एक दल पारगामी माल के प्रश्न पर भारतीय नौवहन कम्पनियों के साथ वाणिज्यक बातचीत के लिए भारत में मौजूद है ।

मार्च/अप्रैल 1973 में पोलैण्ड के नौवहन मंत्री के भारत के दौरे के दौरान इस प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था और यह सहमति हुई थी कि जहां तक सम्भव हो, दोनों पक्ष आपसी बातचीत से ऐसे माल की व्यवस्था करने के प्रयत्न करेंगे और पोलैण्ड वाले समानता के आधार पर, भारत को ऐसा माल प्राप्त करने में सहायता करेंगे ।

दिल्ली में स्कूल परीक्षा के ढांचे में परिवर्तन

2099. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी स्कूल परीक्षा के ढांचे में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई इस सिफारिश के अनुसरण में, कि देश में शिक्षा की एक समान पद्धति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें 10 वर्ष की प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा शामिल है, और उसके बाद दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा उसके बाद तीन वर्षों का डिग्री पाठ्यक्रम है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वीं कक्षा के अन्त में और 12 वीं कक्षा के अन्त में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । दिल्ली में इस सिफारिश को कार्यान्वित करने और साथ साथ दो स्तरों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित ब्यौरों की जांच कर रहा है ।

भारतीय इतिहास और संस्कृति पर नई पुस्तकें

2100. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् भारतीय इतिहास और संस्कृति पर नयी पुस्तकें प्रकाशित करने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जो इस प्रस्ताव के सम्पादकीय बोर्ड में हैं ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां । भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने भारतीय संस्कृति के विषय में एक संसाधन पुस्तक प्रकाशित करने की एक परियोजना प्रारम्भ की है ।

(ख) इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा साथ ही सुविज्ञ सामान्य जन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आदि ऐतिहासिक काल से लेकर समकालीन दशाब्दियों तक के भारत के सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक इतिहास का, ऐतिहासिक स्त्रोतों से, उपयुक्त व्याख्याओं सहित, उद्धरणों का एक सकलन तैयार करना है ।

(ग) इस परियोजना के मार्ग दर्शन के लिए गठित सलाहकर मंडल में, जिसे सम्पादन का कार्य भी सौंपा गया है, निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :–

1. प्रोफेसर आर० एस० शर्मा,
2. प्रोफेसर रोमिला थापर,
3. प्रोफेसर सतीश चन्द्र,
4. प्रोफेसर, इरफान हबीब,
5. प्रोफेसर एस० गोपाल
6. प्रोफेसर वरुन डे,
7. प्रोफेसर निहार रंजन रे—परियोजना निदेशक ।

(घ) मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये भारतीय ऐतिहासिक अनुसधान परिषद् को अब तक 25 000 रुपये की राशि दी है । आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

वृद्धावस्था पेंशन पुनः आरम्भ करना

2101. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना को पुनः आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां तो इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय भाषा वैज्ञानिक सम्मेलन

2102. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1973 में आगरा में दो-दिवसीय अखिल भारतीय भाषा वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और संस्कृत के प्रचार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) अखिल भारतीय भाषा वैज्ञानिक सम्मेलन आगरा में 19 और 20 अक्तूबर 1973 को आयोजित हुआ था । सम्मेलन ने कोई सिफारिश नहीं की थी क्योंकि उसका उद्देश्य भाग लेने वालों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसंधान निबन्धों पर चर्चा करना था तथापि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और उसके विकास के लिए उत्तरोत्तर भरसक कदम उठा रहा है । इसी बीच आधुनिक भाषाई टेक्नालोजी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर संस्कृत पढ़ाने के लिए पद्धतियां और अध्यापन सामग्री तैयार कर रहा है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में संस्कृत के अध्ययन और उसके विकास के लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । तीसरी पंच वर्षीय योजना में उस व्यवस्था को बढ़ाकर 75 लाख रुपये और चौथी पंच वर्षीय योजना में 275 लाख रुपये कर दिया गया था । पांचवीं पंच वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में इसके भी अधिक योजना विनिधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

एन० एस० एस० इन पटना वर्सिटी बीकम्स एन० आर० एस० एस० सैल, शीर्षक से समाचार

2103. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर 1973 के 'पेट्रियट' में एन० एस० एस० इन पटना वर्सिटी बीकम्स एन० आर० एस० एस० सैल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार, इस मामले की जांच कर रही है ।

सड़कों का विकास

2104. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में सड़कों के विकास के लिए सरकार का कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है,

(ख) देश में राज्यवार, कौन कौन सी सड़कों का विकास किया जाएगा, और

(ग) राजस्थान और जयपुर जिले में कितनी धन राशि खर्च की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) चूंकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, अतः मामले में किसी प्रकार की सूचना देना समय पूर्व होगा ।

यमुना नगर, पंजाब में धान की फसल को नये प्रकार का रोग लग जाना

2105. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नगर क्षेत्र में धान की फसल को नये प्रकार का रोग लग गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक अभी तक धान के रोग के नाम और उसके निदान का पता नहीं लगा पाये हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में इस रोग से धान की फसल को बचाने के लिए और देश के अन्य क्षेत्रों तथा भागों में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) यमुना नगर और करनाल में धान की खड़ी फसल के कुछ भागों में "ब्राउन प्लटि होपर बर्न" नामक कीट लग गए थे । यमुनानगर में 'जया' और नीलोकेरी में 'आई आर–8' जैसी किस्मों के दाने के पकने के समय क्षति पहुंची थी । इस कीट को नियंत्रित करने के लिए उस समय कोई उपाय नहीं किये जा सके । हाल की सूचनाओं के अनुसार यह समस्या देश के अन्य चावल उगाने वाले क्षेत्रों में भी मौजूद है । इस कीट की रोकथाम और इसे आगे और फैलने से रोकने के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे फोरेट तथा फ्यूरेडन (कारबू-फ्यूरन) के कणों आदि नियमित कीटनाशी औषधियों के प्रयोग जैसे वनस्पति रक्षण उपाय करें ।

गजेंद्रगडकर समिति की सिफारिशों के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा क्षोभ प्रकट करना

2106. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अनुसंधान परिषद के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिश के बारे में वैज्ञानिकों में काफी क्षोभ व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर वैज्ञानिकों के क्षोभ के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में कनिष्ठ अनुसंधान कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्मिक नीतियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के सम्बध में किए गए सरकारी निर्णयों के विषय में एक विवरण 12-11-73 को सभा पटल पर रख दिया गया था। सम्बन्धित निर्णयों को लागू करते समय वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा भेजे गए सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

2107. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों की सख्या कितनी है जिन्हें सरकारी क्वार्टर आवंटित किए गए हैं–

(ख) सभी सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सभी टाईपों में 75 प्रतिशत तथा अन्य नगरों में, जहां सामान्य पूल वास मौजूद हैं, 40 प्रतिशत परितुष्टि प्राप्त करने के प्रस्ताव को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया है ।

विवरण

उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या का विवरण पत्र जिन्हें सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में विभिन्न स्थानों पर टाईप वार सामान्य पूल वास में सरकारी आवास दिये गये हैं ।

स्थान टाईप	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	कुल
दिल्ली/नई दिल्ली	21	126	604	2248	5476	5186	16169	13607	43,437
कलकत्ता	—	2	111	140	123	506	603	179	1,664
बम्बई.	—	7	70	116	377	367	1169	374	2,480
शिमला	—	—	9	21	33	54	172	297	586
नागपुर	—	3	15	28	101	165	618	158	1,088
फरीदाबाद	—	—	16	52	140	200	664	330	1,402
मद्रास	—	—	16	30	—	168	99	84	397
चन्डीगढ़	—	—	2	4	24	48	200	80	358
कुल	21	138	843	2639	6274	6694	19694	15109	51412

इसके अतिरिक्त, दिल्ली/नई दिल्ली में 546 सरकारी कर्मचारी होस्टल तथा अन्य अवर्गीकृत आवास में रह रहे हैं ।

कुरनूल आन्ध्र प्रदेश में मिल्क पाउडर फैक्ट्री के लिए आवेदन-पत्र

2108. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरनूल, आंध्र प्रदेश में मिल्क पाउडर फैक्ट्री स्थापित करने के लिये एक प्राइवेट पार्टी ने आवेदन-पत्र भेजा है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त आवेदन-पत्र की जोरदार सिफारिश की है ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(घ) अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश के कुरनूल नामक स्थान पर दुग्ध चूर्ण कारखाना स्थापित करने के लिए किसी भी पार्टी ने अभ्यावेदन नहीं भेजा है । मैसर्स जगतजीत इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने रायलसीमा के कुड्डापाह नामक स्थान पर एक दुग्ध उत्पाद कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक अभ्यावेदन भेजा था ।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने लिखा है कि यद्यपि सरकार का उसी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का विचार है, तथापि, वहां एक अन्य एकक स्थापित करने की भी गुंजाइश है ।

(ग) जी हां ।

(घ) निरन्तर सूखा पड़ने और उसके बाद बाढ़ आ जाने के परिणामस्वरूप दुग्ध के उत्पादन में काफी कमी हुई है । तरल दूध की इस कमी से सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के दुग्ध संयंत्रों के लिए तरल दुग्ध वितरण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना भी कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त खाद्य तेलों की कमी होने से तरल दूध से घी और दुग्ध-चूर्ण आदि मंहगे दुग्ध उत्पाद बनाने की प्रवृति भी उत्पन्न हुई है जिससे उपभोक्ताओं, और विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों को तरल दूध सुप्लाई करने के कार्य पर प्रभाव पड़ेगा । तरल दुध के मूल्य स्थिर करने के लिए भारत सरकार ने दुग्ध उत्पाद कारखानों, और विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के सम्बन्ध में गहराई से विचार करना उपयुक्त समझा है । गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्मित शिशु-आहार आदि दुग्ध उत्पादों का मूल्य नियंत्रित न होने के कारण भी यह बहुत आवश्यक हो गया है । तरल दूध की खपत को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें विपुल धनराशि व्यय कर रही हैं और यदि उपलब्ध दूध से मंहगे दुग्ध उत्पाद बनाए जायें तो आपूर्ति तथा मांग के बीच असन्तुलन उत्पन्न हो जाएगा और इससे मूल्य भी बढ़ जायेंगे । इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र न तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में धन लगाते हैं और न ही कृषकों की सहकारी संस्थाओं के निर्माण में पूरी तरह से अपना योगदान प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य द्वारा स्वंय शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादित दूध को भी वे ले जाते हैं । सरकार की नीति गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी/सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद कारखाने स्थापित करने को प्रोत्साहन देने की है ।

रायलसीमा में एक दुग्ध उत्पाद कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का भी एक प्रस्ताव है जिसे गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

गेहूं, धाव, ज्वार और बाजरे के वसूली मूल्य में वृद्धि करने की मांग

2109. **श्री मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गेहूं, धान, ज्वार और बाजरे के वसूली मूल्य में वृद्धि करने की निरन्तर मांग का पता है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किए गए वसूली मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्गम मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने का अनुमान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित सभी संगत तथ्यों पर सांवधानीपूर्वक विचार करने के बाद देश भर में खरीफ मौसम 1973-74 के लिए धान की मानक किस्म और ज्वार का अधिप्राप्ति मूल्य 70 रुपये प्रति

क्विंटल और बाजरा का 72 रुपये प्रति क्विंटल का एक सा मूल्य निर्धारित किया गया है । आगामी रबी मौसम के लिए देय गेहूं का गारंटीशुदा (साहाय्य) मूल्य देशी लाल किस्म के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल और मैक्सिकन तथा देशी साधारण सफेद किस्मों के लिए 85 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । अधिप्राप्ति मूल्य कटाई के समय निर्धारित किए जाएगें ।

(ग) धान, चावल, मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप राज सहायता और घाटे की अर्थव्यवस्था पर भार को कम करने की आवश्यकता को ध्यानमें रखते हुए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में उपयुक्त समायोजन कर दिया गया है ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का शामिल न किया जाना

2110. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के स्कूलों में सेलेक्शन ग्रेड पाने वाले अध्यापकों के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2955 और दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9299 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन सं० 27-2-71 इस्टाब्लिशमेंट (एस० सी० टी०) के अनुसार उक्त वरिष्ठता सूचियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के अध्यापकों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मृत व्यक्तियों के नामों, उन व्यक्तियों के नामों को जो विभाग छोड़कर चले गये हैं/प्रतिनियुक्ति पर चले गये हैं, शामिल करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के काम के प्रति उदासीनता दिखाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है और का० ज्ञा० 27-2-71 एस्ट० (एस० सी० टी०), दिनांक, 27-11-1972 के अनुसार दिसम्बर, 1973 के मध्य तक आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए स्कूलों में परिचालित कर दी गई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है ।

अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, लाजपतनगर, नई दिल्ली और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट से हर्जाने की वसूली

2111. **श्री अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, लाजपत नगर, नई दिल्ली और डा० भगवान दास स्मारक से हर्जाने की वसूली के बारे में 3 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे हर्जाना वसूल करने के बारे में विचार किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति/पार्टी से कितनी धनराशि वसूल की जानी है ; और

(ख) हर्जाने की राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) तथा (ख) जिन व्यक्तियों से हर्जाना वसूल करने का विचार किया जा रहा है उन की सूची संलग्न है । प्रत्येक अनाधिकृत दखलकार से वसूल की जाने वाली हर्जाने की राशि का हिसाब लगाया जा रहा है । प्रभारों का हिसाब लग जाने के बाद, उन्हें वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी । प्रभारों की वसूली के लिये कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती ।

विवरण

अनाधिकृत दखलकारों की सूची जिन में भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के कर्मचारी शामिल है ।

क्रम संख्या दखलकारों का नाम

1. श्री डब्ल्यु० एस० वारमिंगाई
2. श्री कुमार पाल
3. कुमारी सरोज रमा मूर्ति
4. श्री बी० एस० चन्दन
5. श्री एस० बी० कटारा
6. श्रीमती बुद्ध वन्ती धर्मपत्नी श्री आया राम
7. श्री रोशन लाल शर्मा
8. श्री आर० एन० एबक
9. श्री गिराज परशाद
10. श्री बी० के० भटनागर
11. श्री डी० आरं० निम
12. श्री सुन्दर सिंह
13. श्री एस० सी० गुप्ता
14. श्री जसवन्त राय
15. श्री सुन्दर लाल शोबी
16. श्रीमती कस्तूरी देवी
श्री मोहन लाल } दोनों इकट्ठे रह रहे हैं ।
17. श्री अमीर चन्द
18. श्री गोबिन्द राय
19. श्री अमृत लाल, स्टेनो
20. श्री जगदीश लाल
21. श्री एन० एल० खुराना
22. श्री लाल चन्द
23. सरदार टेन्ट हाउस
24. श्री मूनलाईट वाशिंग फैक्टरी, रत्न लाल द्वारा
25. श्री खेदन/छोटे लाल माली
26. श्री डी० आर० शर्मा

क्रम संख्या दखलकारों का नाम

27. श्री ओ० पी० सक्सेना
28. श्री राजेश्वर सिंह
29. मोटर गराज
30. योग इन्स्टीट्यूट
31. क्लब
32. रघुनन्दन
33. पी० एल० ओ०
34. श्री तलवार-कंटीन के लिये प्रयोग में ला रहे है ।
35. श्री कौशी राम सिका
36. श्री आर० एन० गांजू
37. श्री भाटिया
38. श्रीमती दयन्ती अग्रवाल धर्मपत्नी श्री कंवरपाल, निदेशक
39. श्री जतिन्दर पाल चोपड़ा

आल इण्डिया ब्लाइंड एण्ड रिलीफ सोसाइटी, 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली

2112. **श्री अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री आल इंडिया ब्लाइन्ड एण्ड रिलीफ सोसाइटी, नई दिल्ली के बारे में 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ब्लाइंड एण्ड रिलीफ सोसाइटी, 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली की बेदखली के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उक्त सोसाइटी ने सरकार को भूमि अध्यर्पित कर दी है लेकिन वास्तविक कब्जा अभी तक नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थान के वास्तविक कब्जे के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) परिसर का दखल लेने के लिए अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने हेतु, कानून के अधीन अपेक्षित कार्यवाही आंरभ की गई है ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिये चुने गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार

2113. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने विभिन्न पदों के लिए कुल कितने उम्मीदवारों का चुनाव किया गया ;

(ख) इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हुए थे और सुरक्षित स्थान रिक्त पड़े रहे थे अथवा उन्हें भर दिया गया था।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) :

वर्ष	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
1970-71	994
1971-72	1384
1972-73	2320
जोड़	4698

(ख) :

वर्ष	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
1970-71	32
1971-72	29
1972-73	90
जोड़	151

(ग) क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं थे, इसलिये आरक्षित रिक्तियों को जेनरल पैनल में से नितांत रूप से तदर्थ आधार पर अस्थायी तौर पर भर लिया गया था।

Complaints about Material used in D.D.A. Flats

2114. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the allottees of the flats constructed by the Delhi Development Authority have complained about the material used in their construction;

(b) if so the particulars of the complaints received in this regad and whether any action has been taken thereon so far; and

(c) whether Government propose to entrust the enquiry into the construction of flats by the D.D.A. to any other agency to find out the factual position in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) The complaints are generally about defective wood-work, sanitary fittings, floor levels and plaster. These are attended to by the D.D.A. and the defects rectified to the extent possible.

(c) Allottees have been given the opportunity to have the materials used tested at the Alipore Test House, Calcutta.

Bags of Wheat and Sugar got Rotten in F.C.I. Godowns, Bhopal

2115. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether thousands of bags of wheat have got rotten in the Food Corporation of India's Godowns in Bhopal;

(b) whether the attention of Goverment have been drawn towards the news-items in 'Swadesh' dated the 20th September, 1973, a daily published from Indore, that in addition to wheat, thousands of bags of sugar have also got rotten; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) It is not a fact that thousands of bags of wheat have become rotten in the Food Corporation of India's godowns in Bhopal. Only 83 bags of wheat got wet due to Flood water entering the storage godowns at Ashta. These bags were transported to and salvaged at Bhopal and the quantity found to be damaged was 9.5 quintals.

As regards sugar, stocks carried in 37 wagons of the Railways got 'water affected' and after salvaging it was found that only 4 tonnes were unfit for issue. Another about 1.8 quintals were lost as a result of flood water entering godown at Ashta and 0.2 quintals in transit from Sehore to Bhopal.

Value of sugar lost is Rs. 9,043 and that of wheat approximately Rs. 795 . Wherever damage occurs in rail transit, claims are lodged with the carriers.

Percentage of Illiteracy in cities and villages

2116. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the percentage of illiteracy in the cities and villages separately;

(b) whether the percentage of illiteracy is high among the age goup between 15 to 25 years; and

(c) the steps proposed to be taken by the Government to lower the percentage among this age-group ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The illiteracy rates as revealed by the 1971 census are :

Rural	75.26%
Urban	47.56%

(b) The percentage of illiteracy in the age group 15-24 is estimated to be 52.53.

(c) The Fifth Plan proposals envisage coverage of a sizeable number of illiterate youth in the age group 15-25 years by a non-formal education-cum-literacy programme.

सिंचित रकबे के आधार पर रबी और खरीफ फसल के लिए उर्वरक का आवंटन

2117. **श्री वी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आवंटन के प्रश्न पर विचार करते समय विभिन्न राज्यों के सिंचित रकबे पर भी ध्यान दिया जाता है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में सिंचित रकबे का ब्यौरा क्या है और खरीफ के लिए कितना उर्वरक आवंटित किया गया और रबी के लिए कितना उर्वरक देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों के आवंटन के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। विभिन्न राज्यों की उर्वरकों की स्वीकृत मांग का अनुमान लगाते समय अन्य बातों के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखी गई है और इस के पश्चात् उर्वरकों के आवंटन के विषय में निर्णय करते समय भी यह बात ध्यान में रखी गई थी।

(ख) विभिन्न राज्यों की सिंचित भूमि तथा 1973 के खरीफ व 1973-74 के रबी के मौसम के दौरान इन राज्यों की उर्वरकों की स्वीकृत मांग को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबंध 1) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5809/73]**

(ग) उर्वरकों की मांग का अनुमान लगाने के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश के संबंध में वही मापदण्ड अपनाया गया था जो कि अन्य राज्यों के मामले में अपनाया गया था। आवंटन के संबंध में भी कोई अन्याय नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में 'रेड हेयरी केटरपिलर' कीट से मूंगफली फसल को क्षति

2118. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अन्य रायलसीमा जिलों में "रेड हेयरी केटरपिलर कीट" बहुत अधिक हैं जिसने मूंगफली की फसल को भारी क्षति पहुंचाई है ; और

(ख) क्या इस कीट (पैस्ट) को समाप्त करने के लिये सरकार कोई अभियान लायेगी और अभियान की सहायता करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) चित्तूर, कुडप्पा और अनन्तपुर जिलों में 68,000 एकड़ क्षेत्र पर लगभग 8 से 10 प्रतिशत असर पड़ा था। राज्य सरकार ने तत्काल पौध संरक्षण उपायों की व्यवस्था की और 57,000 एकड़ क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। किसानों को नियंत्रण कार्यों के लिये रसायनों की खरीद के लिए अल्पकालीन ऋण दिया गया था। ये कीट इसी क्षेत्र में सीमित हैं और भारत सरकार ने स्थानिक मारी के क्षेत्रों में कीटों तथा रोगों की रोकथाम के लिए भूमि से 10,000 एकड़ के क्षेत्र में छिड़काव हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता की मंजूरी दी है।

अगरतला में विषैला गेहूं खाने के कारण मरे व्यक्ति

2119. श्री राम कंवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टेट्समैन" दिनांक 23 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा के अगरतला में विषैला गेहूं खाने के बाद तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Performance of Tubectomy Operation on a woman of Bagichi Alauddin near Motiakhan, Delhi

2120. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Secretary of All India Depressed Classes Federation lodged a complaint that tubectomy operation was performed on a woman of Bagichi Alauddin near Motia Khan, without her knowledge when she came for treatment to Motia Khan Family Planning and Maternity Centre, as reported in 'Nav Bharat Times' dated the 31st August, 1973; and

(b) if so, the facts thereof and the steps proposed to be taken to stop recurrence of such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) and (b) No complaint was received as reported in Nav Bharat Times dated 31-8-1973. Tubectomy operations are not performed at all at Motia Khan Family Planning Centre as it is not equipped for undertaking sterilization operations.

Grants to Rajasthan for preservation of Forests

2121. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount granted by the Central Government to Rajasthan State during the last two years for the preservation of forest and aforestation;

(b) the number of saplings of various varieties and the places where they were planted in Rajasthan; and

(c) the number of the saplings that survived as also of those which withered?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) Information is being collected and the reply will be placed on the table of the Lok Sabha in due course.

शुष्क प्रदेश में खाद्य उत्पादन

2122. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 राज्यों में काश्त वाली भूमि का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क प्रदेश में है ;

(ख) यदि हां, तो इस शुष्क प्रदेश में खाद्यान्न का कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) शुष्क प्रदेश को हरियाली वाले क्षेत्र में बदलने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न और उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों द्वारा गुजरात तट से दूर मछलियां पकड़ा जाना

2123. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ अन्य देश गुजरात तट से दूर मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन से देश इस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं ; और

(ग) उनको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पता चला है कि जापान, कोरिया, तायवान, रूस और भारतीय समुद्र की सीमा से लगते हुए देशों के विदेशी जहाज हमारी समुद्री सीमा से दूर खुले समुद्र में मछली पकड़ते हैं। इनमें से कुछ जहाज हमारी समुद्री सीमा से परे गुजरात के तट से दूर मछली पकड़ते हैं। तट से 12 मील की दूरी तक हमारी समुद्री सीमा में विदेशी जहाज आने के कुछ ही उदाहरण हैं।

(ग) वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत विदेशी जहाजों को समुद्री-सीमा से दूर खुले-समुद्र में मछली पकड़ने से नहीं रोका जा सकता। भारत और अन्य देशों ने युनाइटेड नैशन्स सोबैड कमेटी आदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एकमात्र तटीय देशों द्वारा समुद्री-सीमा से दूर मछली पकड़ने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रश्न उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प के अनुपालन में वर्ष 1974 में होने वाले समुद्र नियम संबंधित सम्मेलन में इस महत्वपूर्ण मामले पर भी विचार किया जाएगा।

धान और चावल की वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश

2124. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ फसल के लिए किसी राज्य सरकार ने धान और चावल वसूली आदेश की उद्घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और आदेश का राज्यवार सारांश क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात को गेहूं और मोटे अनाज का आवंटन और उस राज्य में राशन का कोटा

2125. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अप्रैल को गेहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद से गुजरात राज्य की मांग और गुजरात को आवंटित गेहूं और मोटे अनाज का माह-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या खाद्य कोटा के अपर्याप्त आवंटन के कारण राज्य सरकार को राशन की मात्रा में भारी कमी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोटे की मात्रा में की गई कमी को समाप्त किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गुजरात सरकार ने अप्रैल, 1973 से नवम्बर, 1973 की अवधि में गेहूं और मोटे अनाजों की जितनी मात्रा मांगी थी और उन्हें जो मात्रा आवंटित की गई थी, उसे बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भंडार में स्टाक की कुल उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर राज्य सरकारों को आवंटन किए जाते हैं। उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के आन्तरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार उचित मूल्य की दूकानों से प्रति व्यक्ति सप्लाई किये जाने वाले राशन के कोटे को समय-समय पर निर्धारित करती है जोकि मांग, खुले बाजारों में और राज्य सरकार के पास खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करती है।

विवरण

गुजरात द्वारा मांगी गई और उन्हें आवंटित की गई गेहूं और मोटे अनाजों की मात्रा

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन	
	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
अप्रैल, 1973 . .	75.0	30.0	32.0	25.0
मई, 1973 . .	100.0	30.0	76.0	20.0
जून, 1973	100.0	30.0	76.0	22.0
जुलाई, 1973 .	100.0	30.0	60.0	25.0
अगस्त, 1973 .	100.0	30.0	50.0	25.0
सितम्बर, 1973	100.0	30.0	30.0	30.0
अक्तूबर, 1973	100.0	30.0	30.0	25.0
नवम्बर, 1973 . . .	110.0	20.0	15.0	20.0

बंगला देश द्वारा सरसों और बिनौलों का आयात

2126. **श्री सरजू पाण्डे**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने सरसों और बिनौले का आयात करने के लिये भारत सरकार से कोई आवश्यक परमिट देने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) बंगलादेश कृषि विकास निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार से 4 मीटरी टन सरसों का बीज सप्लाई करने का अनुरोध

किया। भारत सरकार ने इन बीजों की सप्लाई करने की अनुमति दे दी थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीजों की सप्लाई की जा चुकी है। निगम पश्चिम बंगाल सरकार से 2 मीटरी टन कपास के बीज भी आयात करना चाहता था जिसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक अनुमति भी दे दी थी। तथापि, राज्य सरकार ने सूचना दी है कि निगम ने बाद में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया है कि बीजों की आवश्यकता नहीं थी।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन और विकेन्द्रीकरण

2127. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन और विकेन्द्रीकरण करने संबंधी केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के निर्णय पर राज्य सरकारों ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जहां बिहार, कर्नाटक और तमिल नाडु की सरकारों ने इस प्रयोजन हेतु पहले ही सिविल सप्लाई निगम स्थापित कर लिए हैं ; वहां कुछेक अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने की ओर इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में विश्व बैंक के चैयरमैन के विचार

2128. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मेकनमारा के विचार में भारत को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये उन कृषि प्रधान देशों में शामिल होना चाहिए जो विश्व में खाद्य संकट दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय योजना के संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक-शास्त्र विभाग का आयन मंडल अनुसंधान केन्द्र

2129. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक-शास्त्र विभाग का आयन मंडल अनुसंधान केन्द्र कब संगठित किया गया था ;

(ख) इस केन्द्र द्वारा वर्षवार कितनी अमरीकी सहायता प्राप्त की जाती है और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं।

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के एक सदस्य ने इस केन्द्र के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय से एक विवरण मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) आयन मंडल के अध्ययन के लिए अनुसंधान योजना मूलतः दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में 1965 में शुरू की गई थी। 1972 में योजना के उपस्कर और अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं को कैम्पस से आयन मण्डल अनुसंधान केन्द्र के वर्तमान भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ख) विश्वविद्यालय को अमरीकी सरकार से अमरीकी पी० एल० 480 रुपयों की राशि में से निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई है :—

वर्ष	प्राप्त अनुदान (रुपयों में)
1965–66	2,70,000
1966–67	35,000
1967–68	1,00,000
1969–70	1,82,500
1970–71	60,584
1971–72	2,24,452
1972–73	37,464
कुल	9,10,000

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के एक सदस्य ने कुलपति का ध्यान स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया और सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को केन्द्र के कार्यकलापों, निधियों के स्रोत और साथ ही उसकी भावी योजनाओं के बारे में एक सार्वजनिक ब्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने समाचारपत्र के संपादक को पत्र भेज कर समाचार-पत्र में लगाए गए आरोपों का खण्डन किया।

दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में किये गये बन्ध्यकरण आपरेशन

2130. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कितने बन्ध्यकरण आपरेशन किये गये ;

(ख) इस प्रकार का आपरेशन कराने वाली महिलाओं के शरीर के अंगों में सूजन होने के बारे में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों का इलाज कर दिया गया और कितनों का अभी भी इलाज चल रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में किये गये बन्ध्यकरण (ट्यूबेक्टामी) आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :--

1971–72	5431
1972–73	8043
1973–74	3252 (सितम्बर, 73 तक)

(ख) केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। जांच से पता चलता है कि सूजन का आपरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसदीय कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2131. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय काम कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (श्रेणी-वार) की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित कितने स्थान रिक्त पड़े थे और कितने रिक्त पद अगले वर्ष ले जाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) संसदीय कार्य मंत्रालय में इस समय काम कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का श्रेणीवार विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

अवर सचिव	1
सहायक	4
उच्च श्रेणी क्लर्क	2
निम्न श्रेणी क्लर्क	2
स्टेनोग्राफर ग्रेड 3	1
स्टाफ कार चालक	1
डाक सवार	1
जमादार	1
चपरासी	4
सफाई कर्मचारी	2
जोड़	19

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित और अगले वर्ष ले जाये गये स्थानों की संख्या (श्रेणी-वार) नीचे दिखाई गयी है।

स्थायी अथवा बिल्कुल अस्थायी पद	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए सुरक्षित और अगले वर्ष ले जाये गये पदों की संख्या	श्रेणी
स्थायी	1	2 और 3
बिल्कुल अस्थायी	1	—तदैव—
जोड़	2	

टिप्पण : अनुसूचित जातियों और [अनुसूचित जनजातियों के लिए नियमित/स्थायी आधार पर तथा बिल्कुल अस्थायी आधार पर भरे जाने वाले स्थानों का रोस्टर अलग-अलग रखा जाता है। क्योंकि श्रेणी 2 (अराजपत्रित) तथा श्रेणी 3 के स्थानों को एक साथ मिला दिया गया है अतः उपर्युक्त जानकारी इकठ्ठी दी गयी है।

(ग) भरसक प्रयास के बावजूद उम्मीदवारों के न मिलने के कारण ।

वनस्पति संरक्षण के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन

2132. श्री बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :]

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति संरक्षण के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन का नौवां अधिवेषन अभी हाल में दिल्ली में आयोजित किया गया था :

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की वनस्पति रक्षण समिति का 9वां अधिवेशन 2 नवम्बर से 9 नवम्बर 1973 को नई दिल्ली में हुआ था। समिति ने कई मदों पर विचार किया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) इस क्षेत्र में पौध कीटों के आगमन और फैलाव तथा रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करना।
(2) पौध वाइरस का पता लगाना और उनका नियंत्रण ।
(3) कीटों और रोगों पर रसायनों द्वारा नियंत्रण।
(4) अधिक उत्पादनशील किस्मों और उनसे संबंधित कीटों और रोगों की समस्यायें।
(5) कृषि में विशेषरूप से परिस्थिति-विज्ञान तथा जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कृन्तक।
(6) छोटे किसानों को दृष्टिगत रखते हुए पौध संरक्षण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का विकास।
(7) पौध संरक्षण में प्रशिक्षण।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के पास इस सम्मेलन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों सम्बन्धी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

बच्चों के लिये स्वास्थ्य उपकर योजना

2133. श्री बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों के लिये स्वास्थ्य उपकर लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Use of Cheap and Ineffective Headings in C.G.H.S. and other Government Dispensaries and Hospitals

2134. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Health and Family Planning** to be pleased to state :

(a) whether he is aware that cheap and ineffective medicines or the medicines which do not give quick relief are being used in C.G.H.S., and other Government dispensaries and hospitals;

(b) whether these medicines have been supplied by the Government or they find their way through some other source and costly and genuine medicines are taken away clandestinely; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check it and to provide proper service?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku):

(a) No, Sir. The medicines used in the hospitals and dispensaries are according to I.P./B.P. standards.

(b) & (c) Do not arise.

New Technology for Developing Seeds and increasing production in Adivasi areas

2135. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to utilise new technology for developing improved seeds and increasing production and whether its outlines have been prepared and if so, the broad outlines thereof;

(b) the number and names of Adivasi areas in Madhya Pradesh where this new technology will be used;

(c) whether co-operation of USSR, Canada, Germany and Japan has been sought in this regard; and

(d) if so, the terms and conditions of those countries and also those laid down by us ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Indian Coucil of Agricultural Research has been evolving under their All-India Co-ordinated Research Projects a number of high-yielding varieties and hybrids. The various Agricultural Universities in the country are also evolving new strains of various crops. Breeder seeds produced by them are given to the National Seeds Corporation and State Governments' Seed Farms for the production of foundation seeds which are further multiplied into certified seeds for distribution to the farmers.

(b) There are two Pilot Projects on Tribal Development located in Dantewada and Konta Tehsils of Bastar Distt. in Madhya Pradesh where high-yielding varieties of seeds will be used for increasing agricultural production.

(c) No.

(d) Does not arise.

ग्रेडों के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पास किया गया संकल्प

2136. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यूनीवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारी बैठक में यह संकल्प पारित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित ग्रेड अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से इनके प्रस्तावित ग्रेडों के विरुद्ध कोई नोट मिला है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अभी तक ऐसा कोई संकल्प न तो सरकार को और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन अध्यापक संघों से प्राप्त हुए हैं ।

सड़क परिवहन से माल लाने ले जाने के बारे में महाराष्ट्र तथा पंजाब के बीच करार

2137. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन से माल लाने ले जाने के बारे में महाराष्ट्र तथा पंजाब के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है तथा करार की शर्तें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) 29 दिसम्बर 1967 को महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों के परिचालन के संबंध में एक पाररस्परिक करार किया गया । यह समझौता 16-6-1970 से प्रवृत्त हुआ और पांच वर्षों के लिए जारी रहेगा । करार की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं : —

1. सरकारी वाहन (स्थायी) परमिट

अपने राज्य की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवाहन प्राधिकारी द्वारा 100 सार्वजनिक वाहन परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे ।

2. सरकारी वाहन (अस्थायी) परमिट

दूसरे राज्य की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक कैलेन्डर मास में 'अपने' राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिक से अधिक 100 अस्थायी परमिट जारी किये जाएं । ये परमिट उन सभी संबंधित राज्यों के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वैध होगें जोकि औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों की ओर जाने वाली सड़कों से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं ।

3. निजी वाहन (स्थायी) परमिट

एक राज्य के परिवहन प्रधिकारी द्वारा जारी किए गए और मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63(1) के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरार्थ अनुशांसित अधिकतम 15 नियमित निजी वाहन परमिट दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए स्वीकार किये जाएंगे ।

4. निजी वाहन (अस्थायी) परमिट

दूसरे राज्य के पूर्व परामर्श बिना एक राज्य के विशिष्ट परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 15 अस्थायी निजी वाहन परमिट एक कैलेण्डर महीने में जारी किये जा सकते हैं ।

5. ठेका वाहन (अस्थायी) परमिट

पूर्व सहमति के बिना अन्य राज्य के निर्दिष्ट मार्ग पर परिचालनार्थ ठेका वाहनों के लिए दोनों में से प्रत्येक राज्य द्वारा प्रतिमास 25 से अनधिक अस्थायी परमिट जारी किये जा सकते हैं । ऐसे परमिटों की वैद्यता की अवधि आमतौर पर 30 दिन तक सीमित रहेगी परन्तु विषेश मामलों में दूसरे राज्य में बढ़ाकर इसे 60 दिन कर दी जायेगी। ये परमिट केवल एकल वापसी फेरों के लिए ही वैध होंगे ।

6. गलियारा प्रबन्ध

एक दूसरे के राज्य से आगे तक चलने वाली मोटर गाड़ियों के आने जाने में सुगमता लाने के लिए प्रत्येक राज्य गलियारा सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

7. कराधान

(क) इस शर्त पर कि संबंधित परिवहन प्राधिकारियों द्वारा परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाते हैं सहमत कोटे के अंतर्गत शामिल करने के लिए परिचालकों के आवेदन पत्रों पर विचार को स्थगित रखते हुए ऐसी अवधि के लिए जारी किये गये सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी परमिटों के अंतर्गत आने वाली गाड़ियों के बारे में एकल मोटर गाड़ी कराधान होगा ।

(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63 (6) के अंतर्गत जारी किए गए विशेष परमिटों के अंतर्गत गाड़ियों के संबंध में दूसरे राज्य में मोटर गाड़ी कर नहीं लगेगा ।

(ग) मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 62(घ) के अंतर्गत स्थायी परमिटों के नवीकरण के स्थान के दौरान अस्थायी परमिटों पर एकल मोटर गाड़ी कर के लिए प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

(घ) किसी प्रकार के भी परमिट प्राप्त दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाली किसी राज्य की गाड़ियों के संबंध में सामान-कर/यात्री-कर के भुगतान से कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

(ङ) मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 62(घ) और 63(6) के अंतर्गत जारी किये गए परमिटों के अतिरिक्त सभी प्रकार के अस्थायी परमिटों और उपयुक्त (क) में उल्लिखित अस्थायी परमिटों के अंतर्गत गाड़ियों के बारे में दुहरा-मोटर गाड़ी कर होगा ।

राज्यों में चावल की थोड़ी वसूली

2138. श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा तामिलनाडु और महाराष्ट्र में चावल की थोड़ी वसूली हुई थी; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और चावल की वसूली संबंधी योजनाओं को नया जीवन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1973-74 1-11-73 से अभी-अभी शुरु हुआ है । निम्नलिखत तालिका में चालू

मौसम के दौरान उड़ीसा, तमिल नाडु और महाराष्ट्र राज्यों में अधिप्राप्त किए गए चावल 24-11-73 तक प्राप्त सूचनानुसार (चावल के हिसाब से धान सहित) की मात्रा और पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान अधिप्राप्त की गई मात्रा की स्थिति दिखाई गई है :—

(आंकडे मीटरी टन में)

राज्य	खरीफ मौसम 1973–74 के दौरान अधिप्राप्ति की गई मात्रा	खरीफ मौसम 1972–73 के दौरान उसी अवधि में अधिप्राप्ति की स्थिति
उड़ीसा	9,806	353
तमिल नाडु	90,869	8,065
महाराष्ट्र	20,797	5,000

उपर्युक्त स्थिति को देखने से यह पता चलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान अधिप्राप्ति का रूख अच्छा रहा है।

राज्य सरकारों ने अधिकतम अधिप्राप्ति करने के लिए उपर्युक्त पग उठाए हैं जिनमें जहां कहीं आवश्यक हो उत्पादकों, व्यापारियों और मिल-मालिकों/हुलरों पर लेवी लगाना शामिल है।

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में उत्पादित अपमिश्रित वनस्पति की बिक्री

2139. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में उत्पादित और वहां बेचा जाने वाला सभी प्रकार का वनस्पति अपमिश्रित होता है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पंजाब में बनने वाले या बेचे जाने वाले विभिन्न छापों के वनस्पति के कुछेक नमूनों में मिलावट पाई गई थी। हरियाणा में चार छापों अर्थात् सागर, हलवाई, बोट और ईगल छाप के वनस्पति के नमूने भी अगस्त-सितम्बर 1973 में घटिया पाये गये थे। अपराधियों के खिलाफ मुकदमें या तो चलाये गये हैं या चलाये जा रहे हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

सारे देश में लगभग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाता है। कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी इस अधिनियम को क्रियान्वित करती हैं। इस बुराई को रोकने

के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने निम्नलिखित कुछ और कदम भी उठाये हैं :–

(i) 1964 में अधिनियम में संशोधन कर दण्ड-व्यवस्था को और भी कड़ा बना दिया गया था और भारत सरकार को भी अन्तर-राज्यीय तथा निर्माता, थोक-विक्रेता या अन्य स्तरों पर, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, मिलावट को रोकने के लिए अपने खाद्य निरीक्षक और सरकारी विश्लेषक नयुक्त करने की समवर्ती शक्तियां दे दी गयी थीं :

(ii) इस बुराई को रोकने के लिए जनता या अन्य स्रोतों से मिली शिकायतों की जांच पड़ताल करने क लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक विशेष दस्ते की व्यवस्था कर दी गई है।

(iii) प्रशिक्षित और अनुभवी विश्लेषकों की व्यवस्था करने हेतु, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू कर दिए गए हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में खाद्य विश्लेषण की शिक्षा प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्तियां भी मंजूर कर दी गई हैं।

(iv) खाद्य पदार्थों में मिलवट के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सहायता ली जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा अपराधियों के खिलाफ या तो मुकदमें चलाये गये हैं या चलाये जा रहे हैं।

आवास और नगरीय विकास निगम का मध्यावधि मूल्यांकन

2140. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम को प्रगति संबंधी मध्यावधि मूल्यांकन से प्रकट हुआ है कि आवास बोर्डों एवं अन्य राजकीय अभिकरणों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या में में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि में कितनी कमी हुई है; और

(घ) क्या पहले मंजूर की गई योजनाओं के लिये धन रोका गया अथवा छोड़ने के लिए विलम्ब हुआ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) इसके कारण ये हैं :—

(1) कार्यान्वयन अभिकरणों में संगठनात्मक कमियां।

(2) योजनाओं के लिए राज्य की गारंटी तथा स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति से पूर्व तथा स्वीकृति के बाद विलम्ब होना।

(ग) अप्रैल—दिसम्बर, 1971 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुई 5603 लाख रुपये की नई योजनाओं के मुकाबले अप्रैल—दिसम्बर, 1972 में यह राशि घट कर 3934 लाख रुपये रह गयी।

(घ) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा धनराशि को मुक्त करने से नहीं रोका गया। तथापि, ऋण लेने वालों की ओर से विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित भुगतान की अपेक्षा कम भुगतान हुआ।

धान की वसूली के लिए उड़ीसा सरकार का निर्णय

2141. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अगली खरीफ फसल के लिए एकमात्र धान की वसूली करने का ही निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार पिछले वर्षों की भांति चालू खरीफ मौसम में धान की एकाधिकार अधिप्राप्ति प्रणाली का अनुसरण कर रही है। सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने क्रय केन्द्रों से सीधे ही और/अथवा अपने उप-एजेंटों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है।

वर्ष 1974 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन

2142. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में चीनी का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है : और

(ख) क्या इससे चीनी की कीमत पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आशा है कि चालू मौसम (अक्तूबर, 1973—सितम्बर, 1974) के दौरान लगभग 45 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होगा जबकि 1972-73 में 38.7 लाख टन मी. टन का उत्पादन हुआ था।

(ख) चीनी के उत्पादन में घट बढ़ होने से लेवी चीनी के मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेवी चीनी के मूल्य, गन्ने के लिए निर्धारित मूल न्यूनतम मूल्य और चीनी की उत्पादन लागत के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3सी) के उपबन्धों के अनसार निर्धारित किये जाते हैं। तथापि, बढ़े उत्पादन का खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों, जोकि मांग और सप्लाई के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, पर प्रभाव पड़ेगा।

चांदवली लघु पत्तन, उड़ीसा के बारे में लघु पत्तन समिति का प्रतिवेदन

2143 **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिगेडियर ओ० पी० नरूला की अध्यक्षता में गठित लघु पत्तन समिति ने चांदवली लघु पत्तन, उड़ीसा के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम की आलोचना

2144. **श्री समर गुह :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की सभी ओर से आलोचना की गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या आलोचना की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) निम्नलिखित मामलों के बारे में भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन के विरूद्ध सामान्यतः आलोचना की गई है :—

(1) निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने में असफल रहना।

(2) किसानों को भुगतान करने में विलम्ब करना और अधिप्राप्ति स्टाफ द्वारा अन्य कदाचार करना।

(3) खराब गोदाम किराए पर लेना जिससे अत्यधिक हानि होना।

(4) घटिया किस्म का अनाज देना।

(5) मार्ग तथा भण्डारण में अत्यधिक क्षति होना।

(6) अत्यधिक प्रशासनिक तथा अन्य प्रासंगिक खर्च होना।

(7) भ्रष्टाचार और अयोग्यता।

रूस से उधार लिये गये गेहूं की ढुलाई पर भाड़ा

2144. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से इस खाद्य ऋण को लाने पर कितना भाड़ा लगेगा;

(ख) भारत को इस खाद्य ऋण की डिलीवरी करने सम्बन्धी समय तालिका क्या है;

(ग) क्या उक्त ऋण की वापसी के लिये गेहूं की उसी किस्म की अथवा भिन्न किस्म की आवश्यकता होगी; और

(घ) खाद्य ऋण की रूस को वापसी सम्बन्धी अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा ऋण पर 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए किए गए करार के मुख्य-मुख्य ब्यौरे दिए गए हैं। भारत तुरन्त लगभग 15 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की भाड़ा लागत वहन करेगा और इस पर अनुमानतः लगभग 44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शेष मात्रा के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ सरकार भाड़ा वहन करेगी।

विवरण

20 लाख टन खाद्यान्न का ऋण देने सम्बन्धी सोवियत संघ के प्रस्ताव से सम्बन्धित जिस करार पर सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षर किये गये, उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(i) पूरा खाद्यान्न गहूं के रूप में दिया जायेगा।

(ii) 20 लाख टन गेहूं की कुल मात्रा के विभिन्न स्रोत इस प्रकार होंगे :-

रूस	10.5 लाख टन
कनाडा . . .	4.5 लाख टन
आस्ट्रेलिया . .	5.0 लाख टन

(iii) सोवियत संघ ने 10.5 लाख टन और आस्ट्रेलिया से 5 लाख टन गेहूं की ढुलाई की लागत तत्काल भारत वहन करेगा । कनाडा से सप्लाई किये जाने वाले 4.5 लाख टन गेहूं की ढुलाई लागत सोवियत संघ वहन करेगा ।

(iv) वापसी के समय, भारत अपने यहां से सोवियत संघ के बन्दरगाहों तक 4.5 लाख टन गेहूं की ढुलाई लागत वहन करेगा जबकि भारत से सोवियत संघ की वापस सप्लाई होने वाले 15.5 लाख टन गेहूं की ढुलाई का लागत व्यय सोवियत संघ वहन करेगा ।

(v) निम्नलिखित मात्रा में गेहूं प्राप्त होने की सम्भावना है :-

(1) इस वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान 8.95 लाख टन गेहूं का आयात किया जायेगा, जिस में कनाडा और आस्ट्रेलिया से आयात होने वाला लगभग 4.5 लाख टन गेहूं शामिल है ।

(2) जनवरी से मई, 1974 के दौरान 11.05 लाख टन गेहूं का आयात किया जायगा, जिसमें आस्ट्रेलिया और कनाडा का लगभग 5 लाख टन गेहूं शामिल होगा ।

(vi) बीस लाख टन खाद्यान्न की वापस अदायगी उक्त गेहूं की मात्रा के भारत में पूर्णतः पहुंचने के दो वर्ष बाद प्रारम्भ होगी और उसके बाद के पांच वर्षों में समान वार्षिक किस्तों (4 लाख टन प्रति वर्ष) में पूरी हो जायेगी ।

चावल की वसूली के लिए बनाई गई एजेन्सियां

2146. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की वसूली के लिए किस तरह की एजेंसियां बनाई गई हैं;

(ख) वसूली कार्य में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में चावल की वसूली के लिए प्राइवेट एजेंसियों को कार्य सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियां कौन-कौन सी हैं;

(ङ) क्या अनाज के भण्डारों को बढ़ाने के लिये विदेशों से कोई चावल प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके बारे में मोटी रूप-रेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के विभागों, निगमों, भारतीय खाद्य निगम, सहकारी समितियों और उनके एजेंटों द्वारा की जा रही है ।

(ख) जिन राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की विशेषतया केन्द्रीय पूल के लिये अधिप्राप्ति करने का कार्य सौंपा गया है, वहां निगम अधिप्राप्ति के क्षेत्र में प्रमुख एजेंसी बना रहेगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) वर्ष 1973 के दौरान विदेशों से कोई चावल नहीं मंगवाया गया है। 1972 के दौरान निम्नलिखित मात्राएं आयात की गई थीं :—

देश	मात्रा (लाख मी० टन में)	लागत तथा भाड़ा मूल्य (लाख रुपये में)
(1) संयुक्त अरब गणराज्य	0.70	444.7
(2) थाईलैण्ड	0.61	399.1
	1.31	843.8

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की गिरफ्तारी और कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

2147. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में भारतीय खाद्य निगम के बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, (i) ऐसी गिरफ्तारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा (ii) इन गिरफ्तारियों के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिए हैं जिसमें सरकार का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों की खाद्यान्न वसूली अभियान को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने में असफलता की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या ज्ञापन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए कदाचारों तथा कुप्रबन्ध का भी उल्लेख किया गया है, तथा उसमें भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिए गए हैं,

(घ) क्या कर्मचारियों में कुछ कठिनाइयों का भी उल्लेख किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें निहित सामान्य बातें तथा तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अधिसूचना का उल्लंघन करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों के अधीन भारतीय खाद्य निगम के जितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था उनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) पश्चिमी बंगाल	29
(2) संघ शासित प्रदेश, दिल्ली	856
(3) संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़	5

(ख) जी हां।

(ग) कदाचार अथवा कुप्रबंध के विशिष्ट मामलों का उल्लेख नहीं किया गया था, भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार और अयोग्यता के केवल कुछेक सामान्य आरोप लगाए गए थे। ज्ञापन में 'भारतीय खाद्य निगम बचाओ और समाजवाद लाओ' भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी खाद्यान्नों का व्यापार किया जाना चाहिए, चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, भारतीय खाद्य निगम की मशीनरी को तेज करना चाहिए, भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार और अयोग्यता को दूर करना चाहिए आदि जैसे सुझाव भी दिए गए थे।

(घ) और (ङ) कर्मचारी अपनी कठिनाइयों को समय-समय पर प्रबंधक के सम्मुख रखते रहे हैं। इनकी कठिनाइयां भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार लाने, भारत सुरक्षा नियमों के अधीन अधिसूचना को वापस लेने आदि जैसे सुझावों के अलावा कर्मचारियों के लिए अच्छे वेतनमान देने और सेवा-शर्तों को लागू करने से सम्बन्धित हैं। सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम का प्रबंध इन समस्याओं के प्रति जागरूक है और कर्मचारियों की जायज कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रबंध कर्मचारियों से अनुशासन का पालन करवाने की दिशा में सभी प्रयत्न कर रहा है।

चावल की असन्तोषजनक किस्म के बारे में कर्नाटक राज्य की शिकायत

2148. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की असन्तोषजनक किस्म और तथाकथित विशेष किस्म के चावल के 2.30 रुपये प्रति किलोग्राम के बढ़े हुए मूल्य के बारे में कर्नाटक राज्य से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन की जहाजरानी कम्पनियों द्वारा भाड़ों में वृद्धि

2149. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की जहाजरानी कम्पनियों ने 29 अक्तूबर, 1973 से बम्बई के लिए भाड़े में 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) बम्बई और यू० के०/महाद्वीप के बीच कार्यरत भारत-पाकिस्तान यू० के०/महाद्वीपीय सम्मेलनों ने 20-8-1973 से बम्बई से या तक पोत लदान 10 प्रतिशत पर अधिप्रभार लगाया। 29-10-73 से उन्होंने यह अधिप्रभार बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया।

(ख) अधिप्रभार के लगाने के संबन्ध में सम्मेलनों द्वारा बताये गये कारण ये हैं कि बम्बई में उनके जहाजों को काफी देरी का सामना करना पड़ा रहा है और इसके फलस्वरूप सेवा की लागत में इतनी वृद्धि हो रही है कि सम्मेलन इसे सहन नहीं कर सकते।

Availability of Agro-equipment to Farmers

2150. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the prices of agro-equipments and other commodities have continuously increased during the last three years;

(b) if so, whether Government propose to make these things available to the farmers at reduced prices in order to encourage them to produce more; and

(c) if so, the manner in which relief is proposed to be provided to the farmers and the time by which this facility would be made available to them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Except in the case of certain types of plant protection equipments like knapsack power sprayers which used to be sold at a cost between Rs. 900 to Rs. 1000 are being sold at Rs. 780 per piece, the prices of agro-equipment and other commodities required as farm inputs have, by and large, continuously increased during the last three years.

(b) and (c). A large variety of agricultural implements are available in the country for various farming operations. Most of these implements are being manufactured by small scale units in the private sector and sold in the market directly. Keeping in view the changing trend of cultivation and the current requirements, efforts are being made to make available various implements for large, medium and small farmers at reasonable prices. Some of the Agro-Industries Corporations and State Undertakings have also taken up to manufacture of agricultural implements for supply to farmers. Research is being conducted at various research centres under the ICAR and other agricultural engineering institutions to design and develop new improved implements and efforts are being made to manufacture and supply these to cater to the needs of farmers in adequate quantity at reasonable prices. Most of the State Governments are providing some subsidy towards capital cost of the pump sets for the small farmers. As regards fertilisers, the retail prices of three important fertilisers *viz.* Urea, Calcium Nitrate and Ammonium Sulphate are statutorily regulated and any sales to farmers exceeding such prices constitutes an offence under the Essential Commodities Act. It is always the endeavour of the Government to keep the retail prices at which the fertilisers will be available to the farmers at as low a cost as possible. As regards plant protection equipment, the Government of India have certain schemes where 25 per cent subsidy on equipments is being given. For example under maximised production of groundnut 25 per cent subsidy on the cost of plant protection hand operated equipment is given. Under cotton development, there are a number of schemes which give subsidy from 25 per cent to 50 per cent on plant protection equipments. Some of the States are still continuing to give subsidy on plant protection equipments to the farmers. With regard to plant protection chemicals the Government of India is subsidising from 25 per cent to 50 per cent on the cost of pesticides under different Central Sector and Centrally Sponsored Schemes to relieve the farmers. With regard to stabilising the prices of seeds in the market, the Government of India have already set up the National Seeds Corporation Limited. It has also worked out a Central Sector Scheme for building up 'reserve' stocks of good quality seeds to make full requirements of the farmers due to incidence of erratic weather conditions. In addition, State Seed Corporations are being set up in the major States to plan assessment and production of good quality seeds for supply to the farmers at a reasonable price. The Central and State Governments have been taking steps to ensure that sufficient credit is available to the farmers for the purchase of this input. Recently, the rules of advance of loans to private seed industry have also been liberalised to enable them to take up organised seed production on a much larger scale with the ultimate object of making good seeds available to the farmers at a reasonable price. The Government have a well defind policy of making improved seeds available to the farmers at an economic price during the Fifth Plan Period. The cost of electricity depends upon various factors such as, source of supply (hydro and thermal), extent of transmission and distribution systems, capital cost incurred, load characteristics and other local conditions. The tariff for rural loads in rural areas is kept low with a view to promoting the development of rural areas. Besides, agricultural loads are given priorities over other categories of loads in case there is shortage of power.

Advice to dealers to purchase Foodgrains except Wheat and Rice after takeover of Wholesale Trade in Wheat

2151. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government had prior information that just after Government announced the taking over of wholesale trade in wheat, Delhi Foodgrain Dealers Association adviced by telegram and telephone all the dealers in the country to purchase all foodgrains except wheat and rice at a price highe. than that of wheat;

(b) whether coarse grains were purchased at a rate higher than that of wheat so that farmers would refuse to sell their wheat ; and

(c) whether in purchasing coarse grains at a higher rate, big dealers gave financial assistance to the other dealers of the country by taking loans from the nationalised banks; and

(d) if all these facts are true, the action taken by Government so far in this regard and if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) No, Sir.

(b) Coarse grains were fetching higher price to the farmers as compared to wheat.

(c) &(d) Government have no information on the subject, but, advances against foodgrains, were negligible and small advances that existed were in accordance with the directives issued by the Reserve Bank of India from time to time.

Uniform system of Education for Urban and Rural students

2152. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare ard Culture** be pleased to state the time by which Government will bring about uniformity in the system of education to the urban and rural male and female students?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri-D. P. Yadav): The curriculum, textbooks and examination system are more or less the same for state controlled urban and rural schools as also for boys and girls in most States and Union Territories. However, rural schools, by and large, do not have adequate facilities. Continuous efforts are being made by Contral and State Governments to improve the facilities in rural schools. Programmes for qualitative improvement and equalisation of educational opportunity are to receive high priority in the Fifth Plan. These will be supplemented by a large-scale programme to upgrade the competence of teachers in rural areas through pre-service and in-service training. Science teaching in rural schools is proposed to be strengthened. Special incentives also be provided to encourage girls' education. Experimental schools will also be started in rural areas to enable new methods of teaching and examination being introduced in rural schools.

सुपर बाजार, दिल्ली में अधिक मूल्य पर चीनी की बिक्री

2153. **श्री मौलाना इसहाक संभली :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, दिल्ली में दिवाली और ईद के अवसर पर चीनी 3 रुपया 95 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची गई ;

(ख) क्या इससे पूर्व चीनी का मूल्य 3 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम था ;

(ग) यदि हां, तो सुपर बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चीनी का मूल्य 12-10-1973 को 3.80 रु० से 3.85 रु० और 13-10-1973 को 3.85 रु० से 3.95 रु० किया गया था।

(ग) मूल्य में वृद्धि थोक बाजार भावों के बढ़ जाने से हुई थी। सुपर बाजार चीनी जैसी मदों को न्युनतम ट्रेड मार्जिन पर बेचता है ।

(घ) चूंकि सुपर बाजार केवल खुले बाजार वाली चीनी ही बेचता है, इसलिए इसका विक्रय मूल्य खुले बाजार की चीनी के चालू थोक बाजार भाव के संदर्भ में नियत किया जाता है । लेवी चीनी उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर बेची जाती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर आयल का उपयोग

2154. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय सप्लाई किया जा रहा 30 से 40 प्रतिशत दूध उस स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर आयल से बनाया जाता है जो लगभग पूर्णतः गत दो वर्षों से "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत उपहार के रूप में "यूनीसेफ" से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पाउडर से पुनः दूध बनाए जाने वाले इस 40 प्रतिशत दूध पर प्रति लीटर के हिसाब से क्या लागत आती है तथा शेष 60 प्रतिशत दूध की, जो स्थानीय सूत्रों से वसूल किया जाता है, प्रति लीटर उत्पादन लागत क्या है ;

(ग) 46 पैसे प्रति लीटर की वर्तमान भारी मूल्य-वृद्धि के औचित्य के लिये दोनों श्रेणियों के दूध की उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना कब तक "यूनीसेफ" की सहायता पर निर्भर रहेगी तथा इस 40 प्रतिशत दूध का भी आन्तरिक साधनों से उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई लेने वाले दूध में जो स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल से तैयार किया जाता है, दूध की प्रतिशतता भिन्न-भिन्न है और यह शुद्ध दूध की उपलब्धि पर निर्भर करता है । दूध की बहुतायत उपलब्धि के मौसम में, जबकि शुद्ध दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, दिल्ली दुग्ध योजना मुख्यतः शुद्ध दूध के पुनर्मिश्रित दूध को विक्रय करती है, जबकि गर्मी के महीनों में, जब शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं होता है। स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल के पुनर्मिश्रण पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है । इस प्रकार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई होने वाला दूध पूर्णतः आयातित स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल का पुनः मिश्रित दूध नहीं है ।

(ख) वितरण के समय 3.5 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत ठोस दूध की अनुमानित लागत नीचे दी जा रही है :

(एक) पूर्णतः शुद्ध दूध से बना दूध 1.32 रुपये लीटर ।

(दो) पूर्णतः स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल से बना दूध 1.24 रुपये लीटर ;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई होने वाले दूध के मूल्य में 46 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि नहीं की गयी है क्योंकि केवल 3 प्रतिशत चिकनाई वाले टोन्ड दूध की तुलना में विशेष टोन्ड दूध में 3.5 प्रतिशत तक चिकनाई होती है । परन्तु कच्चे दूध के अधिप्राप्ति मूल्य में लगभग 104 रुपये प्रति क्विंटल से लगभग 130 रुपये प्रति क्विंटल तक वृद्धि होने के कारण दूध का विक्रय मूल्य बढ़ाना जरूरी हो गया है । विश्व बाजार में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के मूल्य में काफी वृद्धि हो गयी है जो कि अब लगभग 6,850 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है, जबकि 1969 में इसका मूल्य लगभग 1,800 रुपये प्रति टन ही था । इसके अतिरिक्त वर्ष 1969 से, जब कि मूल्यों में अन्तिम संशोधन किया गया था, दूध के इकट्ठा तथा वितरण का व्यय भी बढ़ गया है ;

(घ) गर्मी के महीनों के दौरान जब शुद्ध दूध की उपलब्धि कम हो जाती है, दूध तथा दुग्ध उत्पादों की खपत काफी बढ़ जाती है। अतः दिल्ली दुग्ध योजना को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की सहायता से दूध का पुनः मिश्रण करके कमी पूरी करनी पड़ती है। यह बताना सम्भव नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए दिल्ली दुग्ध योजना स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल के उपयोग पर कब तक निर्भर रहेगी। दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) के अन्तर्गत विभिन्न कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली में स्कूलों की शिक्षा प्रणाली

2155. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एक विद्यार्थी को मास्टर डिग्री की परीक्षा पास करने के लिये अधिक वर्ष तक अध्ययन करना पड़ेगा तथा अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठने के लिये भी कम अवसर प्राप्त होंगे; और

(घ) क्या दिल्ली में चल रहे प्राइवेट स्कूल, विशेषकर कानवेंट स्कूलों ने इस प्रणाली को अपना लिया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने देश में समान शिक्षा प्रणाली रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन पर कोई दबाव डाला है, और यदि हां, तो इस संबन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) 18-19 सितम्बर, 1972 को हुए अपने 36 वें अधिवेशन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने देश में शिक्षा की एक समान प्रणाली अपनाने की अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया, जिसमें 10 वर्षीय प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के बाद, दो वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शामिल हैं।

13-6-1973 को हुई अपनी बैठक में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा जिस योजना पर विचार किया गया उसकी प्रमुख विशेषताएं कार्यवाईयों की मुद्रित रिपोर्ट के पृष्ठ 46-48 में दी गई हैं जो कि लोक सभा पुस्तकालय में पहले ही से उपलब्ध हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) शिक्षा की नई प्रणाली को अपनाने से छात्र को इस समय 16 वर्षों के बजाय कम से कम 17 वर्षों की शिक्षा के पश्चात् मास्टर डिग्री प्राप्त होगी। इससे उस छात्र पर, जो अखिल भारतीय सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें विश्वविद्यालय की डिग्री तथा 20/21 से 26 वर्ष के बीच आयु का होना है;

(घ) भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् भी, जिससे दिल्ली स्थित कानवेन्ट तथा कुछेक प्राइवेट स्कूल संबद्ध हैं, शिक्षा की नई प्रणाली अपनाने के संबन्ध में जांच कर रही है।

छिपाये गये खाद्यान्न का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा भारत रक्षा नियमों का प्रवर्तन

2156. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गंभीरतापूर्वक कहा था कि छिपाये गये खाद्यान्न का पता लगाने और खाद्यान्न के मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिये भारत रक्षा नियमों को प्रवर्तित किया जाये;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों से पता चला है कि किसी भी राज्य सरकार ने इस बारे में कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने भारत रक्षा नियम लागू किये और इसके कार्यान्वयन के संबन्ध में प्रत्येक राज्य द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र ने एक बार पुनः राज्य सरकारों से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाये, और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि खाद्यान्नों सहित आवश्यक जिन्सों से संबन्धित विभिन्न मामलों को विनियमित करने के लिए भारत सुरक्षा नियम 1971 के उपबन्धों का प्रयोग करें और जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों, जोकि खाद्यान्नों के मूल्य-स्तर को बनाए रखने के लिए हानिकर हैं, में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 के अनुरक्षण के अन्तर्गत शक्तियों का इस्तेमाल करें।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों प्रशासनों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) भारत सरकार राज्य सरकारों आदि पर विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बराबर जोर देती रही है। राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही कर रही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने काला बाजारियों और जमाखोरों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अपनी प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ कर लिया है। विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

चावल क्रान्ति की योजना

2157. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के कृषि वैज्ञानिक अब देश में चावल क्रान्ति लाने के लिये आवश्यक तकनीकों से लैस हैं ;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और नई जानकारी से देश में चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में चावल की खेती करने वालों में इस नये तकनीक के प्रचार के लिये आवश्यक संगठन गठित कर लिया है और उक्त संगठन का ब्यौरा क्या है और क्या नये तकनीकों

को सारे चावल की खेती वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चावल के संबन्ध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने अनेक किस्मों का विकास किया है जिन में से किसान ऐसी किस्म चुन सकते हैं जो उन परिस्थितियों में ठीक बैठती है जिनमें चावल पैदा किए जाते हैं। इन किस्मों के उगने की अवधि 90 दिन से लेकर 150 दिन तक की है। ये अधिक उत्पादनशील किस्में हैं जो बौनी किस्मों के संकर बीजों की बुवाई से विकसित की जाती हैं। परन्तु जल विकास की व्यवस्था की कमी वाले तथा जलौढ़ क्षेत्रों के लिये अभी उपयुक्त किस्में विकसित नहीं की गई है।

अब बढ़िया अनाज की अधिक उपज बढ़ाना संभव हो गया है जब कि दो वर्ष पहले तक यह संभव नहीं था। सोना व जयन्ती ऐसी किस्में हैं जो किसानों द्वारा अब मूल्यांकित की जा रही हैं और जिन से अधिक व अच्छी उपज होती है।

आर० पी० डब्लू० 6-13 और सी० आर० 93-402 में गेलमिज प्रतिरोधी जैसी कुछ नई अधिक उत्पादनशील किस्मों में कुछ कीटों तथा रोगों से बचाने के लिये प्रतिरोध की मात्रा काफी हद तक बढ़ा दी गई है। आई० ई० टी० 2508 जैसी कुछ किस्मों में टंगरी वाईरस प्रतिरोधी शामिल कर दी गई है। उपज बढ़ाने के लिये ज्ञान का ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो देश में चावल उत्पादन को बढ़ाने में नई तकनीकें सहायक सिद्ध हो सकती है। इन तकनीकों में जल व्यवस्था, खरपतवार, कीट तथा रोगों का सामयिक नियंत्रण, उर्वरकों का उचित उपयोग और विशेष परिस्थितियों में ठीक बैठने वाली किस्मों का चुनाव करना शामिल है।

(ग) विभिन्न राज्यों में मौजूदा विस्तार एजेन्सियों अन्य फसलों तथा गतिविधियों से सम्बद्ध कार्यक्रमों सहित उत्पादन कार्यक्रम चला रही हैं। ये एजेन्सियां चावल तथा अन्य फसलों के संबन्ध में नई तकनीकों का तेजी से प्रचार करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने के लिये काफी नहीं हैं। चावल विकास निदेशालय की स्थापना करके चावल विकास के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं। इस निदेशालय का प्रधान कार्यालय पटना में और क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद में है। राज्यों की सलाह दी गई है कि वे चावल विकास कार्यक्रम की कारगर बनाए। प्रत्येक राज्य के कई हजार किसानों को थोड़ी मात्रा में नई किस्मों के बीज उपलब्ध करके नई किस्मों का तेजी से प्रचार करने के कार्यक्रम को चलाने के लिये मौजूदा विस्तार कार्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

चावल अनुसंधान कर्त्ताओं द्वारा विकसित मिनीकिट कार्यक्रम के माध्यम से (जिसे 1972 के प्रारम्भ में शुरू किया गया था) अधिक उत्पादनशील बौनी किस्मों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

बिहार में खाद्य उत्पादन में स्थिरता

2158. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वर्ष 1964-65 से खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राज्य में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1965-66 से 1972-73 तक की अवधि के दौरान मौसम और वर्षा की स्थिति के अनुसार राज्य में खाद्यान्नों के

उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता रहा है । वार्षिक उत्पादन का एक विवरण संलग्न है । तथापि, गत दो वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(ग) इस संबन्ध में उपाय किए गए हैं :—

(1) अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों और बहुफसलों खेती कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार।

(2) कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में समेकित क्षेत्र विकास, बारानी खेती और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल स्थापित करना ;

(3) सिंचाई के लिये भूमिगत जल स्रोतों का विकास और सिंचाई के लिए जल का समुचित प्रयोग

विवरण

बिहार में 1964-65 से 1972-73 तक खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुपात

वर्ष	(दस लाख मीटरी टन) उत्पादन
1964-65	7.53
1965-66	7.19
1966-67	4.13
1967-68	8.63
1968-69	8.87
1969-70	7.55
1970-71	7.88
1971-72	9.07
1972-73	9.32

पांचवीं योजना के दौरान निर्माण की रूप रेखा

2159. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यकारी दल द्वारा पांचवीं योजना के दौरान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिये प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच कर ली है, जिन में कहा है कि यदि सीमेंट, इस्पात और टिम्बर के उत्पादन में अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि नहीं की गई तो इमारती सामान की कमी के कारण निर्माण कार्यों में बहुत रुकावट आयेगी; और

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना के दौरान निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन का कोई कार्यकारी दल नहीं है । तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भवन निर्माण सामग्री, जनशक्ति तथा निर्माण तकनीक पर कार्यकारी दल ने, जिसमें योजना आयोग के विषय-निर्वाचन ग्रुप द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं, अपनी रिपोर्ट पेश की। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के प्रारूप तैयार करते समय इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर भी यथोचित विचार किया गया है ।

बिहार में नगरों के लिए बृहत योजनाएं

2160. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के उन नगरों के नाम क्या हैं जिन के लिये बृहत् योजनाएं तैयार की गई है, उनके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है और इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : बिहार के उन शहरों के नामों का विवरण जिनके लिए बृहत योजनायें तैयार की गई हैं,. संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

सूची में दिए गए प्रथम सात शहरों की बृहत्त योजनायें/विकास योजनाएं तैयार करने के लिए तीसरी योजना के दौरान 30.17 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई थी तथा 24.245 लाख रुपये व्यय किए गए थे ।

उसके बाद से इस प्रयोजन के लिए कोई सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है । बृहत् योजनाएं तैयार करना तथा उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार का विषय है तथा केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु दिए गए समेकित ऋणों और अनुदानों को राज्य सरकारें अब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

ये बृहत् योजनाएं कितनी अवधि तक कार्यान्वित हो जाएंगी, बताना संभव नहीं है क्योंकि निधियों की उपलब्धता सहित कई बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।

विवरण

बिहार के उन शहरों के नामों का विवरण जिनके लिए बृहत्त योजनाएं तैयार की गई है

क्रम संख्या	शहर/शहरों का/के नाम	टिप्पणी
1.	पटना	बृहत् योजना अनुमोदित की गई ।
2.	रांची . . .	बृहत् योजना अनुमोदित की गई ।
3.	धनबाद-झरिया-सिंदरी-कट्रास काम्प्लेक्स	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत् योजना अनुमोदित की जायेगी ।
4.	बोकारो . .	बृहत् योजना में संशोधन किया जा रहा है ।
5.	जमशेदपुर-आदित्यपुर काम्प्लेक्स	बृहत् योजना अनुमोदित की गई ।
6.	सोने और सासराम क्षेत्र में डेहरी	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत् योजना अनुमोदित की जायगी ।
7.	बेगुसराय-बरौनी-ठेगढ़ा काम्प्लेक्स	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत्त योजना अनुमोदित की जायेगी ।
8	बौद्ध गया	बृहत् योजना अनुमोदित की गई ।

1	2	3
9.	गया .	बृहत्त योजना विचाराधीन है।
10.	मुजफ्फरपुर	बृहत्त योजना विचाराधीन है ।
11.	दरभंगा	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत्त योजना अनुमोदित की जायेगी ।
12.	देवघर	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के वाद बृहत्त योजना अनुमोदित की जायेगी ।
13.	पत्रोतू	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत्त योजना अनुमोदित की जायेगी ।
14.	हजारी बाग	एक नगर आयोजना प्राधिकरण का गठन करने के बाद बृहत्त योजना अनुमोदित की जायेगी ।
15.	नेतरहाट	वृहत्त योजना में संशोधन किया जा रहा है ।
16.	राजगिर	वृहत्त योजना विचाराधीन है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना

2161. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री 13 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच फरीदाबाद में सोयाबीन का परिष्कार करने के लिए संयंत्र की स्थापना कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने परामर्श करने की फीस और अन्य प्रारम्भिक खर्चों पर 1,94,100 रुपये खर्च किए हैं । भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार किए गए परियोजना संबन्धी ब्यौरे विचाराधीन हैं ।

कुपोषण और मन्द पोषण के बारे में अनुमान लगाना

2162. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में कुपोषण और मन्द पोषण से पीड़ित लोगों की संख्या का कोई अनुमान लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां, लोगों में किस हद तक कुपोषण व्याप्त है इसका निर्धारण करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य निदेशालयों में पोषण प्रभागों द्वारा समय-समय पर लोगों की पोषणिक अवस्था के नमूना सर्वेक्षण किए जा रहे है ।

(ख) इन सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि कुपोषण अधिकतर दुर्बल वर्गों में, जैसे शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्व आयु के बच्चों में विशेषकर जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्गों के हैं, व्याप्त है । राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि इस दुर्बल वर्ग में प्रोटीन-कैलोरी संबन्धी कुपोषणता 3 प्रतिशत, विटामिन 'ए' संबन्धी कमी 4.2 प्रतिशत, अरक्तता 50 प्रतिशत और बी काम्प्लेक्स की कमी 5.2 प्रतिशत थी।

(ग) देश के इस दुर्बल वर्ग में सरकार निम्नलिखित पोषण कार्यक्रम चला रही है :—

(1) प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन,

(2) विशेष पोषण कार्यक्रम,

(3) बालबाड़ी भोजन कार्यक्रम,

(4) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम,

(5) माताओं और बच्चों का पोषण संबन्धी अरक्तता से बचाव,

(6) विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली अंधता से बच्चों की रक्षा।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा वक्तव्य

2163. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह कहा था कि सरकार "उचित" समय पर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस वक्तव्य को स्पष्ट करेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 9 अक्तूबर, 1973 को बंगलौर में शूगर टैक्नोलाजिस्टस एसोसिएशन आफ इंडिया के 39वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते समय यह उल्लेख किया था कि राष्ट्रीयकरण और उससे संबद्ध मामलों पर चीनी उद्योग जांच आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और संबन्धित मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उपयुक्त समय पर सरकार अपने निर्णय की घोषणा करेगी। "उपयुक्त समय" का अभिप्राय यह है कि वह समय, जब ऐसा करना लोक हित में होगा।

सफदरजंग उपरि पुल, नई दिल्ली

2164. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग फ्लाई ओवर ब्रिज की, यदि ठेकेदार, श्री एस० पी० चौपड़ा द्वारा कार्य किया गया होता तो मूल अनुमानित लागत कितनी होती ;

(ख) नए ठेकेदार द्वारा कार्य करने पर लागत क्या होगी ;

(ग) ठेकेदार बदले जाने के कारण क्या विलम्ब होने की संभावना है तथा ठेकेदार बदले जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या श्री चौपड़ा ने कोई दावा प्रस्तुत किया है ; और यदि हां, तो कितनी राशि का ;

(ङ) क्या कोई जांच की गई है और जांच-कार्य पूरा हो गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(च) यदि नहीं, तो जांच-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) मैसर्ज दीवान सूरज प्रकाश चौपड़ा एण्ड सन्स को दिये गये कार्य की मूल अनुमानित लागत 56.75 लाख रुपये थी।

(ख) 35 लाख रुपये की अनुमानित लागत का शेष कार्य मैसर्ज राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित को वास्तविक लागत तथा 15 प्रतिशत के ऊपरी प्रभार सहित दिया गया था।

(ग) प्रारम्भ में कार्य समाप्ति की तिथि नवम्बर, 1973 निर्धारित की गई थी। अब यह कार्य संभवतः अप्रैल, 1974 तक पूर्ण हो जायेगा। पहले ठेकेदारों के ठेके को, उन द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य में गंभीर अनियमितताओं के पता लगने तथा उन्हें निर्माण कार्य में उपयोग के लिए उन दिये गए इस्पात के संबन्ध में आपराधिक विश्वासघात करने के कारण रद्द करना पड़ा था।

(घ) ठेकेदारों ने विवाचन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उन्होंने अपने ठेके को गैर-कानूनी तौर पर रद्द किये जाने का आरोप लगाया है तथा विभिन्न विवादों को सुलझाने हेतु एक स्वतंत्र विवाचक की नियुक्ति की प्रार्थना की है।

(ङ) तथा (च) पुलिस द्वारा जांच की जा रही है उसके पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा।

सफदरजंग उपरि पुल के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें

2165. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग फ्लाई ओवर के ठेकेदार श्री एस० पी० चौपड़ा के विरुद्ध दर्ज किये गये एफ० आई० आर० में निहित शिकायतों का आधार तथा तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज की गई थी कि इस निर्माण स्थल पर इस्पात के भंडार की स्थिति में विषमता है, और यदि हां, तो जांच-पड़ताल किये जाने पर क्या विषमतायें पाई गयीं ;

(ग) क्या जांच-पड़ताल ठेकेदार की उपस्थिति में की गई ;

(घ) क्या सर्व प्रथम पुलिस को लगभग आधी रात को यह सूचना दी गई कि निर्माण-स्थल पर लगभग 60 मीट्रिक टन इस्पात की कमी है, और जांच पड़ताल करने पर क्या वास्तविक स्थिति पाई गई ; और

(ङ) अन्य संगत बातों का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) ठेकेदारों के विरुद्ध पुलिस के पास प्रथम रिपोर्ट आपराधिक विश्वासघात के लिए दर्ज कराई गई थी। टेकेदार ने आई० एन० ए० की ओर की पूर्वी धारक दीवार के नीचे के दो अण्डर-रोम्ड स्थूलों के लिये दावा किया था तथा उसका भुगतान लिया था जो 12 फुट की अपेक्षित गहराई की बजाय केवल 1 फुट 10 इंच पाये गये। पुलिस को दूसरी रिपोर्ट तब दर्ज कराई गई जब कार्य स्थल पर वास्तविक जांच करने पर 28 मि० मी० के डायामीटर का 56.746 टन टारस्टील कम पाया गया।

(ग) कार्यस्थल पर पड़े इस्पात की जांच नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों के एक दल द्वारा की गई थी क्योंकि स्थल पर मौजूद ठेकेदारों के प्रतिनिधियों ने साथ चलने या ठेकेदारों को बुलाने से इंकार कर दिया था तथा कुछ व्यक्तियों पर आक्रमण कर और आपराधिक शक्ति का प्रयोग कर दल के कार्य में बाधा डाली थी।

(घ) प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के पास वास्तविक जांच पूर्ण करने के बाद 4-4-73 को आधी रात को दर्ज कराई गयी थी। 56.746 टन (इस्पात) की कमी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी न कि 60 टन की।

(ङ) ठेकेदारों को कार्य के प्रयोग के लिये 28 मि० मी० डायामीटर का 338.41 टन टार-स्टील दिया गया था। वास्तविक जांच करने पर यह मालूम हुआ कि कार्य-स्थल पर केवल 265.572 टन (इस्पात) पड़ा है। ठेकेदारों द्वारा उस समय तक किये गये कार्य में 16.326 टन (इस्पात) इस्तेमाल किया गया था तथा 56.746 टन शेष (इस्पात) किसी भी लेखे में नहीं था।

"सुगर फ्राड कोस्टस गवर्नमेंट रुपीज टू लैक्स" शीर्षक से समाचार

2166. **श्री ज्योर्तिमय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 के 'ब्लिटज' में "सुगर फ्राड कास्ट्स गवर्नमेंट रुपीज टू लैक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला पहले से ही भारत सरकार के संबंधित विभागों के विचाराधीन है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज शिमला को प्राप्त वित्तीय सहायता

2167. **श्री ज्योर्तिमय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला को गत तीन वर्षों में प्रत्येक स्त्रोत से कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) इस इन्स्टीट्यूट के वास्तविक कार्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसने क्या मूल कार्य किये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क)

	1970-71	1971-72	1972-73
			(रुपये लाखों में)
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (अनुरक्षण तथा विकास के लिए)	18.39	19.18	21.72
भारतीय समाज विज्ञान परिषद (विशिष्ट परियोजनाओं के लिए) . .		0.20	0.79

(ख) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी के संस्था के ज्ञापन-पत्र के अनुसार संस्थान के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) शैक्षणिक अनुसंधान के लिये उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करना तथा मानविकी भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाज विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए ऐसे अन्य क्षेत्रों में चुने हुए विषयों में उच्च अनुसंधान को प्रोन्नत करना, मार्ग दर्शन प्रदान करना, आयोजित करना तथा शुरू करना,

(ख) उच्च परामर्श तथा सहयोग और व्यापक पुस्तकालय तथा प्रलेखन सुविधाओं की व्यवस्था करना,

(ग) अध्यापकों तथा अन्य विद्वानों को उच्च अध्ययनार्थ, विशिष्ट अवधि हेतु, जो प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्धारित की जाएगी, वित्तीय सहायता सहित सभी सुविधायें प्रदान करना,

(घ) बैठकें, व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना,

(ङ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्म स्कूल और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम आयोजित और संचालित करना जो संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(च) भारत तथा विदेशों से वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान अध्येताओं को व्याख्यान देने तथा अनुसंधान आयोजित करने के लिये आमंत्रित करना और उन्हें, जैसा उचित समझा जाए, पारिश्रमिक देना।

(छ) कोई भी मैगजीन, पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तकें, पुस्तिकाएं मोनोग्राफ अथवा इश्तिहार शुरू करना, संचालित करना, छापना, प्रकाशित तथा प्रदर्शित करना, जिन्हें सोसायटी के उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के लिए वांछनीय समझा जाए।

(ज) ज्ञान के प्रसार तथा सोसायटी के उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के लिए अन्य शैक्षणिक अथवा सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना,

(झ) नियमों तथा उपविधियों के अनुसार शिक्षावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, वजीफे तथा ऋण, वित्तीय सहायता और पारितोषिक प्रारंभ प्रदान करना,

(ञ) ऐसे शुल्क तथा प्रभार लगाना जो नियमों तथा उपविधियों में निर्धारित किए गए हों।

(ट) विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के सदस्यों के लिए छात्रावास तथा हाल स्थापित करना, खोलना उनका अनुरक्षण तथा प्रबन्ध करना।

(ठ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी, सचिवालीय तथा ऐसे पदों का सृजन करना जो संस्थान द्वारा आवश्यक समझे जाए तथा उन पदों पर नियमों तथा उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार नियुक्तियां करना।

(ड) पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित मोनोग्राफों, कामकाजी संस्करणों, कादाचित्क निबन्धों के शीर्षक तथा आयोजित सेमिनारों व कर्मशालाओं के नामों का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5810/73]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले शहर

2168. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अन्य शहरों में लागू करने के बारे में 27 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1988 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों के नाम क्या हैं जिनको उक्त योजना में अन्तर्गत पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से नहीं लाया गया; और

(ख) वहां रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का कितना विस्तार किया गया अथवा वह कहां कहां लागू की गई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	शहरों के नाम
1.	बम्बई
2.	इलाहाबाद
3.	मेरठ
4.	कानपुर
5.	कलकत्ता
6.	नागपुर

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के योजनागत कार्यक्रमों के लिये की गई धन की व्यवस्था में कटौती कर दिये जाने के कारण मद्रास में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने के काम को रोक दिया गया है। उन शहरों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना पहले से चल रही है इसके धीमे अथवा आंशिक विस्तार के कारण इस प्रकार हैं :--

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान का न मिलना।

2. चिकित्सा तथा प्रशिक्षित परा-चिकित्सा कर्मचारी का न मिलना

3. जिन शहरों में इस योजना को चलाने का विचार किया जाता है उनमें रहने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के प्रत्याशित लाभार्थियों के लिये अस्पताल तथा विशेषज्ञ परामर्श की सुविधाओं की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों की मंजूरी मिलने में विलम्ब।

सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नये पत्तनों के लिए केन्द्रीय दल

2169. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नये पत्तनों के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के दल ने हाल में गुजरात का दौरा किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) विभिन्न छोटे पत्तनों पर जहाजों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न और दूसरे मामलों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सितम्बर, 1973 में गुजरात के कुछ पत्तनों का दौरा किया।

(ख) समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ कालिजों में परीक्षा सम्बन्धी सुधारों को कार्यरूप देने हेतु वित्तीय सहायता

2170. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों के चयन के बारे में 12 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उक्त प्रलेख में उल्लिखित कुछ सुधारों तथा सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार अपेक्षित वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करेंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार के लिए "कार्रवाई की योजना" कार्यान्वित करने के लिए 12 विश्वविद्यालय चुने हैं। ये विश्वविद्यालय, समीपवर्ती विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार की नवीन प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए गति निर्धारक के रूप में कार्य करेंगे।

आयोग द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत, परीक्षा सुधार कार्यक्रमों के लिए विश्वविधालयों को सहायता दी जाएगी।

मकानों की खरीद के लिए ऋणों हेतु अहमदाबाद के केन्द्रीय कर्मचारियों से आवेदन पत्र

2171. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद (गुजरात) नगर में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपने स्वयं के रहने के लिये मकानों को खरीदने के लिये ऋणों हेतु आवेदन पत्र दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या मांगे गये ऋण मंजूर किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1973-74 में गृह निर्माण अग्रिम देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है । प्रतिबन्ध हटने पर ऋण के लिये अनुरोधों पर विचार किया जायेगा ।

विश्व बैंक को सहायता से विदर्भ में बीज उद्योग का विकास

2172. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ विकास निगम ने विश्व बैंक के सहयोग से विदर्भ क्षेत्र में चुने हुये जिलों में बीज उद्योग के विकास के बारे में एक परियोजना/प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की उल्लेखनीय बातें क्या हैं तथा सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने सहयोग के लिए परियोजना को अनुमोदित कर दिया है तथा क्या और कितनी सहायता देने का संकेत/वचन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विदर्भ विकास निगम लिमिटेड विदर्भ क्षेत्र के चुने हुए जिलों में बीज उद्योग के विकास के लिए एक परियोजना तैयार कर रहा है । यह परियोजना बीज उत्पादकों के जरिए धानों, कपास, पटसन तथा तिलहनों के उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करेगा ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) अभी यह परियोजना तैयार की जा रही है और सरकार ने अभी यह निर्णय लेना है कि इसे विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रायोजित किया जाये अथवा नहीं ।

"आई० सी० ए० आर० क्लेम इज एग्जेजरेटिड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

2173. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इण्डिया', दिनांक 27 अगस्त, 1973 में पृष्ठ 7 पर आई० सी० ए० आर० क्लेम इज एग्जरेटिड' (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का दावा अतिश्योक्ति पूर्ण है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाई गई बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सलाहकारों के पैनल की सलाह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् समिति ने अनुसंधान पद्धतियों में पाई जाने वाली

कुछ कमियों को नोट किया है। रिले क्रापिंग परीक्षणों में आलू बीज के साइज और शरबती सोनारा के प्रोटीन तत्वों के संबंध में कुछ टिप्पणी करते हुए समिति निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची है :—

आलू :—(1) प्रयोगों में बड़े साइज के आलू बीजों का प्रयोग करना उचित नहीं था क्योंकि उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई किस्में सामान्यतः बड़े साईज के कंदमूल पैदा करती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रयोग में लाया गया आलू का साईज विशेष ही किस्म का होता है।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयोगों में प्रयोग में लाई गई बीज की दर अधिक मालूम नहीं पड़ती।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयोगों से प्राप्त हुई उपज का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रदर्शनों द्वारा और पंजाब में किसानों के अनुभव द्वारा समर्थन हुआ है।

गेहूं :—(1) गेहूं के प्रोटीन तत्व के संबंध में समिति ने नोट किया है कि यह परिवर्तनशील है और मिट्टी और जलवायु संबंधी परिस्थितियों और प्रयोग में लाए गए उर्वरक के ऊपर निर्भर करता है। परिवर्तनशील होने के बावजूद भी प्रोटीन तत्व के संबंध में सोनारा-64 की अपेक्षा और कल्याण सोना की अपेक्षा शरबती सोनारा अच्छी सिद्ध हुई है किन्तु उसमें संभवतः लीसिन तल की कमी है।

(2) सलाहकारों के पैनल ने यह नोट किया है कि आलू के संबंध में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाने वाली फील्ड नोट बुक क्रमबद्ध नहीं है क्योंकि वे खुले पैड के रूप में पाई गई। इन किताबों में लिखी गई उपज मोटे तौर से प्रकाशित आंकड़ों से मिलती है। फिर भी पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रयोगों का रिकार्ड पूरा और विस्तृत रूप से क्रमबद्ध तरीके से, विशेषकर प्रत्येक प्रयोग के लिए एक अलग परियोजना फाइल में रखा जाना चाहिए। ऐसे रिकार्डों पर परियोजना के प्रभावी वैज्ञानिक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की संस्थाओं के वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस काम के लिए पहले ही तैयार की जा रही परियोजना फाइलों में प्रयोगात्मक आंकड़ों की सफाई तैयार करें। अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के मामले में, आंकड़े परियोजना समन्वयकर्ताओं द्वारा संकलित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और वार्षिक बैठकों में उन्हें विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(4) शरबती सोनार के मामले में 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की धान्य किस्म प्रयोगशाला में लीसिन तत्व के बारे में एक लीसिन एडवाइजर की प्रयोगात्मक भूल के कारण एक स्थान पर बढ़े हुए आंकड़े लिख दिए गए थे। जब यह अंक बाद में पुनः नहीं लिखा गया तो इसे अनुसंधान पत्रों और 1971 में प्रकाशित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनुसंधान बुलेटिन संख्या 6 'रीसैन्ट रिसर्च आन दी इम्प्रूमेंट आंफ प्रोटीन एण्ड न्यूट्रीटिव प्रोपर्टीज आफ फूड एण्ड फीड प्लान्टस' से निकाल दिया गया। नमूना लेने और प्रोटीन तथा लीसिन तत्व का परीक्षण करने और परिणामों का रिकार्ड करने वाली पद्धति पर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस्म परीक्षण प्रयोगशाला में अपनाई जाती है, वैज्ञानिकों के पैनल के एक सदस्य डा० जे० एस० पटेल ने विचार किया था और उनके मतानुसार 'तकनीकें' अच्छे स्टेन्डर्ड की हैं और उनकी यथार्थता संतोषजनक है। अतः रसायन अनुमानों के संबंध में कोई विशेष निर्देश देने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना का निरीक्षण

2174. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री बसंत साठे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल ही में किये गये निरीक्षण से ज्ञात होता है कि दिल्ली दुग्ध योजना बोतलों में नितांत अस्वास्थ्यकर ढंग से दूध भरती है तथा 'पास्टराइजेशन हाल' ऐसा नहीं है जहां मक्खियां न घुस सकें तथा वहां की दीवारों का पलस्तर उखड़ रहा है;

(ख) इस संयंत्र से स्वच्छता की कमी तथा अस्वास्थ्यकर कार्यकरण के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अन्य क्या टिप्पणियां की हैं; और

(ग) अस्वास्थ्यकर स्थितियों की रोकथाम के लिये कार्य की स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने 15 सितम्बर, 1973 को दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी का निरीक्षण किया था। स्वास्थ्य प्राधिकारी डेरी की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय डेरी को पूरी तरह मक्खीरोधी बनाने का काम हाथ में लिया जाना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार पलस्तरों की मरम्मत की जाये।

(ख) नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस आशय की कोई टिप्पणी नहीं की है। उसने मुख्यरूप से कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वर्दी पहनने, कर्मचारियों को टीका लगवाने, नियमित रूप से रद्दी माल हटाने, कुछ क्षेत्रों में जल निकास की स्थिति में सुधार करने और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चलाई जा रही कैन्टीन में स्वच्छता संबंधी स्थिति में और सुधार करने के बारे में टिप्पणी की थी।

(ग) नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर कार्यवाही की गई/की जा रही है। केन्द्रीय डेरी में पर्याप्त स्वच्छता बनाये रखने के बारे में काफी अधिक ध्यान दिया जाता रहा है तथा दिया जाता रहेगा। स्वच्छता संबंधी कार्य करने और कीट नियंत्रण उपाय करने के लिये विशेष स्टाफ पहले से ही है। दूध और दूध की बोतलों की विभिन्न उत्तरोत्तर स्तरों पर जैविक संदूषण मिटाने के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। इस बारे में गुण नियंत्रण संबंधी कटोर उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को रिहायशी विकसित भूखण्डों के आवंटन के तरीके के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुदेश

2175. **श्री बसंत साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को जिन्हें दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान की योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित की गई है, उक्त समितियों के पात्र व्यक्तिगत सदस्यों को रिहायशी विकसित भूखण्डों का आवंटन करने के तरीकों के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन करने से पूर्व उनसे यह आश्वासन ले लिया है कि इन अनुदेशों का पालन किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने अनुदेश जारी किये हैं कि अलग-अलग सदस्यों को प्लाटों का आवंटन लाटरी के आधार पर किया जाय तथा किसी समिति विशेष को भूमि का आवंटन यदि 2 खण्डों में किया जाता है तो उस समिति को इन दो खण्डों में प्लाट आवंटन करने की विधि के संबंध में दिल्ली प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। लाटरी दिल्ली प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाती है।

समिति के साथ निष्पादित किये गये पट्टा करारनामों में यह भी व्यवस्था है कि उन सदस्यों को प्लाटों का आवंटन किया जायेगा जिनका उप-राज्यपाल द्वारा इस प्रकार के आवंटन के लिए अनुमोदन किया गया हो। इस प्रकार का अनुमोदन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि समितियां अलग-अलग सदस्यों को प्लाटों का आवंटन उचित तथा न्यायसंगत ढंग से करें।

रत्नगिरि बन्दरगाह की बचाव दीवार के लिए ऋण

2176. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित रत्नागिरि (भगवती) बन्दरगाह में बचाव दीवार पूरी करने के लिये कितना ऋण मांगा है;

(ख) अब तक कितना ऋण दिया गया है एवं कितना अभी दिया जाना है और कब;

(ग) इस दीवार के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की कलकत्ता में हुई पिछली बैठक में इस दीवार के बारे में क्या निर्णय किया गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रत्नगिरि (भगवती) के विकास के लिये 107 लाख रु० की धन राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने अन्य कार्यों सहित पनकट दीवार का 1500 फुट से 1900 फुट तक विस्तार करने के लिये 150 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के लिये अनुरोध किया है।

(ख) 1972-73 के अन्त तक राज्य सरकार को 92 लाख रु० दिये गये थे और चालू वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि चौथी योजना में यथा अनुमोदित 1500 फुट की एक पनकट दीवार का निर्माण पूरा हो गया है।

(घ) इस संबंध में 6-7-1973 को कलकत्ता में हुई राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में कोई विशेष निर्णय नहीं किया गया।

राजपथों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को दी गई राज सहायता तथा ऋण का उपयोग

2177. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री राजकीय राजपथों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को राज-सहायता तथा ऋण के बारे में 30 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न

संख्या 8618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों ने कितने प्रतिशत राज-सहायता तथा ऋण का उपयोग किया हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : विवरण संलग्न हैं।

विवरण

राजमार्गों के निर्माण के लिए 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों को नौवहन और परिवहन मंत्रालय में (सड़क पक्ष) द्वारा दिये गये ऋण और राज सहायता के महालेखाकार द्वारा उपभोग/समायोजित राशि की प्रतिशतता को सूचित करने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1970–71	1971–72	1972–73
		के दौरान प्रतिशतता		
(1)	सामरिक महत्व की सड़के . . .	97 प्र०श०	97 प्र०श०	100 प्र०श०
(2)	पार्श्ववर्ती सड़क (राज्य भाग) .	92 प्र०श०	90 प्र०श०	100 प्र०श०
(3)	केन्द्रीय सड़क विधि	73 प्र०श०	65 प्र०श०	63 प्र०श०
(4)	आन्ध्र प्रदेश में राजमुन्डी में गोदावरी नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल	—	100 प्र०श०	100 प्र०श०
(5)	अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कें .	100 प्र०श०	94 प्र०श०	97 प्र०श०
(6)	खनन क्षेत्र में सड़कें	100 प्र०श०	—	100 प्र०श०
(7)	उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगापुल और कलकत्ता में दूसरा हुगली पुल	100 प्र०श०	100 प्र०श०	100 प्र०श०

गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए केन्द्रीय अनुदान

2178. **श्री शंकरराव सावन्त :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों को सफाई के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों और ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान उनका कितना उपयोग किया गया;

(ख) (1) बम्बई (2) मद्रास (3) कलकत्ता (4) दिल्ली (5) पूना (6) नागपुर (7) लखनऊ और (8) वाराणसी में गन्दी बस्तियों के पूर्णतः उन्मूलन के लिये कितनी धनराशि खर्च की जायगी; और

(ग) इस धनराशि को किस प्रकार व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्री मंत्रालय में राज्य (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना 1, अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में हैं तथा उस तारीख से

योजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायता सीधे नहीं दी जाती। तथापि, राज्य सरकारें, विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये समूह ऋणों तथा समूह अनुदानों का प्रयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि, दिल्ली के लिए दिये गये अनुदान तथा ऋण निम्नलिखित विवरण पत्र में में दिये गये हैं।

गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्य एक क्रमिक प्रक्रिया है तथा दिल्ली प्लान की योजनाओं के लिये निधियां, योजना आयोग के परामर्श से विभिन्न कारणों तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर दी जाती हैं।

विवरण

वर्षवार दी गई निधियां तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योजना	ऋण	राज सहायता	व्यय
1970-71	गन्दी बस्ती उन्मूलन .	23.10	5.85	38.31
1971-72	गन्दी बस्ती उन्मूलन .	0.86	9.22	20.99
1972-73	गन्दी बस्ती उन्मूलन	23.52	9.73	33.13

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर व्यय

2179. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान केंन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का राज्य वार व्यय क्या था; और

(ख) व्यय के अभिकरण कौन-कौन से हैं और व्यय के शीर्षक अथवा मद क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जानकारी संलग्न विवरण-पत्र 'क' में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5811/73]**

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-पत्र 'ख' में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5811/73]**

बाम्बे पोर्ट हाल्स लेस कारगो शीर्षक से समाचार

2180. **श्री रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 के इकोनामिक टाइम्स में बाम्बे पोर्ट हाल्ज लेस कारगो शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां। उक्त समाचार बंबई पत्तन न्यास द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट पर आधारित है, जिसमें 1972-73 वर्ष के लिए पत्तन न्यास की प्रशासन रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं।

(ख) 1972-73 के दौरान बंबई पत्तन द्वारा धरा-उठाई की गई यातायात 155.4 लाख टन थी, जबकि 1971-72 में यह 161.4 लाख टन थी, यातायात में ऐसे सीमान्त घटाव बढ़ाव के बारे में किसी विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है।

देश में सरकारी परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई जा रही बसें

2181. **श्री मधु लिमये** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी परिवहन उपक्रमों द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में और संघ शासित राज्यों में कुल कितनी बसें चलाई जा रही है;

(ख) कितने प्रतिशत बसें वस्तुतः चालू है और कितने प्रतिशत बसें खराब है; और

(ग) क्या सरकारी परिवहन उपक्रमों ने सड़कों पर अधिक बसें चलाने में सामने आ रही कठिनाइयों का कोई मूल्यांकन किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 31-3-1973 की 5118 बसें (इनमें मिजोराम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रम की बसें शामिल नहीं है।

(ख) वास्तविक रूप से चल रही और मरम्मत आदि के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वर्कशाप में पड़ी बसों की प्रतिशतता दिन प्रतिदिन अलग अलग-होती है।

(ग) टायरों और आवश्यक फालतू पुर्जों की अनुलब्धता अपर्याप्त मरम्मत और देखरेख की सुविधाओं और बेड़े में काफी पुरानी गाड़ियों की अधिक प्रतिशतता, उन मुख्य कारणों में से है जो कि इन उपक्रमों द्वारा सड़क पर अपनी गाड़ियों की अधिक प्रतिशतता को चलाने में बाधक सिद्ध हो रही है।

राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के सड़ने के बारे में जांच

2182. **श्री मधु लिमये** :
श्री बख्शी नायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के सड़नें और इस वर्ष इन्हें अन्तिम रूप से बेकार घोषित कर देने के प्रश्न के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने कोई समिति नियुक्ति की है;

(ख) पिछले तुलन-पत्रों और वार्षिक प्रतिवेदनों में सड़ गये बीजों के बारे में सही स्थिति को न बताने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जैसा कि 28 अगस्त, 1973 को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान बताया गया था, बीजों को बेकार घोषित करने का

कारण यह था कि उनकी अंकुरण-क्षमता निगम द्वारा अपनाये जाने वाले स्तरों से कम हो गई थी । इस मामले पर जांच करने के लिए किसी समति की नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) खराब हुए बीजों की राशि को कुछ सालों की अवधि में बट्टे खाते डाल दिया गया था। उन वर्षों में बट्टे खाते में डाले गये बीजों की कीमत संबंधित वर्षों के तुलनापत्रों में लिख दी गयी थी।

(ग) निगम ने विभिन्न किस्मों के बीजों की बाजार मांग के मूल्यांकन करने के संशोधित तरीके को लागू करने के अतिरिक्त बीज उत्पादन की अपनी पद्धति को सुव्यवस्थित कर दिया है। निगम अब इस बात पर जोर देता है कि राज्य सरकारों व अन्य बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों को अपनी पक्की मांग के बारे में एक वर्ष पहले सूचित करना चाहिए।

राज्यों द्वारा धान तथा चावल का थोक व्यापार

2183. **श्री मधु लिमये**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धान और चावल के थोक व्यापार/खरीद के एकाधिकार के मामले में निर्णय करने का काम जान बूझ कर राज्यों पर छोड़ दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) कितने राज्य धान और चावल के व्यापार/खरीद के एकाधिकार को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और ख) : क्योंकि चावल का थोक व्यापार लेने की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए न केवल कार्यचालन संबंधी ब्यौरों पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के पूर्ण योगदान और सहयोग की भी आवश्यकता थी। इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्रियों / राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं से कई एक बार विचार विमर्श किया। इन बैठकों में इस योजना में आने वाली कई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। बर्फर स्टाक और अपेक्षित प्रबंध न होने के कारण आगामी खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने से संबंधित नीति का पुननिर्धारण करने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त वार्ता को ध्यान में रखते हुए और चावल की अधिप्राप्ति में पर्याप्त तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए, उचित यही समझा गया कि यह बात राज्यों पर छोड़ दी जाये कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की कोई भी प्रणाली अपना लें। तथापि, मोटे तौर पर राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि वे या तो उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाने अथवा मिल मालिकों/ व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली को अथवा दोनों प्रणालियों को अपनायें और भारी संख्या में हुलरों को भी अपने नियंत्रण और देख-रेख में लाएं। जो राज्य सरकारें 1973-74 के खरीफ के मौसम से चावल के थोक व्यापार को अपने अपने हाथ में लेने की इच्छुक थीं उनको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

(ग) असम सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है। महाराष्ट्र और उड़ीसा की सरकारें अपने राज्यों में पहले से ही चावल/धान की एकाधिकार खरीदारी कर रही थीं।

मक्का, बाजरा और ज्वार की वसूली के लिए अखिल भारतीय नीति

2184. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मक्का, बाजरा और ज्वार की वसूली के लिए सरकार ने कोई अखिल भारतीय नीति अपनाई है,

(ख) क्या इन मोटे खाद्यान्नों के लिए कोई समर्थन तथा वसूली मूल्य निर्धारित किये गये हैं,

(ग) क्या इन मोटे अनाजों के व्यापार के सरकारीकरण या उनके बड़े पैमाने पर खरीद के कार्य को भी राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति को अपनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) मक्का, बाजरा और ज्वार सहित मोटे खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करना राष्ट्रीय खाद्य नीति का अभिन्न अंग बना रहेगा। विपणन मौसम 1973-74 के लिए इन खाद्यान्नों के सहायक तथा अधिप्राप्ति मूल्य घोषित कर दिये गये हैं। मोटे खाद्यान्नों का थोक व्यापार हाथ में लेने का कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, चालू खरीफ मौसम में मोटे खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे प्रत्येक राज्य में चल रही स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर एक प्रणाली अथवा संयुक्त प्रणालियां अपनायें जिससे अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने में सहायता मिल सके।

मूंगफली और तिलहन के उत्पादन का अनुमान

2185. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू खरीफ फसल में मूंगफली और तिलहन के उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या तिलहनों की कुल आवश्यकता को पूरा करने में कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई आयात कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 की अवधि के लिए मूंगफली आदि खरीफ तिलहनों के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु मौसम और फसल की स्थिति से संबंधित उपलब्ध रिपोटों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस वर्ष खरीफ तिलहनों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है।

(ख) हाल ही के वर्षों में देश में तिलहन व तेल के उत्पादन तथा मांग में बड़ा अन्तर रहा है। यह स्थिति जनसंख्या में वृद्धि होने, मूल्यों में परिवर्तन होने, आय और खपत के प्रतिमानों आदि के प्रभाव के अनुसार प्रति वर्ष उत्पादन और मांग के स्तर के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। खपत के व्यापक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में किसी विशेष वर्ष की मांग का पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

(ग) और (घ) लगभग 1.71 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों के आयात की व्यवस्था की जा चुकी है और वर्ष 1973-74 के दौरान 10 से 15 हजार मीटरी टन मूंगफली/तिल आयात करने की व्यवस्था की जा रही है। यह आयात वर्ष 1972-73 के कैनाडा खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए लगभग 13 हजार मीटरी टन तोरिया और वर्ष 1973-74 के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 80 हजार मीटरी टन तोरिया या उसके समतुल्य तेल के अतिरिक्त है।

खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

2186. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने देश में खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में केन्द्र के समक्ष दो योजनाएं प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या उनके मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ इन योजनाओं पर चर्चा ई थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इन योजनाओं पर कब तक स्वीकृति देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, पंजाब सरकार ने चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की दो योजनायें प्रस्तुत की थी।

(ख) उनमें से एक योजना सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 प्राइवेट उथले नलकूप निर्माण करने के विषय में थी। दूसरी योजना वर्तमान नहरी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 1000 गहरे नलकूप खोदने के विषय में थी।

(ग) जी हां। इन योजनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के मध्य विचार-विमर्श हुआ था।

(घ) भारत सरकार ने 10,000 उथले नलकूपों की योजना के लिए स्वीकृति दे दी है और इसके साथ-साथ भारत सरकार ने योजना के राज-सहायता अंश के लिए अनुदान सहायता के रूप में 2.5 करोड़ रुपये की राशि देने के विषय में भी स्वीकृति दे दी है। शेष 2.5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा संस्थागत श्रोतों से उपबन्ध की जानी है। परन्तु, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संसाधनों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार दूसरी योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता न दे सकी और राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत किस्त प्राप्त करने का प्रयास करे।

विश्वविद्यालयों, कालेजों, प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों की संख्या

2187. **श्री एस० एल० सक्सेना : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी हैं और उनमें वर्ष 1972 के दौरान कुल कितने विद्यार्थी तथा प्राध्यापक थे :

(ख) देश में सम्बद्ध कालेजों की कुल संख्या कितनी हैं और उनमें वर्ष 1972 के दौरान कुल कितने विद्यार्थी तथा अध्यापक थे; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1972 के दौरान देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों पर वार्षिक व्यय कितना किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है, जिसमें नवीनतम उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ग) 1972-73 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों संघटक तथा सम्बद्ध कालिजों को कुल 38.63 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये थे ।

विवरण

1972 के दौरान विश्वविद्यालयों, कालिजों, अध्यापकों तथा छात्रों की संख्या

(क)	(1)	विश्वविद्यालयों की संख्या	99†
	(2)	विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या**.	3,32,825*
	(3)	विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कुल संख्या **	22,842
(ख)	(1)	सम्बद्ध कालिजों की संख्या	3,934
	(2)	सम्बद्ध कालिजों में छात्रों की कुल संख्या**	25,09,489
	(3)	सम्वद्ध कालिजों में अध्यापकों की कुल संख्या**	1,16,362

†विश्वविद्यालय समझे जाने वाले 9 संस्थानों सहित ।

*विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों और सम्पोषित कालिजों में नामांकन सहित ।

**15-8-1971 के अनुसार आंकड़ें ।

सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी कारखाने और राज्यवार चीनी का उत्पादन

2188. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, सहकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में चीनी के कुल कितने कारखाने हैं तथा उन्होंने वर्ष 1972-73 के पेराई समय में, राज्य-वार, प्रत्येक क्षेत्र में कितना-कितना उत्पादन किया; और

(ख) वर्ष 1972-73 में, राज्यवार, कुल कितने क्षेत्र में गन्ना बोया गया जहां का गन्ना वर्ष 1973-74 के पेराई मौसम में पेराई के लिए उपलब्ध होगा, तथा गत वर्ष से इसमें कितनी वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में राज्य-वार, सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे चीनी कारखानों की संख्या तथा पेराई मौसम 1972-73 में राज्यवार प्रत्येक क्षेत्र में उनके कुल उत्पादन को बताने वाला एक विवरण संलग्न है : [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5812/73]

(ख) 1972-73 और 1973-74 मौसमों में, राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में गन्ना बोया गय और 1972-73 से 1973-74 तथा गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि हुई अथवा कमी की प्रतिशतता बताने वाल विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5812/73] 1973-74 से संबंधित सूचनाएं जोकि राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं, अस्थायी अनुमान के रूप में हैं । देश में उत्पादित गन्ने का लगभग 30-35 प्रतिशत चीनी तैयार करने के लिये प्रयोग किया जायेगा और शेष मात्रा को बीज के प्रयोजन के लिये गुड़, खंडसारी बनाने के लिये और चूसने के लिये प्रयुक्त किया जायेगा

गन्ने के मूल्य की लागत अनुसूची, चीनी का उत्पादन और चीनी मिलों को रियायतें

2189. श्री एस० एल० सक्सेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रदेशों के लिये वर्ष 1973-74 की फसल के लिये गन्ने का मूल्य किस लागत अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया गया है,

(ख) वर्ष 1973-74 में चीनी के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि लाने के लिये चीनी मिल मालिकों को क्या रियायतें दी गई हैं ; और

(ग) वर्ष 1973-74 में चीनी का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई निश्चित लागत अनुसूची नहीं तैयार की गई है। सरकार ने हाल ही में गन्ने और इसकी प्रतियोगी फसलों की उत्पादन लागत के बारे में नये सिरे से विस्तृत अध्ययन कार्य शुरू किया है। तथापि, गन्ने का मूल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय केन्द्रीय सरकार विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखती है जिनमें ये तथ्य शामिल हैं--गन्ने की उत्पादन लागत संबंधी उपलब्ध सूचना, वैकल्पित फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि-जिन्सों के मूल्यों का सामान्य रुख।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) मौजूदा संकेतों के आधार पर लगभग 45 लाख मी० टन।

विवरण

यदि कोई भी फैक्टरी अक्तूबर और नवम्बर, 1973 के दौरान 1972 की उसी अवधि के दौरान हुई अपनी पैदावार से अधिक पैदावार करती है तब उसे 40 रुपये प्रति क्विंटल का रिबेट दिया जायेगा।

दिसम्बर, 1973 से अप्रैल 1974 के महीनों में 1972-73 चीनी मौसम के दौरान उसी अवधि में पैदा की गई चीनी के 110 प्रतिशत से अधिक चीनी पैदा करने पर 20 रुपये प्रति क्विटल का रिबेट दिया जाएगा।

मई और जन, 1974 के लिए यह रिबेट 30 रुपये प्रति क्विटल होगा यदि 1973 की उसी अवधि के दौरान पैदा शुदा चीनी के 110 प्रतिशत से अधिक चीनी पैदा की जाती है।

जुलाई से सितम्बर, 1974 में यदि चालू वर्ष की उसी अवधि के दौरान पैदा शुदा चीनी के 110 प्रतिशत से अधिक चीनी तैयार की जाती है तब 20 रुपये प्रति क्विटल का रिबेट दिया जायेगा।

जिन कारखानों में चीनी वर्ष 1972-73 अर्थात् पहली अक्तूबर, 1972 को अथवा बाद में पहली बार उत्पादन शुरू किया था उनको 1973-74 चीनी मौसम के दौरान पैदा की गयी 10,000 मी० टन चीनी से अधिक चीनी तैयार करने पर 30 रुपये प्रति क्विटल का रिबेट दिया जायेगा। पहली अक्तूबर अथवा उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाले कारखानों को 5,000 मी० टन से अधिक पैदावार करने पर 30 रुपये प्रति क्विटल का रिबेट दिया जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम का विस्तार

2190. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के विस्तार के लिए 23 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इससे दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अधिक भीड़भाड़ को कम करना कहां तक संभव हो सकेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां। दिल्ली परिवहन निगम ने पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ रुपये के परिव्यय को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) निगम के पांचवी योजना कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) 2000 नई बसों की खरीद (750 बदली जाने के लिए तथा 1250 और बसों के लिए)।

(2) अतिरिक्त बस डिपुओं बस स्टेशनों, अन्तिम स्टेशनों के निर्माण तथा बस लाइन में खड़े यात्रियों के लिए बचाव स्थानों का निर्माण ।

(3) केन्द्रीय कर्मशाला में सुधार तथा बड़ी बिल्डिंग कर्मशाला का निर्माण।

(ग) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये वृहत्तर दिल्ली के व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन के अनुसार निगम की सेवाओं में इस प्रकार बढ़ाया जाना तथा युक्तिकरण किया जाना है कि 1979-80 वर्ष तक प्रतिदिन लगभग 20 लाख यात्रियों को लाया जा सके। प्रतिदिन यात्रियों की उपर्युक्त संख्या के ले जाने के लिए निगम को योजना अवधि के अंत तक लगभग 2900 बसों की आवश्यकता होगी। यदि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो आशा है कि बसों में बहुत हद तक भीड़भाड़ समाप्त हो जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बस समस्या के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

2191. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली यातायात पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में किये गये इस अध्ययन की ओर दिखाया गया है, जो 22 सितम्बर, 1973 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें अपनी प्रत्येक 10,000 कि० मीटर की यात्रा में 14.1 बार खराब होती है जबकि 10 वर्ष पूर्व यह संख्या 4.7 बार थी,

(ख) क्या यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि दिल्ली परिवहन की एक बस तथा उसके चालक दिन में 4.67 घंटे औसत कार्य करते हैं जबकि एक कर्मचारी के लिए कार्य का न्यूनतम औसत 7 घंटे प्रतिदिन का है,

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के इस असन्तोषजनक कार्य के कारण दिल्ली तथा इसके उपनगरों के निर्धन बस यात्रियों को टैक्सी तथा स्कूटर-टैक्सी जैसे अधिक खर्चीले परिवहन की दया पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के कार्य तथा कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां। परन्तु संबंधित अध्ययन अभी हाल ही का नहीं है। यह 1970-71 में किया गया था और इस पर रिपोर्ट जुलाई, 1972 में प्रस्तुत की गई थी।

(ख) जी हां। यह रिपोर्ट का निष्कर्ष है। परन्तु दिये गये आंकड़े दिल्ली परिवहन निगम की बस द्वारा दिन भर में तय की गयी मील दूरी से बहुत कम है। निगम संस्थान से इस स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) जी नहीं। इस समय, दिल्ली परिवहन निगम प्रति दिन औसतन 1265 बसें चला रहा है, 12424 फेरे लगा रहा है, जिससे 69.68 लाख मील की दूरी तय की जाती है और लगभग 12.36 लाख यात्री लाये ले जाये जाते है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम अधिक परिचालन दक्षता प्राप्त करने हेतु सभी प्रयत्न कर रहा है। निगम अधिक सकुशल एवं विश्वासनीय सेवाएं प्रदान करने हेतु अपने बेड़े में पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें ला रहा है। लगभग 3/4 महीने पहले, टायरों और आवश्यक फालतू पुर्जों की अत्यधिक कमी के कारण निगम को अपनी कुछ बसों को बन्द करना पड़ा। अधिक से अधिक बसें सड़क पर लाने हेतु, सभी उपलब्ध स्रोतों से टायर एवं दुर्लभ फालतू पुर्जों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं। निगम की गाड़ियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण सुविधाओं में सुधार लाने हेतु एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। फलतः राजधानी में बस सेवाओं में पहले ही कुछ सुधार हुआ है। निगम का यह भी प्रस्ताव है कि वह पांचवी योजना के दौरान प्रतिवर्ष 400 बसें प्राप्त करे और अतिरिक्त बस डिपुओं बस अड्डों, गंतव्य स्थानों तथा बस की प्रतीक्षा में खड़े यात्रियों के लिए बचाव स्थानों का निर्माण करे और एक ऐसी वर्कशाप बनाये जिसमें बस ढ़ांचों (बाडी) का निर्माण हो।

राज्यों द्वारा त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिन्दी को लागू करना

2192. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कितने राज्यों में हिन्दी लागू किया गया है और वे राज्य कौन-कौन से है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता देती है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) त्रिभाषा सूत्र शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होता है। त्रिभाषा सूत्र को ध्यान में रखते हुए, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर निम्नलिखित राज्यों में, हिन्दी को स्कूल स्तर पर अध्ययन के एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार

4. गुजरात
5. हरियाणा
6. जम्मू तथा काश्मीर
7. हिमाचल प्रदेश
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैंड
15. उड़ीसा
16. पंजाब
17. राजस्थान
18. उत्तर प्रदेश
19. त्रिपुरा
20. पश्चिम बंगाल

(ख) स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति तथा ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को अनुदान दिये जाते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनुदानों के रूप में विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों द्वारा निम्नलिखित राशियों का औसतन प्रतिवर्ष उपयोग किया गया है।

राज्य	रु० लाखों में
1. आन्ध्र प्रदेश	79.00
2. असम	14.00
3. गुजरात	7.00
4. कर्नाटक	25.00
5. केरल	25.00
6. महाराष्ट्र	1.50
7. मणिपुर (1972-73 से)	3.00
8. मेघालय (1971-72 से)	4.00
9. नागालैंड	2.00
10. उड़ीसा	18.00
11. पश्चिम बंगाल	8.00

दिल्ली में अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन

2193. **श्री टी० किरुतिनन :**
डा० गोविन्द दास रिछारिया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को, जिनके पास दिल्ली में अपने मकान हैं, सरकारी आवास का आवंटन करने के बारे में सरकार ने कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धनराशि से अथवा सरकारी सहायता से दिल्ली में अपने फ्लैट अथवा मकान बनाये हैं अथवा खरीदे हैं और जिनके पास अभी भी सरकारी आवास हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार, 19-12-1972 को 4,646 सरकारी कर्मचारियों का जिनके दिल्ली/नई दिल्ली में अपने मकान/फ्लैट हैं, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास पर दखल था।

Seamen on Ships

2194. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of persons working on the post of "Seamen" on the ships;

(b) the number of temporary and permanent "Seamen";

(c) the number of days in a year during which the temporary 'Seamen' have to remain unemployed;

(d) whether Government have formulated any scheme to utilise the man-power of these seamen during the days of unemployment; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : (a) The total number of registered foreign going and home-trade seamen at Bombay and Calcutta as on 1-1-1973 was 41,021 and 1,275 respectively.

(b) Information is being collected from shipping companies and will be laid on the Table of the House.

(c) After completion of the voyage, the seamen are discharged from the ships. They re called again for next employment on turn taking their seniority from the last date of discharge. The period of their waiting varies from seamen to seamen depending on factors such as department, roster and category to which a seamen be longs.

(d) No scheme to utilise the man-power of the seamen during the days of unemployment has been formulated.

(e) The National Maritime Board, a bipartite body of seafarers and shipowners, is considering the question of decasulisation of seamen.

विकल्प प्रस्तुत करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों की भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् में निमित करना तथा खपाना

2195. श्री भारत सिंह चौहान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने तक, जिनमें से कुछ को गजेन्द्रगडकर समिति ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय बारह तथा अन्य स्थान पर प्रयत्क्षतः वास्तविक पाया था, विकल्प प्रस्तुत करने वाले सरकारी कर्मचारियों को परिषद् की सेवा में नियमित करने तथा उन्हें स्थाई रूप से खपाने के लिये पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

(ख) क्या परिषद् के अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव बनाया गया है अथवा बनाया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1965 में किये गये फैसलों के क्रियान्वयन के लिये उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सचिवालय को, जो कृषि विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है, विभिन्न चरणों में एक ऐसे कार्यालय के रूप में बदलने के लिये कदम उठाये गये हैं, जो पूर्णतः परिषद् द्वारा नियंत्रित होगा और परिषद् ही इसे वित्तीय सहायता देगी । इस पुनर्गठित सचिवालय के साथ मिल जाने वाले स्टाफ की नियुक्ति परिषद् की सेवा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति के स्थापित होने से पहले की गई थी । 1-4-1965 को अनुसचिवीय ग्रेडों की प्रारम्भिक संरचना की अन्तिम रूप देने, नियमित आधार पर उन की पदोन्नतियां और/या नियुक्तियां करने और स्थायी पदों पर उन्हें स्थायी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से लिये गये फैसलों के अनुसार अब कदम उठाये जा रहे हैं । ये कार्य 1971 की रिट याचिका संख्या 88-91 में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान समिति के कुछ कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये एल०पी०ए० के सम्बन्ध में न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने के बाद ही किये जायेंगे ।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी कल्याण संघ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ब्रांच समिति के समाने 12 मांगें रखी थीं । जैसा कि समिति की रिपोर्ट के अध्याय 12 में दिया गया है, उनमें से बहुत थोड़ी ऐसी हैं जिन पर दिल्ली के उच्च न्यायालय में विचार हो रहा है । अन्य बातों के अतिरिक्त इन में सरकारी कर्मचारियों को विकल्प देने संबंधी और अनुसचिवीय कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता सम्बन्धी सिद्धांत भी शामिल हैं । रिपोर्ट में समिति ने कहीं भी 1-4-65 के बाद तदर्थ आधार पर पदोन्नति किये गये कर्मचारियों को नियमित करने या उनके स्थायीकरण के विरुद्ध कोई सुझाव नहीं दिया है । इसके विपरीत समिति ने नोट किया है । (रिपोर्ट के अध्याय 12 के पैरा 12.8) कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्ट आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि 1-4-65 के बाद की पदोन्नतियों के मामले में अनुसंधान पक्ष के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी समान समझे जायेंगे, उसे अनुसंधान पक्ष के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिये । जैसा कि ऊपर बताया गया है अनुसचिवीय कर्मचारियों (अनुसंधान पक्ष के कर्मचारी सहित) की तदर्थ पदोन्नति नियुक्तियों को नियमित करने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं ।

3. रिपोर्ट के अध्याय 12 के पैरा 12.11 में समिति ने सिफारिश की है कि सरकार के आदेशानुसार गत 5-10 वर्ष से जारी रहने वाले पदों को स्थायी बनाया जाना चाहिये और अनुसंधान पक्ष

के हकदार कर्मचारियों को उन पर स्थायी किया जाना चाहिये । जैसा कि ऊपर बताया गया है विभिन्न अनुसचिवीय ग्रेडों के पात्र अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिये कदम उठाये जा चुके हैं । स्थायी पदों पर हकदार कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है । इसी प्रकार पर्यवेक्षी संवर्ग में सोसायटी के कर्मचारियों को पदोन्नति/नियुक्ति के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिये समय समय पर ही कार्यवाही की जाती है । हाल ही में तैयार किये गये भर्ती नियमों के अनुसार 6 पदों पर (जो स्वीकृत पदों का 50 प्रतिशत है) सोसायटी के कर्मचारी अवर सचिव नियुक्त किये गये हैं जब कि अब तक उनके पास केवल तीन ही पद थे ।

4. रिपोर्ट के अध्याय 12 के पैरा 12.19 में अन्य बातों के अतिरिक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन कर्मचारियों को कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में लेने से पहले उनके स्थायित्व तथा वरिष्ठता सम्बन्धी अनिर्णीत दावों का फैसला किया जाना चाहिये । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निर्णय किये जा चुके हैं और निर्णय सम्बन्धी विवरण 12-11-73 को लोक सभा पटल पर रख दिया गया है । अतः सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान पक्ष के कर्मचारियों की उचित मांगों और शिकायतों पर सदा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है । इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में हाल ही में किये गये निर्णयों के अनुसार सभी उपयुक्त शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

नेपाल से चावल का आयात

2196. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कितने पड़ौसी देशों ने भारत को गेहूं अथवा चावल भेजने की पेशकश की है अथवा पहिले ही भेज दिया है, और

(ख) क्या नेपाल ने भारत को चावल भेजा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों ने भारत सरकार के आधार पर न तो गेहूं और चावल की भारत को पेशकश ही की है और न ही उन्हें भेजा है । तथापि, प्रत्येक वर्ष व्यापारिक माध्यमों से नेपाली चावल की कुछेक मात्रा भारत पहुंचती है ।

केरल के अजहीकल पत्तन संबंधी अध्ययन

2197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री पश्चिमी तट पर छोटे पत्तनों के विकास एवं विस्तार के बारे में 13 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने केरल में अजहीकल पत्तन का संभाव्यता अध्ययन तथा यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है ,

(ख) क्या इस पत्तन का विकास मध्यम दर्जे के ऐसे बन्दरगाह के रूप में करने के लिये कार्यवाही की गई है जहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा मध्यम दर्जे के माल ढोने वाले जहाजों तथा सभी रेलवे वाहनों को बारहों महीने सुविधायें मिलेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि ये पूरे हो चुके हैं।

(ख) राज्य सरकार ने विस्तृत जांच करने का काम शुरू कर दिया है और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय

2198. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का शाखा कार्यालय खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो के शाखा कार्यालय की पहले ही स्थापना कर ली गई है और फरवरी, 1973 से कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल राज्य सरकार के खिलाफ याचिका देने के कारण एरालम फार्म के निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही

2199. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री एरालम फार्म में संकट के बारे में 30 अगस्त, 1973 के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार के विरुद्ध लिखित याचिका देने के कारण फार्म के अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले फार्म निदेशक को फार्म से स्थानान्तरित कर दिया गया है। एरालम स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म के कार्य की जांच करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की

एक समिति स्थापित की गई है । समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय फार्म के प्रबन्धकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रशासनिक पद्धति व विशेषकर सामग्री की खरीद, कृषि उत्पादों के विक्रय, भर्ती एंव अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्मिक नीति के सम्बन्ध में जांच करना शामिल है । समिति के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों के विरुद्ध आगामी कार्यवाही (यदि कोई हो) करने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

वन तथा घासयुक्त जमीनों को बनाये रखने हेतु कार्यवाही

2200. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों तथा घासयुक्त जमीनों को बनाए रखने और देश को मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं ; और

(ख) इस संबंध में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हाल के वर्षों में मृदा तथा जल संरक्षण सम्बन्धी धारणा में काफी परिवर्तन हुआ है । ऐसे उपायों से संरक्षण तथा उत्पादन सम्बन्धी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जल क्षेत्र के आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा ताकि कृषि, वन तथा चरागाह की सभी प्रकार की भूमि का संरक्षण करके उसकी उत्पादिता को बढ़ाया जाएगा ।

इस कार्यक्रम को राज्य, केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जायेगा । पांचवीं योजना के दौरान कृषि भूमि के अलावा, लगभग 10 लाख हैक्टर बन तथा चरागाह भूमि का संरक्षण करने का विचार है ।

योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान मृदा तथा जल संरक्षण के मिश्रित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए लगभग 262 करोड़ रुपये की अनन्तिम व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा लघु कृषक विकास एजेन्सी के कार्यक्रमों से 80 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है । आयोग ने सड़कों, रेल के किनारों तथा नहरों के किनारों पर पेड़ लगाने, चारे के भंडारों बनाने चरागाह तथा चराई का विकास करने उजड़े हुए वनों में पुनः पेड़ लगाने उपयुक्त परती भूमि व पंचायत भूमि में मिश्रित किस्म के पौधे-लगाने आदि के कार्यक्रमों के लिए भी 39.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से देश की वन तथा चरागाह भूमि का सुधार होगा और इससे काफी सीमा तक भू-क्षरण भी रुक सकेगा ।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति

2201. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किन राज्यों ने इसका लाभ उठाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना, दादरा तथा नगर हवेली के केन्द्र शासित क्षेत्र, जहां यह अप्रैल 1972 में आरम्भ की गई थी, को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में अप्रैल, 1971 से कार्यान्वित की गई है । इसका कार्यान्वयन, तीन वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ किया गया था, जो मार्च, 1974 में समाप्त हो जायेगा । इस योजना में प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को वर्ष भर में औसतन 10 महीनों के लिए ऐसी परियोजनाओं, जो अनिर्वायतः श्रम-प्रधान हैं और स्थानीय विकास योजनाओं के अनुरूप स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां पैदा करने वाली हैं, के निष्पादन के माध्यम से रोजगार देने की परिकल्पना की गई थी । वास्तविक अनुभव से वर्ष भर में काम की अवधि 150 दिन पाई गई । वर्ष 1971-72 के दौरान वर्ष भर में 150 दिनों के लिए औसतन लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया । वर्ष 1972-73 के दौरान प्रत्येक जिले में लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार दिया । वर्ष 1973-74 में इस योजना के परिव्यय में लगभग 5 करोड़ रुपये की कमी की गई है । घटाये गये लगभग 42 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर जिले में 1800 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की सम्भावना है । रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, इस योजना ने लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनरोपण, बाढ़-बचाव तथा जल लनता निवारक उपायों, मत्स्यपालन, गोदामों, स्कूलों के कमरों और सड़कों की अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में बहुमूल्य उत्पादी परिसम्पत्तियों का निर्माण भी किया है ।

मेरेक्स रोग के लिए टीकों का आयात न करने के परिणामस्वरूप चूजों की मृत्यु

2202. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1973 के दिन हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि टीके के आयात में राज्य व्यापार निगम और कृषि मंत्रालय की लापरवाही के कारण 25 लाख चूजों की मैरक्स रोग से मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस घटना की जांच की है ; और

(ग) यदि इस संबंध में राज्य व्यापार निगम और कृषि मंत्रालय के लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। यह रोग देश में व्याप्त नहीं था अपितु आयातित पक्षियों से एकदम फैल गया था अतः कुक्कुट उद्योग के पास इस रोग के लिए रांग-रांधी टीके मौजूद नहीं थे । मृत्यु संख्या के सम्बन्ध में राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सरकार उचित प्रबन्ध तथा टीकों के माध्यम से रोग के नियंत्रण के मामले में लगातार सजग रही है । यह कहना सत्य नहीं है कि टीकों के आयात करने में राजकीय व्यापार निगम या कृषि मंत्रालय ने कोई लापरवाही की है। पहले यह निर्णय किया गया था कि केवल "हचरियों" के प्रजनन—योग्य पक्षियों को ही टीके लगाये जायें और इस प्रयोजन हेतु फांस से 7.5 लाख टीके आयात किये गये थे । जिस पर 75,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ । रोग के प्रभाव का पुनरीक्षण करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि उद्योग की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिये 106 लाख टीके (60 लाख टीके गैर-सरकारी) क्षेत्र के

लिये तथा 46 लाख टीके सरकारी क्षेत्र के लिये) आयात किये जायें। इस उद्देश्य के लिये राज्य व्यापार निगम को 8.3 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी जा चुकी है। अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिये राजकीय व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा की अग्रिम राशि में से 12 लाख टीके आयात किये जा चुके हैं। देश में टीकों का निर्माण करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के बारे में

RE. LOCK-OUT IN INDIAN AIRLINES

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। हमने इंडियन एयर लाइंस में तालाबन्दी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण नोटिस दिया था। पहली बार इंडियन एयर लाइंस में तालाबन्दी घोषित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस विषय पर वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह न्यायोचित नहीं है। यदि रेलवे में हड़ताल हो जाती है तो क्या हम रेलवे में तालाबन्दी कर दें?

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : कुछ लोगों का विचार है कि सरकार द्वारा तालाबन्दी की घोषणा न्यायोचित है।

इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों से जनता की अब कोई सहानुभूति नहीं रही है और लोग तालाबन्दी के मामले में सरकार के साथ हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसा नहीं है। इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। इस विषय पर सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

जब मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तब इस पर मैं विचार करूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 16) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5793/73]

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) चार के साथ पठित उड़ीसा मोटर-गाड़ी (यात्रियों पर करारोपण) अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 771/73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो उड़ीसा राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा मोटरगाड़ी (यात्रियों पर करारोपण) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 5794/73]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (डाक्टरी परीक्षा) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 702 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 5795/73]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 443(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5796/73]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अन्तरक्षेत्री गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 463 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) रोलर मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वार) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 490 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) दिल्ली रोलर मिल्स गेहूं उत्पाद (मिल द्वार तथा खुदरा) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 491 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 5797/73]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) लक्षद्वीप नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 482 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) लक्षद्वीप नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 483 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 5798/73]

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : मैं आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, सूर्यपेट शराब दुर्घटना सम्बन्धी कृष्णस्वामी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवेदन पर 'की गई कार्यवाही' सम्बन्धी ज्ञापन के साथ, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 5799/73]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है ;

"कि राज्य सभा 22 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 नवम्बर, 1973 को पास किये गये टैक्सटाइल समिति (संशोधन) विधेयक, 1973 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

श्री पट्टाभि रामाराव (राजमुंदरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री धरणीधर बसुमतारी के स्थान पर जिन्होंने लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग पत्र दे दिया है, संयुक्त समिति के शेष कार्यकाल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री धरणीधर बसुमतारी के स्थान पर जिन्होंने लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग पत्र दे दिया है, संयुक्त समिति के शेष कार्यकाल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

चीनी के राष्ट्रीयकरण संबंधी मार्ग व आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : (गोरखपुर) : चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करने सम्बन्धी भार्गव आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को 7 महीने पूर्व प्रस्तुत कर दिया था लेकिन सरकार ने सभा को इस बारे में की गई विभिन्न कार्यवाहियों की जानकारी नहीं दी है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादक, उपभोक्ता और चीनी मिल कर्मचारी बहुत कठिनाई में पड़ गये हैं । गन्ने की पेराई का मौसम आरम्भ हो गया है और गन्ना उत्पादक संघ गन्ने का मूल्य 15 रुपये मांग रहा हैं । अभी तक इस बारे में घोषणा नहीं की गई है । प्रशुल्क आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । चीनी के बड़े व्यापारी चीनी का मूल्य बढ़ाये जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं । मंत्री महोदय को चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

प्रो० मधु दण्ड वते : (राजापुर) : उक्त विषय पर कब चर्चा की जायेगी ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य केवल एक रुपया बढ़ाने की घोषणा की है । यदि माननीय मंत्री इसका मूल्य तीन रुपये बढ़ाने की घोषणा करते हैं, जैसा कि गन्ना उत्पादकों ने मांग की है, तो मैं उनकी घोषणा का स्वागत करूंगा ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : गन्ने की पेराई का मौसम आरम्भ हो गया है अतः मैं चाहता हूं कि चीनी सम्बन्धी नीति की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I fully support the suggestions given by my hon. friend. The price of sugar cane at present is rupees ten. No body is prepared to sell sugar cane in U.P.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): जहां तक 1973-74 की चीनी सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, सरकार ने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है । एक सांविधिक मूल्य निर्धारित कर दिया गया है तथा मूल्य गत वर्ष के बराबर अर्थात् 5 प्रतिशत वसूली के लिय 8 रुपये तथा प्रति एक प्रतिशत वृद्धि के लिये 9.4 पैसे रखा गया है । गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आंशिक नियंत्रण रहेगा । गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य दिया जा रहा है और उसे गत वर्ष की भांति दिया जाता रहेगा ।

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण और अन्य बातों के बारे में भार्गव आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । हमने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है । सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है । अन्तिम प्रतिवेदन के दिसम्बर के अन्त तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ।

दीर्घाओं से फोटो लेने के बारे में

Re. Taking photographs from Galleries

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने दीर्घा में फोटो लेने के बारे में मामला उठाया है । मैंने इस बारे में पूछताछ की है और मुझे पता लगा है कि कार्यालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी । विदेश से आये संभ्रात व्यक्तियों के लिये विशेष दीर्घा की व्यवस्था है । मुझे यह विदित नहीं है कि वे संभ्रात व्यक्ति कौन थे लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब भी वे सभा की कार्यवाही देखने आयेंगे उनका स्वागत है । उनका कोई अनादर नहीं किया गया है । अधिवेशन के दौरान सभा की फोटो लेने की कभी भी अनुमति नहीं दी जाती । यह बहुत पुरानी प्रतिष्ठित परम्परा है ।

इंडियन एयरलांइस में तालाबन्दी के बारे में वकव्य

Sta'ement re. Lockout in Indian Airlines

संचार तथा पर्यटन और नागर विभानन मंत्री (श्री राज बहादूर): इण्डियन एयरलाइन्स में नई शिफ्ट प्रणाली चालू किये जाने तथा इस सम्बन्ध में एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज़ यूनियन, इन्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसिएशन, और आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा प्रारम्भ किये गये आन्दोलन के परिणामस्वरूप जिसमें एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज़ यूनियन द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस भी शामिल है, 12 नवम्बर, 1973 से इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में बड़ा व्याघात और अव्यवस्था उत्पन्न हुई है । उड़ानों में अत्यधिक विलम्ब की घटनायें हुई और बहुत सी उड़ानों को पूर्णतः रद्द करना पड़ा जिससे यात्री जनता को बड़ी असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ा । मैं इससे पहले भी इस बात पर जोर दे चुका हूं कि जहां तक परिपालनों की सुरक्षा का सम्बन्ध है हम किसी प्रकार का खतरा नहीं लेना चाहेंगे । कर्मचारियों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा धीरे चलो की नीति, गैर-हाजिरी और समयोपरि काम करने से इन्कार इत्यादि के रूप में आन्दोलन चलाने के परिणामस्वरूप परिचालन के लिये उपलब्ध विमानों में उत्तरोत्तर कमी होने लगी और पूर्णतः यह सुनिश्चित कर सकना असम्भव हो गया कि सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाये रखा जा सकेगा । प्रबन्धक-वर्ग ने यूनियनों के साथ बात-चीत का सिलसिला जारी रखा और यूनियनों के व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी कई घन्टों तक विचार-विमर्श किया जिसके दौरान सम्बन्धित मसलों को हल करने की हर कोशिश की गई । अभाग्यवश, इस बात-चीत और विचार-विमर्श का कोई सफल परिणाम नहीं निकला । इन परिस्थितियों में इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग के पास इस के सिवाय और कोई चारा न रहा कि 24 नवम्बर, 1973 को प्रातः 3 बजे से ताला-बन्दी की घोषणा कर दी जाये ।

2. मैं महसूस करता हूं कि ताला-बन्दी से जनता को बड़ी भारी असुविधा उठानी पड़ेगी । मैं इस बात को भी पूरी तरह से महसूस करता हूं कि उन कर्मचारियों पर भी जो अपने कर्त्तव्य-पालन

के इच्छुक हैं, बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मुझे इस बात का अत्यधिक खेद है और मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित यूनियन नई शिफ्ट प्रणालियों के अनुसार कार्य करने के लिये शीघ्र ही सहमत हो जायेंगी ताकि सेवाओं को कम से कम समय में पुनः बहाल कर दिया जाये ।

3. इस सदन को यह सूचित करते हुये मुझे हर्ष होता है कि कल इण्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन्स एसोसिएशन इससे सहमत हो गये हैं । यह उचित दिशा में एक कदम है । इन्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग ने यह बात साफ कर दी है कि नई व्यवस्था के परिचालन से प्राप्त किये गये अनुभव के परिणामस्वरूप यदि आवश्यक हुआ तो वे नयी शिफ्ट प्रणाली में यथोचित संशोधन एवं परिवर्तन करने के लिये सदा तैयार रहेंगे । अब भी यही स्थिति है और इसलिये मैं एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज़ एसोसिएशन और इंजीनियर्स एसोसिएशन से अनुरोध करूंगा कि वे भी इन्डियन एयरक्राफ्ट तकनीशियन एसोसिएशन के उदाहरण का अनुसरण करें, तथा नयी शिफ्ट प्रणाली को एक बार आजमाइश का मौका दें और तब यदि वे कोई सुझाव देना उचित समझें तो उनकी प्रबन्धक-वर्ग के साथ चर्चा करें ।

4. तथापि, ताला-बन्दी की अवधि के दौरान यात्री जनता को होने वाली असुविधा को कम से कम करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कुछ सेवाओं का अपने कार्यकारी-स्टाफ की सहायता से परिचालन करने का प्रयत्न करेगी । अस्थायी समयावलि की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है ।

इंडियन एरलाइंस

मुख्यालय

27 नवम्बर, 1973 से प्रभावी अस्थायी समयावलि

आई सी-175	आई सी-100	आई सी-105	बोइंग 707	आई सी-106	आई सी-110	आई सी-176
दैनिक	दैनिक	दैनिक		दैनिक	दैनिक	दैनिक
1715	1120	0615	प्र० बम्बई आ०	0955	1540	2245
		0740	अ० बंगलौर	प्र० 0830		
	1300		आ० मद्रास	प्र०	1400	
1930			आ० कलकत्ता	प्र०		2015

आई सी-187				आई सी-188		
3.6.	2.7.	1.4.5.		1.2.4.5.	3.6	7.
1830	1200	0645	प्र० बम्बई आ०	1100	1730	1615
2015	1345	0830	आ० दिल्ली प्र०	0915	1545	1430

बोइंग-737

आई सी-401	आई सी-402	आई सी-209	आई सी-210
दैनिक (रविवार को छोड़कर)		दैनिक (रविवार को छोड़कर)	
0730 प्र० दिल्ली	आ० 1835	1010 प्र० कलकत्ता	आ० 1545
0925 आ० कलकत्ता	प्र० 1630	1105 आ० गौहाटी	प्र० 1450

आई सी-211	आई सी-212	आई सी-267	आई सी-268
दैनिक (रविवार को छोड़कर)		दैनिक (रविवार को छोड़कर)	
1.3.5.	1.3.5.	2.4.6.	2.4.6.
1150 प्र० गौहाटी	आ० 1405	1150 प्र० गौहाटी	आ० 1400
1235 आ० छबुआ (मोहनबारी)	प्र० 1320	1230 आ० इम्फाल	प्र० 1320

आई सी-403	आई सी-404	आई सी-423	आई सी-424
दैनिक (रविवार को छोड़कर)		दैनिक (रविवार को छोड़कर)	
0630 प्र० दिल्ली	आ० 1410	1450 प्र० दिल्ली	आ० 1800
0825 आ० हैदराबाद	प्र० 1215	1450 आ० श्रीनगर	प्र० 1645
0905 प्र० हैदराबाद	आ० 1135		
1000 आ० बंगलौर	प्र० 1040		

कारबेल

आई सी-181	आई सी-182	आई सी-439	आई सी-440
दैनिक (रविवार को छोड़कर)		दैनिक (रविवार को छोड़कर)	
0700 प्र० बम्बई	आ० 1855	0940 प्र० दिल्ली	आ० 1605
0855 आ० दिल्ली	प्र० 1700	1230 आ० मद्रास	प्र० 1315

आई सी-103	आई सी-104	आई सी-119	आई सी-120
दैनिक (रविवार को छोड़कर)		दैनिक (रविवार को छोड़कर)	
0900 प्र० बम्बई	आ० 1130	1215 प्र० बम्बई	आ० 1545
0955 आ० अहमदाबाद	प्र० 1035	1330 आ० हैदराबाद	प्र० 1430

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

अध्यक्ष महोदय: कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा । बाद में इस पर चर्चा की जा सकती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

अध्यक्ष महोदय : अब हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में चर्चा करेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यद्यपि शिक्षा क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, फिर भी क्षेत्र में पूरा विकास नहीं हुआ है । शिक्षा के स्तर में वांछनीय प्रगति नहीं हुई है ।

शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति को अपनी जीविकार्जन के लिये तैयार करना तथा देश के सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन में सहयोग देने में सक्षम बनाना है । दुर्भाग्य से वर्तमान शिक्षा हमारी उक्त उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी है जिसके लिये हम वचनबद्ध हैं ।

विश्वविद्यालय से लोग बड़ी आशा लेकर निकलते हैं लेकिन जब वे संसार में अपना जीवन यापन आरम्भ करते हैं तो अपने को असहाय पाते हैं । एक समय था जब हमारे माता पिता हमें कहते थे "कि यदि आप परीक्षा में सफल होंगे तो, आप जीवन में सफल होंगे" लेकिन अब स्थिति बदल गई है ।

आज देश को तकनीशियनों, वैज्ञानिकों और मैडिकल छात्रों की आवश्यकता है । लेकिन विश्व-विद्यालय अनुदान के प्रतिवेदन से विदित होता है कि विज्ञान, चिकित्सा और कृषि के छात्रों की संख्या कम हो रही है और विधि और कला के छात्रों की संख्या बढ़ रही है । आज न्यायालय वकीलों से भरे पड़े हैं । अतः जो छात्र विधि और कला की शिक्षा प्राप्त कर विश्वविद्यालय से निकलते हैं और जैसे ही वे जीवन में प्रवेश करते हैं वे अपने को बड़ी असहाय अवस्था में पाते हैं । इसमें असन्तुलन है और अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस असन्तुलन को दूर करने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे । मुझे यह आशंका है कि बेरोज़गार युवक ज्वालामुखी की तरह भड़क उठेंगे । आज हम ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां, हमारे देश के नवयुवकों को यदि समुचित निदेश दिया गया तो वे देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं । अतः शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा संस्थाओं को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । चिकित्सा, विज्ञान और कृषि के छात्रों की जिनकी हमें अधिक आवश्यकता है, संख्या कम हो रही है और कानून तथा कला (आर्ट्स) के छात्रों की संख्या बढ़ रही है ।

आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि इतनी अधिक बेरोज़गारी के बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें छात्रों की कमी है । स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों की संख्या पर्याप्त नहीं है और न ही व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 4, 5 और 6 को देखने से पता चलता है अनुदान की राशि जो 1969-70 में 360.56 करोड़ रुपये थी वह बढ़कर 1971-72 में 404.10 करोड़ रुपये हो गई है क्योंकि स्टाफ पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है । जबकि इसी अवधि में उपकरणों की लागत जो 1969-70 में 99.65 लाख रुपये थी, 1971-72 में कम होकर 83.83 लाख रुपये रह गई है । यदि उपकरणों और पत्र-पत्रिकाओं पर कम राशि खर्च की जायेगी तो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है ।

इससे इस बात का पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नेतृत्व का अभाव है क्योंकि वह स्टाफ पर भारी राशि खर्च कर रहा है । अतः उसे पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें और अनुसंधान पर भी, स्टाफ के लिये जितना खर्च किया जाता है, उसी अनुपात में खर्च करना चाहिए ।

शिक्षा प्रणाली के बारे में देश में कोई उचित अनुसंधान नहीं हुआ है । प्रो० मधु दण्डवते ने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराने का उल्लेख किया था । अधिकांश विश्वविद्यालयों ने कुलपतियों तथा अन्य लोगों के सुझाव पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है परन्तु दुर्भाग्यवश, उन्होंने इस प्रश्न की जटिलताओं पर विचार नहीं किया । अनेक विश्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । अतः मेरा अनुरोध है कि विभिन्न विषयों की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से देने के प्रश्न पर अनुसंधान के लिये अधिक समय और धन व्यय किया जाना चाहिये ।

छात्रों में अनुशासनहीनता अथवा असन्तोष के बारे में भी समुचित अध्ययन नहीं किया गया है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिये । इस सम्बन्ध में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गम्भीरता से विचार करना चाहिये । राजनीतिक दल छात्रों को राजनीति से अलग रहने की इस नीति का उपयोग परोक्ष रूप से अपने हितों और आन्दोलनों के लिये कर रहे हैं । यदि हम छात्रों को राजनीतिक स्वरूप का अर्थ बता सकें तो वे देश के विकास में योगदान दे सकते हैं ।

राजनीतिक दलों ने समूची शिक्षा प्रणाली को दूषित कर दिया है । अतः छात्रों को राजनीति से अलग रहने को कहने मात्र से देश का भला नहीं हो रहा है ।

आज समूची शिक्षा प्रणाली की कोई वचनबद्धता नहीं है । हम कहते आये हैं कि लोकतन्त्र होना चाहिये, समाजवाद होना चाहिये और धर्म निरपेक्षवाद होना चाहिये । परन्तु क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ने हममें से किसी को यह सिखाया है कि समाजवाद क्या है, लोकतन्त्र क्या है और धर्म-निरपेक्षवाद क्या है ? हम अभी भी ब्रिटिश शासन के समय की प्रणाली को अपनाये हुए हैं । स्वतन्त्र भारत में हमें अपनी शिक्षा की वचनबद्धता में परिवर्तन करना चाहिये । लोकतन्त्र का सही अर्थ मानवता के मूल्यों का विकास है ।

हमारे अधिकांश जीवन-चरित्र इसी वाक्य से आरम्भ होते हैं कि अमुक व्यक्ति उच्च जाति का है । पाठ्य पुस्तकों से जातीय भेदभाव के मिट जाने का आभास नहीं मिलता है । जीवन-चरित्र इस प्रकार लिखे जाने चाहिये कि उन्हें पढ़कर छात्र यह महसूस करें कि वे भी ऐसे ही महान व्यक्ति बन सकते हैं ।

अगली बार जब इस प्रतिवेदन पर चर्चा होगी तो मुझे आशा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बारे में पता चलेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): There is no quorum in the House.

Mr. Speaker: Let the Bell be rung.

एक सुझाव आया है कि जब हम केवल चर्चा कर रहे होते हैं तो गणपूर्ति की अवहेलना की जा सकती है परन्तु निर्णय के समय गणपूर्ति होनी चाहिये ।

क्या यह ठीक है कि माननीय सदस्य बोलते जायें और घन्टी बजाई जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री नायर आप बोल सकते हैं । अब गणपूर्ति हो गई है ।

श्री एन० श्रीकान्तन् नायर (क्विलोन): सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जितना धन आबंटित किया गया है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है साथ ही कालेजों और छात्रों की संख्या में भी इतनी वृद्धि हुई है कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये मांग की जा रही है ।

वर्ष 1971-72 के लिये 56 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश में उच्च शिक्षा के लिये 34.60 करोड़ रुपये की अल्प राशि रखी गई है । इस थोड़ी सी राशि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा की देख-रेख किस प्रकार कर सकता है ? मैं कालेज के कर्मकारियों के वेतनमानों का उदाहरण देना चाहता हूं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा कर्मचारियों के लिये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये उदारतापूर्वक नये वेतनमान निर्धारित किये जाते हैं परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस शर्त पर, कि विश्वविद्यालय तथा कालेज पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् भी ऊंचे वेतनमान देते रहेंगे बढ़ी हुई परिलब्धियों का केवल 80 प्रतिशत ही देता है और इस पंचवर्षीय अवधि के पश्चात् यह समूचा भार विश्वविद्यालयों पर आ जाता है । विश्वविद्यालयों की अपनी कोई आय नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चाहिये कि वह ऐसी नीति बनाएं कि अध्यापकों के वेतन के लिये सहायता जारी रखे । उसे उस समय तक अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने के नये प्रस्ताव नहीं रखने चाहिये जब तक वह स्वयं इस सम्बन्ध में योगदान न दें ।

अब मैं विशेष परियोजनाओं के प्रश्न पर बोलता हूं । ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय को कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समझ लेना चाहिये । नई परियोजनाओं के लिये पांच वर्ष के लिये अनुदानों की स्वीकृति दी जाती है परन्तु उन से कुछ परियोजनाएं दो या तीन योजना अवधियों तक चलती रहती हैं । ज्यों ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देना समाप्त कर देता है कर्मचारियों को सेवाओं से हटाना पड़ जाता है क्योंकि विश्व-विद्यालयों के पास उनका अपना बजट नहीं होता है । केरल विश्वविद्यालय में ऊंचे वेतन पाने वाले और 10 से 15 वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को निम्नतम वेतनमान पर रखना पड़ा ।

अतः विशेष परियोजना के प्रश्न का अध्ययन किया जाना चाहिये और इस आशय के अनुदेश दिये जाने चाहियें कि केवल स्थायी 'लिएन' वाले लोगों को ही ऐसी परियोजनाओं में रखा जाना चाहिये ताकि ज्योंही परियोजना का कार्य पूरा हो वे लोग अपने मूल पदों पर वापिस जा सकें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा और विशेषज्ञ शिक्षा का विकास करना है । इस समय अधिकतर विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के बिना स्तानकोत्तर पाठ्यक्रमों का आधिक्य है । जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है । स्वायत्तता के प्रश्न के अतिरिक्त यदि हमें इस बात पर बल देना है कि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न चलाये जिसमें उसी विश्वविद्यालय से निकले हुए स्नातक अधिक संख्या में हों तो इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे और अध्यापन कार्य अधिक कुशल होगा ।

विज्ञान की पढ़ाई का प्रश्न एक हास्यप्रद समस्या है । प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक क्षेत्र तथा विज्ञान शिक्षा के प्रत्येक पहलू में हुए परिवर्तनों की पूर्ण उपेक्षा की गई है । अतः विशेषज्ञों की कार्य समिति

नियुक्त करने के बजाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध विशेषज्ञों का एक स्थायी निकाय गठित किया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक परिवर्तन की समीक्षा की जा सके और पाठ्यक्रम नये ढंग से तैयर किया जा सके ।

मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के प्रश्न को जहां तक सम्भव हो टाला जाये क्योंकि इससे विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच रुकावटें पैदा होंगी और राष्ट्रीय एकता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

कालेजों की स्वायत्तता जैसी योजनाओं के बारे में विश्वविद्यालयों को परिपत्र जारी करने के बजाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वयं ऐसी योजनाओं का प्रयोग करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: इण्डियन एयरलाइन्स में ताला-बन्दी पर चर्चा के लिये आज समय नहीं मिल रहा है । इस पर चर्चा के लिये कल 3 बजे म० प० से 4 बजे म० प० रखा जायेगा क्योंकि 4 बजे म० प० पर आई० सी० ए० आर० पर भी चर्चा रखी हुई है ।

श्री पी० जी० मानलंकर (अहमदाबाद): श्री लंका के माननीय अध्यक्ष के साथ कल 3 बजे बैठक है ।

अध्यक्ष महोदय: वैसे सभा को तो चलते रहना है । यही समय मिल रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The time for discussion should be two hours.

Mr. Speaker: We shall make a little adjustment in time.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): मैं आर्थिक संकट के प्रति पूर्णतया जागरूक हूं परन्तु शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण कार्य है । इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है जिसके परिणामस्वरूप कई कालेजों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालयय अनुदान आयोग के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण रखे ताकि महत्वसूर्ण परियोजना चलती रहें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों की आवश्यकताएं पूरी करता है । सम्बद्ध कालेजों में छात्रों की संख्या 87 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों में 13 प्रतिशत है परन्तु इन सम्बद्ध कालेजों पर बहुत ही कम धन खर्च किया जाता है । सम्बद्ध कालेजों में भी अनुसंधान कार्य होता है अतः उनकी भी सहायता की जानी चाहिये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ धनराशि दी जानी जाहिये ताकि इन सम्बद्ध कालेजों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा न पड़े ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): The University Grants Commission was set up to bring about proper development in the field of higher education in the country.

To-day we find expansion of higher education in cities whereas the rural areas remain neglected. It is surprising that the Agriculture Universities and Colleges are also set up in the cities. I draw the attention of the hon. Minister Education and the U.G.C. towards the expansion of education in rural areas.

I would like to cite an example. At the insance of the U.G.C., the Birla Institute of Technology and Science, Pilani has been given the status of a University. This Institution receives aids from foreign agencies and other big institutions. It has become a den of corruption.

I would like to say that the appointment of the Director of this Institute has not been made in conformity with the rules and there have also been the cases of misapropriation of funds.

We welcome the autonomy of such institutions but it is our duty to see whether they are functioning properly or not.

Mr. Speaker: Please speak on the report of the U.G.C.

Shri Shivnath Singh: The U.G.C. is not discharging its duties properly. This is a white elephant.

The U.G.C. should pay attention to the working of the Birla Institute of Technology and Science.

Mr. Speaker : Much time than the fixed has been taken. How much time the hon. Minister requires ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : Half an hour.

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों को बोलना है प्रत्येक पांच मिनट तक बोलें ।

श्री एम० एम० जोजफ (पीरमाडे): मुझे इस बात में सन्देह है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के लगभग 33 लाख छात्रों के सर्वांगीण विकास की एक ही संस्था किस प्रकार ध्यान दे सकती है । अत: सरकार को चाहिये कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कम-से-कम दो और यूनिट खोले । इनमें से एक यूनिट दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए मद्रास में तथा दूसरा पूर्वी राज्यों के लिये कलकत्ता में खोला जाना चाहिये ।

आज की शिक्षा राज्य का विषय बनी हुई है । हायर सेकण्डरी शिक्षा तक राज्य सरकारों की होनी चाहिये और उच्च शिक्षा को केन्द्रीय सरकार का विषय बनाया जाना चाहिये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरम्भ किए हैं । जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं । इस समय सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय उत्तरी भारत में हैं । उनमें से एक विश्वविद्यालय दक्षिणी भारत में क्यों नहीं स्थापित किया जाता ? चूंकि साक्षरता के मामले में केरल का स्थान प्रथम है इसलिये केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये । यह समाचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 74 विश्वविद्यालयों को 56 करोड़ रुपये दिये हैं साथ ही पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 7 करोड़ दिये हैं । यह दुख का विषय है कि दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है । इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये :

प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के स्तर की अपेक्षा इसके विस्तार पर अधिक ध्यान दे रहा है । शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये । पुरानी परीक्षा पद्धति में भी सुधार किया जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन से हमें पता चलता है कि अधिकांश छात्र सम्बद्ध कालेजों में ही पढ़ रहे हैं । सम्बद्ध कालेजों को दिये जाने वाले अनुदान बढ़ा दिये गये हैं । यह अच्छी बात है परन्तु अनुसंधान तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये दी जाने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये । कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में जो असमानता है उसे भी दूर किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों को और बोलना है, में मैंने समय बढ़ा दिया है। मंत्री महोदय 2 बज कर 30 मिनट म० प० पर उत्तर देंगे ।

तत्पश्चात् लोक-लभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

उपाध्यक्ष महोदय: हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा जारी करेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर): 26 नवम्बर 1969 को शिक्षा मंत्री ने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उससे अपेक्षित भूमिका अदा करवाने के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है । मेरे विचार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य केवल विभिन्न कालेजों को धनराशि वितरित करने तक ही सीमित रह गया है । उसे विश्वविद्यालयों और कालेजों के नीति निर्धारण में सक्रिय भाग लेना चाहिए । कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसके बारे में लार्ड कर्जन ने 100 वर्ष पूर्व प्रशंसायुक्त शब्द कहे थे आज अपना स्तर खो चुका है और उसके विद्यार्थियों का एक मात्र ध्येय परीक्षाओं को पास करना ही रह गया है । कलकत्ता विश्वविद्यालय के विभिन्न भाग अलग-अलग स्थित हैं इससे उनमें सामंजस्य का अभाव है । इसी कारण कुछ वर्ष पूर्व शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस विश्वविद्यालय का ढांचा कैम्पस के रूप में हो ताकि विद्यार्थी अध्यापक आदि में सामंजस्य रह सके ।

चीन में जो शिक्षा दी जाती है वह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित मौलिक बेसिक शिक्षा के अनुरूप है । वहां के विद्यार्थी के लिए उच्च अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व दो-तीन वर्ष किसानों और कामगारों के साथ कार्य करना आवश्यक होता है । उनके लिए ऐसा किए बिना शिक्षा सारहीन तथा अपूर्ण है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान देता है परन्तु दुःख की बात यह है कि हमने इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों ने सम्भलपुर उत्कल तथा ब्रह्मपुर विश्वविद्यालयों का दौरा किया था परन्तु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ ही विश्वविद्यालयों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये और न ही अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से आंख मूंदनी चाहिए इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक धन दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अभी हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक इजरायली प्रोफेसर को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था परन्तु उसने इसका उद्देश्य अपने राजनीतिक प्रचार के लिए किया। समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया?

आज शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही रह गया है। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे मन और आत्मा का विकास हो सके। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा न परम्परागत है और न ही सारवान।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग को अनुसंधान कार्य चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दी है। दुर्भाग्य से वर्ष 1928 से 1963 तक के वर्षों में इस विभाग द्वारा केवल दो विद्यार्थियों को डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। परन्तु डा० के० वी० राव के विभागाध्यक्ष की अवधि में 12 विद्यार्थियों को डाक्टरेट की उपाधि मिली। अब विश्वविद्यालय में डा० राव को निकालने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों, विद्यार्थियों, उपकुलपति तथा अध्यापकों में सद्भावनापूर्ण तालमेल होना चाहिए तभी शिक्षा को देश की आवश्यकता के अनुसार ढाला जा सकता है।

*श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (थंजावूर) : यह एक आम बात है कि कोई भी नया शिक्षा मंत्री कार्यभार संभालने के उपरान्त शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की बात करता है परन्तु यह सब घोषणाएं धरी की धरी रह जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन घोषणाओं का मूर्तरूप देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

विद्यार्थियों में बढ़ते हुए असंतोष का एक कारण भविष्य के प्रति अनिश्चितता है। इसके कारण ही वे अपने अध्ययन की ओर पूरे मन से प्रवृत्त नहीं होते हैं।

दुःख की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष के कारणों को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। इस आयोग को सरकार से पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं मिलता है। जब भी सरकार अपने खर्च में मितव्ययिता लाती है तो इसका पहला शिकार शिक्षा मंत्रालय होता है। शिक्षा मंत्री को पांचवीं योजना में शिक्षा के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बिना देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा न करने से उनमें व्याप्त असंतोष सारे देश को अपनी लपेट में ले लेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का सदुपयोग हो। देश में उच्च अध्ययन के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है। आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

तमिलनाडु में पुलिस और विद्यार्थियों के बीच हुए संघर्ष की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग ने पुलिस को उत्तरदायी ठहराया है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन कारणों को जानना चाहता है तो उसे जांच आयोग में अपना एक सदस्य नियुक्त करना चाहिए ताकि वह भी उनकी शिकायतों से अवगत हो कर सार्थक कार्यक्रमों को बनाए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान देने वाली मात्र एजेंसी न रह कर नीति निर्धारक की भूमिका भी निभानी चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Considering the importance of education, the Government should provide more fund to the Education Ministry. The number of Colleges and students have increased but it is regreted that after finishing their education, the students demand employments. The University Grants Commission should ensure that Colleges and Universities turn out such students who have enough confidence to start their own projects. Along with quantity emphasis should be laid an quality also.

The University Grants Commission should see that education is given through mother tongue. Our culture and literature find expression only through mother tongue. The Commission should ensure that curriculam for the students include the lives of Great people so that students may get inspiration from them. As a number of litterateurs, artistes and learned person speaking our mother tongues are residing abroad, there should be a sort of contact between them and person of the same categories in our country. This kind of contact will be beneficial for the country. The Government is not acting in accordance with the constitution. The affluent states and region are establishing a large number of Colleges and getting grants from the University Grants Commission. But backward regions are unable to keep pace with them. That is why such regions are lagging behind in the field of education. I urge the Government that they should open Central University in backward regions like Balia and Azamgarh.

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

The degree college for women in Balia is not getting any grants. The eastern regions of Uttar Pradesh are backward in regard to Women education. But even then they are not receiving grants. The Commission should take this matter into consideration. We apply to the Commission for grants but no action is taken. The State Goverments particularly of Uttar Pradesh and Bihar do not help in this matter because they will also have to give matching grants. Their resources are meagre.

The Number of harijans in our area is more but inspite of this not a single harijan hostel has been opened there. The attitude of Caste Hindus towards them is not encouraging. Therefore Harijan hostels should be opened there so that this Community may receive necessary facilities to enhance their educational qualifications.

A member from neglected and backward region shoud be included in the University Grants Commission so that he could appreciate our difficulties. Regarding the Agriculture College in our area, I want to say that inspite of fulfilling requisite conditions, it is not getting grants from the University Grants Commission. The Government should look into this matter.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The University Grants Commission is doing appreciable work but due to shortage of funds, they cannot entertain applications seeking grants. The hon. Minister should see that more funds are provided in the budget for education. The Govt. should implement the recommendations of Kothare Commission and Sen Commission.

No attention is being paid to the demands of non-teaching staff in colleges and and Central Universities. They are demanding that they should be given salaries according to the recommendations of Pay Commission. The Delhi University has constituted a committee to go into the matter in regard to implementation of new pay scales as recommended by Pay Commission. This may be expedited.

The employees of almost all universities are agitated for keeping their Unions out of Industrial Disputes Act. We do not want to entertain any agitiation from students, teachers and employees. I humbly request to the hon Education Minister that he should give his concurrence for bringing employees' Unions under the purview of Industrial Dispute Act. Although the salaries of Uttar Preadesh's teachers have been increased but comparatively it is less than other states. This matter may be looked into.

It is suggested that biographies of great people should be included in the text books. But it will only increase burden on students' mind. Text books should be formulated in such a way that students are attracted towards studies.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Before setting up University this should be borne in mind that priority is given to the backward and neglected areas. I congratulate the hon. Minister for taking decision to set up Universities in hilly areas of Uttar Pradesh. We will appreciate any such decision taken by the Government.

Besides this it is my submission that the true meaning of education imply all round development of the student. It means that students should be given moral, physical and vocational education. The educated unemployment causes frustrations, complexes etc. in students' mind. By imparting vocational education, we can eliminate indiscipline among students. Emphasis should be laid on character building of students. The text books should be prepared in such a way as to raise the moral standards of students. The Commission has done good work in regard to streaghtening the national emotional integration among students. This will raise their moral.

According to the constitution, Hindi has been declared our national language. We should not adopt such programmes for propagating Hindi which may prove suicidal for national integration. Today the position of Hindi is not encouraging and without national language, we cannot raise our heads in the world community. Special assistance may be provided to classes like scheduled castes, tribes, minority etc.

The government should see that educationists, teachers etc. should be sent to those countries which have culture relations with us. We should extentd our cultural relations with Arab Countries and particularly with Bangla Desh and Soviet Russia. If such steps are taken then we can establish cultural relations with all countries and this will be called Golden period for our Educatoin Ministry.

श्री धामनकर (भिवंडी) : प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि विद्यार्थियों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, परन्तु इसके साथ हमें शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहिए। विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता को रोकने के लिए एसा कदम उठाना भी जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना चाहिए, हमें चिकित्सा शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो उनमें प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की बुराई और भी बढ़ती जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सिद्धांत यह है कि जितना बड़ा कालेज होगा उतना अधिक अनुदान दिया जायेगा। होना यह चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित छोटे कालेजों को अधिक अनुदान मिलना चाहिए ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो। विभिन्न विश्वविद्यालय ग्रीष्मकालीन संस्थाएं चलाती हैं परन्तु उनके कार्य में अनियमितता है। यह कार्य एक बोर्ड को सौंप देना चाहिए जो इसकी देखभाल करें। निर्माण करने की लागत का अनुमान करने का ढंग पुराना हो गया है। पहले उसका अनुमान प्रति वर्ग फुट 15–20 रुपये की निर्माण लागत पर लगाया जाता था जिसकी लागत अब बढ़कर 35–40 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है। आयोग को तदनुसार अनुदान की राशि में वृद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार अध्यापकों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए। दूर-दूर से अध्यापन स्थलों पर आने में समय की बर्बादी होती है, यदि विश्वविद्यालय या कालेज के परिसर में होस्टलों का निर्माण किया जाता है तो उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिवंडी में हरिजन तथा आदिवासी लड़कों द्वारा चलाए जा रहे हरिजन गिरिजन उन्नति मंडल द्वारा लगभग 20 संस्थान चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस मंडल को वित्तीय सहायता देने के लिए आश्वासन दिया था। किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लोगों द्वारा चलाए जाने वाले कालेजों को अधिक अनुदान दें या फिर लोक अंशदान में 10 प्रतिशत की कटौती करें। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और जिन संस्थाओं को हरिजनों या गिरिजनों या पिछड़े लोगों द्वारा चलाया जा रहा है उनको अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The objectives for which the University Grants Commission have not been fulfilled. The U. G. C. is paying more attention towards 15 per cent students studing in universities than towards 85 percent students studying in affiliated degree colleges. This has resulted in deterioration of educational standards. No doubt there has been expansion of education but the standard has gone down.

Education had three components *viz.* learning, teaching and examination. Some reforms have been introduced in the examination system but the teacher student ratio is such that teachers cannot pay individual attention towards all the student. The commisiion should consider this matter. A system of selective admission to universities should be started. Measures should be taken to raise the standards of learning and teaching as well.

A curb should be imposed on the increasing number of universities. Government should concentrate their efforts on the consolidation of these universities with a view to raise the quality and the standard of education. A new university if at all is to be started, should be opened in backward areas only.

The U.G.C. should prepare a penal of Vice-Chancellors to run the university properly. Only educationalists should be appointed to the post of Vice-Chancellor.

The U.G.C. has no machinery to check whether the grants disbursed by them to degree colleges are properly utilised. The various members of the U.G.C. should be entrusted with the definite responsibility of allocation of grants, its utilisation and the maintenance of educational standards.

The Minister should take an initiative in approaching the U.P. government to end the discrimination in regard to Aligarh and Banaras Universities. In Aligarh, students who are opposed to University establishments are not allowed even to visit Aligarh City, whereas B.H.U. students are allowed to carry on all sorts of subversive activities even in the campus of the university.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों में इतनी रुचि ली है तथा उच्च शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इसके तुलना में न तो पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है और न ही उन लोगों के लिए पर्याप्त रोज़गार हैं जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके डिग्रियां लेंगे। यह निश्चय ही बहुत गंभीर मामला है ।

हम अपने देश में उच्च शिक्षा विस्तार की सुविधाओं पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। शिक्षा में कुछ न कुछ विस्तार तो अवश्य होना ही चाहिए। मैं विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों का उल्लेख कर रहा हूं जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का उच्च शिक्षा प्राप्त करना न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सामाजिक दृष्टि से सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है अतः पिछले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए अवसर देने की अत्यधिक आवश्यकता है और इस बात से कोई भी इन्कार नहीं करेगा।

केन्द्रीय सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके फलस्वरूप शिलांग में एक पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अतः जहां तक समाज के निर्धन वर्ग तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का सम्बन्ध है उच्च शिक्षा के लिये अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे असंख्य नौजवान हैं जो उच्च शिक्षा केवल इस कारण नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उनके माता-पिता उस शिक्षा का व्यय भार वहन करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे नौजवानों के लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा बन्द नहीं होने चाहिए। सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना है जहां से वह लोग जो विश्वविद्यालय की नियमित कक्षाओं में किसी कारणवश जा पाने में असमर्थ हैं वह घर पर पढ़कर इम्तहान देकर डिग्रियां प्राप्त कर सकें।

कुछ सदस्यों का कहना है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य हमारे युवा वर्ग में लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद की भावना पैदा करना होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न उपायों से इन उद्देश्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें देश के विद्यमान रोज़गार ढांचे की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ रोज़गार के अवसरों की वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को आत्म संयम से कार्य करना होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कृत्यों पर कुछ संवैधानिक प्रतिबन्ध हैं। शिक्षा राज्य का विषय है। संविधान ने संसद को उच्च शिक्षा के स्तर को समन्वित तथा अवधारित करने का अधिकार दिया है।

इस शक्ति के अन्तर्गत ही संसद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम अधिनियमित किया था। आयोग के पास अनुदान रोकने की केवल एक शक्ति है। अस्थायी रूप से अनुदान को रोकने के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने आयोग से परामर्श किए बिना ही विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। अतः उच्च शिक्षा के इस प्रकार के विस्तार के लिए और कालेजों की स्थापना के लिए आयोग को दोष देना उचित नहीं।

इन बंधनों के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की दिशा में अनेक प्रकार की कार्यवाही की है। देश में गत कुछ वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप हुए हैं। कुछ सदस्यों ने आयोग के कार्यकरण के पुनरीक्षण की बात की है। आयोग ने इस वर्ष के आरम्भ में हुए पुर्नगठन के बाद यह आगामी योजना में उच्च शिक्षा के लिए नीति बनाने और अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के कार्य में लगा हुआ है।

श्री पराशर ने सी० ए० बी० द्वारा उच्च शिक्षा के बारे में केन्द्रीय समिति का उल्लेख किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उस पर आयोग द्वारा शीघ्र ही विचार होगा। परन्तु मुख्य प्रश्न उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों का और उनके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों के बीच वितरण का है। इस प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जाना है। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा के स्तर में वृद्धि का प्रश्न है मैं यह बताना चाहता हूं कि आयोग पिछले कुछ समय से इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और शिक्षा को समुदाय के जीवन के उपयुक्त बनाया जा रहा है।

विज्ञान सुधार कार्यक्रम, गुणात्मक सुधार और महत्व देने में परिवर्तन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आयोग अब मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान पर अपना कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के विकास कार्य में आयोग का विशेष योगदान रहा है। इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च अध्ययन केन्द्र और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे विभागों को विशेष सहायता का उल्लेख किया जा सकता है।

सरकार तथा आयोग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की स्थिति के विषय में बहुत चिन्तित है। संस्थाओं, विशेषतः कालेजों में इन जातियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिए ताकि कमजोर वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। छात्रवृत्ति योजना को नया रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंशकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सिफारिश की है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ समय से परीक्षण सुधार योजना के कार्यान्वयन की ओर ध्यान दे रहा है। आरम्भ में इसने 12 विश्वविद्यालयों को चुना है। इस योजना पर कार्यवाही हो रही है और विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों की प्रतिक्रिया आमतौर पर इसके पक्ष में है।

कालेजों की स्वायतता के प्रश्न पर भी आयोग ने विचार किया है ताकि अध्यापक वर्ग को पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित करने का अवसर प्राप्त हो क्योंकि अध्यापक ही विद्यार्थियों के काम का अच्छी तरह मूल्यांकन कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सिफारिश की है कि वे गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करें ताकि विश्वविद्यालयों के मामलों में निर्णय करने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को जिम्मेदार बनाया जा सके। जैसा कि समिति ने कहा कि प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व देने का नहीं है। मुख्य प्रश्न युवकों को शामिल करने का है क्योंकि आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार उच्च शिक्षा को दोहरी प्रक्रिया माना गया है जिसमें पढ़ने वाले तथा पढ़ाने वाले दोनों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यापकों के वेतनमान का प्रश्न उठाया है। मुझे खेद है कि मैं इस स्थिति में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि सेन समिति की रिपोर्ट तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में आयोग की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन है और अभी इस स्थिति में नहीं है कि उन पर अपना निर्णय दे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु सिफारिशें देने के लिए दो समितियों की स्थापना की है जहां तक प्रदर्शकों का संबंध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार में इस ग्रेड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को, जब रिक्त स्थान मिले, ऊपर के ग्रेडों में पदोन्नतियां दे दी जाएं। इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।

संबद्ध कालेजों के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह कहना सही नहीं है कि संबद्ध कालेजों को उनकी आवश्यकतानुसार फंड नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तो विकास कार्यों में सहायता देने तक सीमित है। योजना अवधि में कभी विकास कार्य के लिए सहायता दी जाती थी बाद में यह कार्य राज्य सरकारों को दे दिया गया केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी संविधान के उपबंधों के अनुसार है। इस संबंध में रख-रखाव अनुदान तथा विकास अनुदान का पूरा भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया गया है। एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भवन तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है अतः आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक नया विश्वविद्यालय खोलने पर दिए जाने वाले अनुदान तथा सामान्य विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में तुलना नहीं की जा सकती।

हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि सभा संबंधित संवैधानिक संशोधन पारित कर देती है तब हैदराबाद में निस्संदेह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

यदि हमें अपना स्तर ऊंचा करना है तो संबद्ध कालेजों को और सहायता देनी होगी। मैं आशा करता हूं संबद्ध कालेजों की आवश्यकताओं पर योजना आयोग पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने से पहले विचार करेगा।

एक इजरायली प्रोफेसर को निमंत्रण दिये जाने के संबंध में विशिष्ट उल्लेख किए गए हैं। मैं आपके सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का वह वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं जोकि उन्होंने एक समाचारपत्र के सम्पादक को भेजा था। इसमें कहा गया है कि समाचारपत्र के संवाददाता द्वारा इजरायल से एक भारतीय वैज्ञानिक का केन्द्र के दौरे के बारे में उल्लेख किया गया है

क्या वह डा० आर० एन० सिंह की बात तो नहीं कर रहे जोकि कुछ महीने पहले विभाग में आए थे। वह भारतीय नागरिक हैं। और इजरायल में एक अनुसंधान प्रशिक्षण हेतु गए हुए हैं। यह विश्वविद्यालय उन्हें अपने संस्थान में कैसे आने से रोक सकता है।

कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ठीक प्रकार से न चल रहे कालेजों को ग्रामीण स्वरूप देकर विकसित कर रहा है ताकि वहां और अधिक विद्यार्थी आए। वहां पर ऐसे पाठ्यक्रम रखे जाएंगे जो ग्रामीणों और उन क्षेत्रों के लिए लाभप्रद हो।

कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षण समितियां नियुक्त की थीं। इन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में संशोधन हो चुका है और इस समय व नए हैं और उनका स्वतंत्रता प्राप्ति के कोर्सों से कोई संबंध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपकरणों के लिए दिए जाने वाले अनुदान में कमी हुई है पर यह सही नहीं क्योंकि आयोग यह अनुदान पांच वर्ष की अवधि तक के लिए देता है और प्रायः कालेज तथा विश्वविद्यालय यह राशि जल्दी ले लेते हैं।

निष्कर्ष में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी जाए तो निश्चय ही आयोग अधिक कारगर ढंग से कार्य कर सकेगा। योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है और मुझे आशा है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकताओं और उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देगा।

चूंकि चर्चा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों पर हो रही है अतः मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है जो इससे संबद्ध हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : पूर्वी क्षेत्र के 9 विश्वविद्यालयों में, जिसमें पश्चिम बंगाल के 5 विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, पिछले दो सालों से परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए गए जिसके फलस्वरूप एक लाख विद्यार्थी हानि उठा रहे हैं।

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले कई कालेजों में न केवल अध्यापकों की नियुक्ति के संबध में अपितु विद्यार्थियों के दाखिले में भी बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या ऐसे कालेजों का नाम काली सूची में रखा जाएगा।

श्री धामनकर (भिवंडी) : कालेजों को अनुदान विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दिया जाता है जबकि दुर्बल कालेजों को अधिक सहायता की आवश्यकता है।

प्रो० नुरुल हसन : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में जांच कराऊंगा। जहाँ तक आर०एस०एस० संबंधी पटना के बारे में प्रश्न है इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

यदि आयोग को किसी विशेष मामले के बारे में शिकायत की जाये जहां स्वीकृत धन राशि का दुरुपयोग हुआ हो, तो उस संबंध में निश्चय ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

स्वामी ब्रह्मानन्दजी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और श्री धामनकर के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों को बहतर सुविधाएं देने के लिए आयोग विशेष रूप से प्रयत्नशील है।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : कुछ कालेजों में केवल अध्यापकों की भर्ती के संबंध में ही नहीं बल्कि छात्रों को प्रवेश देने के संबंध में भी भ्रष्ट प्रक्रियायें अपनायी जा रही हैं। क्या आयोग ऐसे कालेजों को काली-सूची में शामिल करेगा।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि कोई विशिष्ट मामला सामने लाया जायेगा तो आयोग निश्चय ही उस पर कार्यवाही करेगा।

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक

PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए प्रेस परिषद् विधेयक में वर्ष 1970 में संशोधन किया गया था। विधेयक के पारित होने के बाद, अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार, एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया गया जिसमें राज्य सभा के चेयरमैन, मुख्य न्यायाधीश तथा लोक सभा के अध्यक्ष थे। इस समिति ने विभिन्न संगठनों के नाम मांगे और 1970 में प्रेस परिषद् का गठन किया गया परन्तु कुछ समाचार पत्रों की कटु आलोचना के बाद इस समिति के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया और फिर अक्तूबर 1973 में प्रेस परिषद् की कार्यविधि भी समाप्त हो गई। इसलिए सरकार को आगे कार्यवाही करनी ही थी। सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद की कार्यविधि में वृद्धि की ताकि यह सभा निश्चय कर सके कि नाम निर्देशन समिति के नये सदस्य कौन-कौन हों। हमने एक सलाहकार समिति का भी गठन किया था जो यह सलाह देती कि नाम निर्देशन समिति के ही संबंध में कोई स्थायी व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में क्या संशोधन किया जाये।

यह विधेयक बड़ा ही सरल है जिसमें प्रेस परिषद् की कार्यविधि का उद्देश्य है और सभा से विधेयक में ऐसा संशोधन करने की अनुमति लेना है जिससे नाम निर्देशन समिति के संबंध में कोई उचित व्यवस्था हो सके।

आप जानते ही हैं कि प्रेस परिषद् का गठन प्रेस आयोग की सिफारिश पर किया गया था और यह परिषद् अपने उद्देश्य में बहुत सफल रही है जैसा कि वार्षिक प्रतिवेदन से स्पष्ट है। कम से कम सरकार तो यही चाहती है कि प्रेस परिषद् बनी रहे। सभा प्रेस परिषद् की कार्याविधि में वृद्धि कर दे और इसी के लिए मैं सभा से सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा ही सीमित है और इसमें प्रेस परिषद की कार्यविधि की सीमा केवल जून, 1974 तक बढ़ाने की मांग की गई है। इस पर चर्चा के लिए दो घंटे दिये गये हैं। अब श्री रामावतार शास्त्री :

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The criticism of the Press Council, shows that the performance of the Council has not been satisfactory. The purpose of the Council was to secure better amenities for the Working Journalists. But, still the owners of the Newspapers are dominating the Press. Therefore, it is absolutely necessary to give more representation to Working Journalists in the Press Council. Also only those persons should be kept in the Council who are wedded to the aims and objects and programmes of the All India working Journalists' Federation and not those who are out to create disunity among working Journalists and are thereby protecting the interests of the owners. National Union of Journalists is one such body which is dividing the Working Journalists so as to weaken their might and strengthen the hands of the owners. The organisers of this Union are the agents and supporters of the owners.

[श्री मती शीला कौल पीठासीन हुई
Shrimati Sheila Kaul *in the Chair*]

Finally, I would request that a Public Corporation should be set up for P.T.I. Samachar Bharati, U.N.I. etc., so as to have a platform for the vindication and removal of the grievances of the Working Journalists. The Press Commission also has made a Similar recommendation. It would save the Working Journalists from undue exploitation by the owners. The Press Council should hit upon such programmes and policies. Only then they could prove to their worth.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): Our popular party and Government always make efforts to safeguard the democratic values and the fundamental rights of the people but the opposition have been working only with the motive to oppose the Government.

The Press Council was set up on the advice of the Advisory Committee of the Members. But it is very sad and unfortunate that the opposition did not spare even those Members of the Nominated Committee who were considered to be foremost guards of democracy and justice. It is, therefore, not at all understood what do the opposition propose to do. However, Shri I.K. Gujral the hon. Minister of Information and Broadcasting deserves high appreciation for his concerted efforts to protect the democratic values and public interest.

Now we seek the advice of the house as to how should the Nomination Committee be constituted. As the hon. Minister has stated, the consensus of the Hon. Members has to be obtained in this behalf. It is a very vital matter as to who should constitute the Committee.

The people of the country gave to us a first mandate in the last elections for bringing them out of the clutches of economic imbalances and exploitation of the capitalist and reactionery forces, which have been influencing the very life of the entire nation. It is very unfortunate that even today ninety per cent of our newspapers are under the complete control of capitalists who do not permit the press to indicate the real public opinion and interest of the masses at large. Today the press is leading the people towards disappointment and disgustment since those vested interests do not allow the real situation to come before the people at large, therefore, the monopoly of the Press should go. Only then we would be able to rouse the inner feelings and opinion of the people. Our Prime Minister had once said that best newspapers are those which are devoted to the service of the masses.

I have every hope that the hon. Minister would take all of us into confidence regarding the constitution of the Press Council and Nomination Committee.

Finally, I would again point out that the Press is for the people and not that people are for the Press. Only, then we would be able to set up a sound socialistic society and secure economic and social justice for our people. Lastly, I vehemently hope that todays dreams would certainly prove reality of tomorrow.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): Whereas the hon. Minister has admitted that there had been immense criticisim of the working of the Press Council and also that all the three members of the Nomination Committee resigned from the Committee; he has not stated the reasons and grounds thereof. Only it was pointed out that the speaker of the Lok Sabha, the Chairman of the Rajya Sabha and the Chief Justice of India. The three Members of the Nomination Committee did not want that their such high offices should be so criticised. But it has not been made clear as to why that criticism came and also whether it was for the constitution or on the performance of the Press Council. Now if, in the light of that criticism and the resignation by these three high ranking persons. The Government wants some committee of the Members have to review the situation. I don't think it would bring out any fruitful result and the amendment suggested would also prove futile. Since the constitution of Press Council was suggested by the Press Commission itself and for that too there was Parliamentary Advisory Committee, which had suggested that the job of the nominating the Members of the Press Council should be made by a Nominating Committee consisted of these three highly placed persons. May I know whether the hon. Minister propose to repeat the very previous procedure and seek the advice of the Committee of the M.Ps. ?

As regards the representation of the Working Journalists in the Press Council, the Act, provides for 13 Members i.e., 6 editors & 7 working Journalists other than the editors; and that is enough. We have two organisations of Working Journalists—The I.F.W.J. and the N.U.J. The I.F.W.J. did not send their nominee to the Press Council despite reminders.

If the hon. Minister thinks that the N.U.J. is controlled by the owners., then let the Government create such a situation that the Working Journalists are neither hired by the newspaper owners nor are they made to blindly propagate for the Government's ends.

The Press Council Act provides for the code of conduct for the newspapers, news agencies and the Working Journalists. It clearly indicates the functions of the Press Council. Now if the entire criticism was due to the non-representation of the I.F.W.J. which resulted in the resignation of the Members of the Nomination Committee. I think those Members could have been pursuaded to withdraw their resignations had. The hon Minister made proper efforts in this direction.

The hon. Minister said that the Press Council was working properly. I think the Government had been unsuccessful in discharging their responsibilities in the field of Journalism and had been using the freedom of the Press day by day.

They want that the newspapers should pilot the cause of the Government only and may ignore the sufferings and grievances of the people. That is why they have reduced the newsprint quota of those papers which do not succumb to the pressure of the Government whereas the quota of 'Patriot' has remained intact or has been increased, and the management of the National Herald made more mighty to harass the Working Journalists. Whereas the Government was supposed to safeguard the interests of the Working Journalists, they preferred to ignore these responsibilities of their own.

Had the Govt. so chosen, they could have taken the matter concerning the Nomination Committee much earlier and made some alternative arrangements but they slept over the matter for two years. Now they want the advice of the M.Ps. for the reconstitution of the Nomination Committee. Also now they want to extend the period of the Press Council and have moved this Bill therefore. Let the hon. Minister assure that the Committee would be constituted very soon so that the discontent among the Working Journalists because they feel that the Government want to snatch away the freedom of the Press.

The report of the Second Wage Board should also be published soon.

Finally, I would point out that had the Government acted timely, the need for bringing this Bill would have not arisen.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): The purpose of this Bill is only to extend the period of the Press Council upto June, 1974.

As regards the Nomination Committee, I am sure the hon. Minister and the government must have made their last efforts to pursuade the Members to withdraw their resignations but they did not agree to stay on. I think that if the entire House irrespective of this party or that party request once again they might agree to reconsider their decision to resign. There is great difference between this hon. Minister's or Government's pursuation and the pursuation of the hon. Members from all sides. It is immaterial that such a resolution comes from treasury benches or any individual hon. Member. The names of these three dignified persons was suggested for the Nomination Committee after a very very serious thought and their existence therein could be guarantee of honest nomination to the Press Council.

Although the Press Council was successful in many of its aims and objects yet some of them could not be achieved for one reason or the other. One of the drawbacks in Press Council is that it does not have statutory Status and therefore, even the states do not care much for it. So, it is very imperative that the Press Council should be made a statutory body.

Secondly, there has been certain deficiencies in regard to its constitution. The representation of the I.F.W.J. could not be had for certain Technical reasons otherwise as per the provision of the Act, this Federation should represent in the Press Council. Now they would come. However as a whole the constitution of the Press Council was good.

Still some drawbacks have been experienced for which, although there is no need of having many changes and amendments; yet, more people of different Indian languages should be taken in. At present, somehow, there are more representatives from English newspapers whereas we have more papers in Indian languages than in English.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : पहले प्रेस परिषद् की अवधि 1 अक्तूबर, 1973 को समाप्त होनी थी तब 27 सितम्बर, 1973 को अध्यादेश जारी किया गया था और 8 महीने की अवधि बढ़ा दी गयी थी। यह विधेयक उसी अध्यादेश का स्थान लेगा। यह परिषद् वर्ष 1970 में गठित की गई थी। इस परिषद् में नाम निर्देशन के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें अध्यक्ष महोदय, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित किये गये थे। इस समिति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की 1 अक्तूबर, 1970 को परिषद् गठित की गई थी, जब प्रेस परिषद् के सदस्यों के बारे में कुछ आलोचना की गई तब नाम निर्देशन समिति के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। अब सरकार प्रेस परिषद् के सदस्यों का चयन करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय सोच रही है और यह स्वभाविक है कि इसमें कुछ समय लगेगा ।

परन्तु सरकार ने इन तीन वर्षों के दौरान इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और जब इस परिषद् की अवधि समाप्त होने को आई तब उन्हें इस की अवधि बढ़ाने के लिये अध्यादेश जारी कर दिया। केन्द्रीय सरकार एक साधारण-सा काम भी समय पर नहीं कर सकी। इसका कारण यह है कि सरकार ने इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि उसे इस काम का ध्यान ही नहीं रहा। जब हम राज्य सरकार को अधिक शक्तियां देने का आग्रह करते हैं तो इसको उचित नहीं समझा जाता और तरह-तरह के आक्षेप लगाये जाते हैं। राज्यों की स्वायत्तता की मांग को पृथक होने की मांग करार

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

दिया जाता है। प्रशासन में अदक्षता का कारण शक्तियों का संकेन्द्रण है। सरकार समाचार-पत्रों के स्वामित्व के पृथकीकरण के बारे में काफी समय से विचार कर रही है परन्तु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

वर्तमान प्रेस परिषद में श्रमजीवी पत्रकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आजकल समाचार पत्रों में केवल उनके मालिकों के विचारों का प्रकाशन होता है। वे सरकार के पक्ष में या उसके विरुद्ध ऐसी सामग्री प्रकाशित करते हैं जिससे उनकी स्वार्थसिद्धि होती हो। अब समय आ गया है जब समाचार-पत्रों को निष्पक्ष ढग से काम करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण करने का है और केवल बातें करने की बजाय समाचार-पत्रों के स्वामित्व के पृथकीकरण के बारे में कोई ठोस कार्यवाही करने की घोषणा करेगी? वर्ष 1971 के आंकड़ों के अनुसार देश में 12218 समाचार-पत्र और 2773 अन्य पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। परन्तु सरकार ने प्रेस परिषद जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में शीघ्रता से और समय पर कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने बहुत ही गैर-जिम्मेदारी के साथ यह काम किया है।

श्री एन० टोरबी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसं में विभिन्न वर्गों से सदस्यों के नाम निर्देशन के बारे में कई उपबन्ध किये गये हैं और सभी शक्तियां परिषद को दी गई हैं। इसके अनेक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है ताकि परिषद समाचार-पत्रों की निष्पक्षता की रक्षा ही नहीं अपितु उनके स्तर में सुधार भी कर सके।

प्रेस परिषद को व्यापक शक्तियां दी गई है जोकि न्यायालय के बराबर है और वह सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही भी कर सकते हैं और अब यह देखना है कि क्या परिषद उन शक्तियों का कोई ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकी है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्योरा क्या है? परिषद में प्रतिनिधित्व के बारे में मुझे सुझाव देना है कि उसमें छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधित्व पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें उनके प्रतिनिधियों की संख्या की वृद्धि करनी चाहिए।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]
[Shri S. A. Kader in the Chair]

हमें छोटे समाचार-पत्रों को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर जोन के पहाड़ी क्षेत्रों को छोटे समाचार-पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें गोहाटी या कलकत्ता से मानक समाचार-पत्र मंगवाने पड़ते हैं परन्तु जब कभी विमान-सेवाओं में गड़बड़ होती है तो इस बात की कल्पना की जा सकती है कि समाचार प्राप्त करने में वहां की जनता को कितनी कठिनाइयों का समाना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें रेडियो पर ही निर्भर करना पड़ता है। परन्तु उन क्षेत्रों में रेडियो भी कितने घरों में होता है? अतः समाचार-पत्रों के प्रतिनिधित्व पर ही नहीं अपितु उनके मानक में भी सुधार करने के बारे में परिषद को विचार करना चाहिए। अधिकांश छोटे समाचार-पत्र राजनीतिक दलों के होते हैं और हमारी जनता मानक निष्पक्ष समाचारों से वंचित रह जाती है। अतः परिषद को इस क्षेत्र की जनता तक निष्पक्ष समाचार पहुंचाने के उपाय पर भी विचार करना चाहिए। फिर पी० टी०आई०, यू०एन०आई०, हिन्दुस्तान समाचार तथा अन्य एजेन्सियों को, जिनके पास टेलिप्रिंटर सेवाएं उपलब्ध हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी एजेन्सियां स्थापित करनी चाहिएं। संभव है कि छोटे समाचार पत्र उचित अंशदान न दे सकें। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि प्रेस परिषद और इसके गठन के बारे में मतभेदों को कैसे दूर किया जा सकता है? इस बारे में मेरा भी विचार यही है कि लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस बात के लिए राजी किया जाना चाहिए कि वे अपने पदों को स्वीकार कर ले ताकि यथासंभव विवाद पैदा ही न हो। ऐसी स्थिति में प्रेस परिषद सर्वोत्तम सेवा कर पायेगी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रेस परिषद के कार्य से प्रभावित नहीं हुआ हूं। इसने लोकतंत्र के संरक्षण के सम्बन्ध में अपने दायित्वों को पूरी तरह से नहीं निभाया। प्रैस परिषद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में विरोधी पक्ष की अपेक्षा सरकार के विचारों को अधिक महत्व न दिया जाये ।

जहां तक अवधि बढ़ाने का सम्बन्ध है मैं इस बात पर सहमत हूं कि जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है उनमें अवधि बढ़ानी चाहिए। परन्तु यह अवधि उतनी होनी चाहिए जो कम से कम आवश्यक हो। यदि नाम निर्देशित समिति ने प्रेस परिषद के गठन की आलोचना के कारण त्यागपत्र दिया था तो सरकार का यह कर्तव्य था कि सरकार इस प्रेस परिषद को उतने ही समय के लिए रखे जितना आवश्यक था। अतः मेरे विचार में यह अवधि एक या दो महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। जहां तक विचारविमर्श का सम्बन्ध है वह अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अतः जून, 1974 तक अवधि बढ़ाने की बात अनुचित प्रतीत होती है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : प्रेस परिषद संशोधन विधेयक लाये जाने के कुछ विशेष कारण हैं परन्तु ये कारण बताये नहीं गये हैं । अतः इन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। केवल इतना मात्र कहा गया है कि कुछ आलोचना के कारण तीन विख्यात व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि आलोचना क्या थी और उन्होंने कब त्यागपत्र दिया। उक्त सदस्यों ने 2-3 वर्ष पूर्व त्यागपत्र दिया था अतः ये विधेयक पहले लाया जाना चाहिए था।

कार्मिक संघों से नाम निर्देशन करने को कहना गलत है। सब से अच्छी प्रणाली यह है कि प्रेस परिषद में प्रतिनिधित्व करने योग्य पत्रकारों की व्याख्या की जाये और तब मतदान कराया जाये। मतदान में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले को नाम निर्देशित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की कठिनाइयों को उत्पन्न न होने देने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रेस परिषद को सांवधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं जिससे कि इसके निर्णयों को लागू किया जा सके। इसके लिये प्रेस परिषद को सांवधिक निकाय बनाया जाना चाहिए।

मुख्य उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि प्रेस स्वतंत्र रहे और उसमें काम करने वाले लोगों को समुचित लाभ मिलता रहना चाहिए। यह सच है कि सरकार ने पत्रकारों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है। परन्तु इसमें प्रतिनिधित्व देने के संबंध में पत्रकारों में मतभेद हैं। पत्रकारों का एक वर्ग दूसरे को पत्रकार-विरोधी बताता है और दूसरा वर्ग दूसरे वर्ग को, परन्तु सरकार को इस मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए और अधिकतम मत प्राप्त करने वाले पत्रकार को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सरकार यदि अनजाने में एक आर्थिक संघ का पक्ष लेगी तो दूसरे संघ सरकार से नाराज हो जायेंगे अतः सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए।

यह आशा की जाती है कि मंत्री महोदय एक ऐसा व्यापक विधेयक लायेंगे जो समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हित में होगा और प्रेस परिषद अधिनियम की अनेक कमियों को दूर कर दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Ministry of Information and Broadcasting should not deal with Press. This is similar to empowering Police Superintendent to hear Habius Corpus Appeals. This Ministry is responsible for presenting Government in view point only therefore this work should be taken over from this Ministry.

There is a mention about 'Tribune' case in the report of the Press Council pertaining to the year 1972-73. Certain news items appearing in that paper were not palatable to the State Government and it stopped issuing Government Advertisements to that paper. The Press Council considered this matter and came to the conclusion that the action of the State Government was a delibrate attempt on its part to coerce the newspaper and that this constituted a threat to the freedom of the press. May I know whether the council would consider those cases where private companies and individuals stop advertisements to a certain press under Government pressure ? D.C.M., Century Mill, Gwalior Rayon, Charat Ram Bharat Ram and Birlas, etc. have all stopped giving advertisements to 'Mother India' This appears to have been done under Government Pressure. I feel that this also constitutes killing of the freedom of press. Press Council should enquire into this Case.

There are certain companies and Capitalists who do not stop the advertisements but these try to influence the papers by giving them advertisements. Synthetic yarn issue was discussed in this House recently. But those papers which receive advertisements from J. K., Century tuka, Modi, etc. did not publish any report about that.

Central as well as State Government provide direct and indirect financial help to news agencies, such as P.T.I., U.M.I. and Smachar Bharati therefore these Agencies are under their influence. Previously these agencies used to give courage to our speeches but now for the last two-three years they have evolved a system under which our speeches delivered in one State are published in that very State and does not get published in other States. These agencies have been so much influenced by the Government that criticism of the Prime Minister does not get publicity throughout the country.

Companies Act was amended in order to stop donations to Political Parties. But after this amendment a new method of publishing Souvenirs has been evolved. Many of such souvenirs get huge money in shape of advertisement fees but in fact these Souvenirs never see of the light of the day. Is Press Council not enpowered to look into this aspect?

If members do not like their criticism we should think of changing the procedure of making nominations. I am personally in favour of elections. Various Associations of working Journalists and editors and Bar Council etc. should elect their representatives. This method of making nomination should be stopped forthwith.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकता-दक्षिण) : इस विधेयक का विस्तार और उद्देश्य बहुत ही सीमित है। यह प्रेस परिषद् के कार्यकाल को बढ़ाने और सभा के सभी पक्षों के परामर्श के पश्चात नाम निर्देशन समिति संबंधी विधान में संशोधन करने के लिये लाया गया है। हमें नाम निर्देशन समिति के संबंध में ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जिससे प्रेस परिषद् में इस प्रकार का वातावरण बन सके कि विपक्षी दलों की आलोचना की ओर पूरा ध्यान दिया जा सके।

विपक्ष के अनेक सदस्यों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दल और सरकार प्रेस का उपयोग कर रहे हैं। 1971 के चुनाव के समय कांग्रेस दल का मूल लक्ष्य एकाधिकारियों और प्रतिक्रियावादी तत्वों का विरोध था। उस समय इन्हीं समाचारपत्रों ने अथवा इनमें से अधिकतर समाचार पत्रों ने कहा था

कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के और उनके दल के चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं। इस का मूल कारण यह था कि इन समाचार पत्रों के नियंत्रक बड़े-बड़े औद्योगिक एकक थे और वे सरकारी दृष्टिकोण एवं नीति से सहमत नहीं थे। आज चुनाव में हमारी विजय के बाद इन समाचार-पत्रों ने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया अपितु जनता ने उन्हें अपने विचार बदलने को बाध्य कर दिया है। लोक तन्त्र में समाचार पत्रों को जनता के विचारों को प्रतिबिम्बित करना ही पड़ता है।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि समाचार पत्रों में शासक दल और विपक्ष को प्रचार का आनुपातिक स्थान मिलना चाहिये। वास्तव में यदि ऐसा किया गया तो मेरे विचार से श्री मधु लिमये और श्री श्याम नन्दन मिश्र जैसे लोगों के लिये समाचार पत्रों में कोई भी स्थान नहीं रहेगा। हमारे देश में प्रेस को सभी क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है वास्तव में समाचार पत्र श्रीमती इन्दिरा गान्धी के विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। श्रीमती गान्धी ने कांग्रेस संसदीय दल के समक्ष भाषण में कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को जहां तक हो सके प्रबन्धकों के साथ सहयोग करना चाहिए। परन्तु समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया कि प्रधान मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार छोड़ने को कहा, जबकि प्रधान मंत्री की बात को सर्वथा भिन्न थी। इसी प्रकार मैं भारतीय युवकों का एक प्रतिनिधिमण्डल ले कर पूर्व जर्मनी गया। हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। परन्तु एक प्रमुख समाचार पत्र ने प्रकाशित किया कि युवक प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने शराब पी, क्लबों में नाचे और वहां पर अभद्रता प्रदर्शित की। मैंने इस संबंध में एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण भेजा जो कि प्रकाशित ही नहीं किया गया। मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का पक्षपाती हूं परन्तु मेरा यह भी मत है कि समाचारपत्रों को भी तोड़-मरोड़ कर बातें कहने का कोई अधिकार नहीं जिससे कि राष्ट्र के मुख्य दृष्टिकोण भिन्न प्रतीत हों। प्रेस परिषद् को इस प्रकार के मामलों की जांच करनी चाहिये और सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिये।

डी एम० के० सदस्य ने इस विधेयक पर बोलते हुये भी केन्द्र-राज्य संबंधों का उल्लेख किया और राज्यों की स्वायतत्ता की बात कही। परन्तु यही दल स्वयं अपने राज्य में समाचार पत्रों को कुछ भी विचार प्रकाशित करने के लिये स्वतन्त्रता देने को तत्पर नहीं।

जहां तक विज्ञापनों के वितरण का संबंध है ये सभी समाचार पत्रों को बिना किसी अनुमान के दिये जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि यह किस आधार पर किया जाता है। अखबारी कागज़ की चोर-बाज़ारी हो रही है। सरकार को इसकी जांच करनीं चाहिये। इस बात को भी जानने का कोई प्रबंध किया जाना चाहिये कि समाचार पत्रों द्वारा कितनी अखबारी कागज़ का उपयोग किया गया है।

श्री अनन्त राव पाटिल : (खेड) सरकार ने पिछले मास एक अध्यादेश जारी करके प्रेस परिषद् का कार्यकाल बढ़ाया था। उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये अब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि 1970 के अधिनियम द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय नाम निर्देशित सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया था। इसका कारण यह था कि गठन तथा प्रेस परिषद् के कार्यकरण के बारे में कुछ समाचार पत्रों ने आलोचना प्रकाशित की। अतः सरकार के सम्मुख तात्कालीन समस्या नाम निर्देशित समिति का गठन करने के लिये वैकल्पिक तन्त्र ढूंढना है। सरकार इस बारे में इस सभा और सदस्यों का मत जानना चाहती है।

समिति का गठन करना कोई आसान काम नहीं है। उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति से अधिक योग्य व्यक्ति सरकार तथा इस सदन को नहीं मिल सकते। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समिति का काम केवल प्रेस परिषद् के गठन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। प्रेस परिषद् का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा समिति में मनोनीत दोनों संसद सदस्य पुराने व अनुभवी पत्रकार हैं। उनमें से एक मैं हूं। मैं पिछले तीस वर्षों में से पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के कारण उक्त समिति में होना अपना अधिकार समझता हूं।

प्रेस परिषद् के सदस्य भी यह अनुभव करते हैं कि परिषद् का कार्य पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। प्रेस परिषद् के गठन का उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रता को बनाए रखना और देश में पत्रकारिता के स्तर को बनाए रखना एवं सुधारना था। परन्तु प्रेस परिषद् के सदस्य के नाते हम अपने को इस कार्य के योग्य नहीं पाते । वास्तव में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को सरकार से कोई खतरा नहीं। यह खतरा बड़े-बड़े एकाधिकार घरानों की ओर से हैं। ये घराने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के बहाने उनका गला दबाने की कोशिश करते रहे हैं। देश में छोटे व बडे समाचार-पत्र हैं। परन्तु बड़े समाचार-पत्र छोटे-छोटे समाचार-पत्रों को दबाते रहते हैं। प्रेस परिषद् का गठन इस प्रकार है कि सदस्य नाम निर्देशित किये जाते हैं। नाम निर्देशित किये जाने वाले सदस्य बड़े घराने से संबंधित होते हैं। उनके बहुमत में होने के कारण बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के कदाचारों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। अतः सरकार को प्रेस परिषद् के गठन पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमारे देश में अधिकतर भाषायी समाचार पत्र हैं जो कि मध्यम व छोटे समाचार पत्र हैं। इन समाचार-पत्रों को प्रेस परिषद् में अंग्रेजी के बड़े-बड़े समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। ये समाचार पत्र अपने धन का उपयोग करके केवल छोटे समाचार पत्रों को ही नहीं दबा रहे अपितु सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के रास्ते में रुकावटें डालते हैं।

प्रेस परिषद् का वर्तमान गठन इस प्रकार का है कि पत्रकारिता के स्तर को बनाए रखना और सुधारना संभव नहीं। श्री मधु लिमये ने अन्याय के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये और कहा कि प्रेस परिषद् ने उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। वास्तव में प्रेस परिषद् को जब भी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उस पर कार्यवाही की गई। यह ठीक है कि सरकार ने प्रेस परिषद् को कुछ शक्तियां दी हैं परन्तु मेरा कहना है कि ये शक्तियां अपर्याप्त हैं। प्रेस परिषद् के पास किसी समाचार पत्र अथवा राज्य सरकार को दण्ड देने की शक्ति नहीं। अतः प्रेस परिषद् का पुनर्गठन करते समय और नामनिर्देशित समिति को पुनः नाम निर्देशित करते समय इन पहलुओं की ओर भी ध्यान दिया जाये।

प्रेस परिषद् का गठन ब्रिटिश प्रेस परिषद् के अनुसार किया गया था परन्तु दोनों में यह अन्तर है कि भारतीय प्रेस परिषद् का गठन संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है और इसे संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि ब्रिट्रिस प्रेस परिषद् का कार्यकरण प्रेस उद्योग और पत्रकारिता के लिये अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है मेरे विचार से सरकारी अधिनियम, सरकारी हस्तक्षेप आदि प्रेस परिषद् के कार्यकरण में रूकावटें डालते हैं। माननीय मंत्री को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

श्री पी० जी० मवलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय ने इस विधेयक को साधारण विधेयक बताया है और कहा है कि इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह साधारण विधेयक नहीं है। वाक स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातें इस विधेयक में हैं।

जहां तक तीन अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आलोचना करने का संबंध है, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि हम भी इन तीनों उच्चाधिकारियों को राजनीतिक विवाद और सार्वजनिक विवाद के पात्र नहीं बनाना चाहते क्योंकि इन तीनों उच्चाधिकारियों के विशिष्ट कार्य कलाप और जिम्मेदारियां हैं।

***फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्ज ट्रावनकोर की कोचीन डिवीजन में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ**

***Foreign Experts working in the Cochin Division of F.A.C.T.**

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर की कोचीन डिविजन में 25 तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित हैं फिर भी वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पेट्रोलियनम और रसायन मंत्री ने बताया है कि उक्त संस्था में अत्यन्त गंभीर घोटाला हुआ है और उक्त संस्था के नेता कार्य के योग्य नहीं पाये गये हैं। वर्ष 1970-71 में यह बताया गया है कि विदेशी तकनीशियनों पर 1.65 करोड़ रुपये खर्च हुये थे और 1972-73 में लगभग 53 लाख रुपये खर्च हुये। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना हमें बताया गया है खर्च उससे दुगना हुआ है।

भारत में 22 महीनों तक विदेशी तकनीशियनों के रहने की आवश्यकता की बात समझ में नहीं आती। उक्त कारखाने पर 1964-65 में काम आरम्भ हुआ और अपना जून, 1971 में यह पूर्ण हुआ। इस पर कुल खर्च 62 करोड़ रुपये हुआ। इसमें अमोनिया और उर्वरकों के लिये आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। इस कारखाने के निर्माण में एफ० ई० डी० ओ० और एफ० सी० आई० दो कम्पनियों ने सहयोग दिया है। उक्त कारखाना बहुत बड़ा है और केरल के लिये इसका बहुत महत्व है। इसका राज्य में होना प्रत्येक व्यक्ति के लिये गर्व की बात है। हम उर्वरकों का आयात करते हैं ।

क्या आप इस प्रकार केमहत्व पूर्ण उद्योग को† ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं जिसे उर्वरकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस संस्था के प्रबन्ध निदेशन हैं, देश में विदेशी तकनीशियनों को लाना चाहते हैं। उन्हें स्वयं अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। केवल सम्पूर्ण बायलर को बदलने से ही 30 लाख रुपये खर्च हो जाता है। लेकिन विदेशी तकनीशियनों ने यहां 22 महीने लगा दिये । क्या यह अपराध नहीं है? उनको पदच्युत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

देश में उर्वरक उद्योग के लिये एफ० ई० डी० ओ० अग्रगामी संगठन है। हम पांच संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। एफ० ई० डी० ओ० सैकड़ों युवक इंजीनियरों को रोजगार दे रहा है और इसका एक बहुत बड़ी रसायनिक संस्था के रूप में विकास हुआ है। यह और अनेक नये संयंत्र स्थापित कर सकता है। इसने वर्ष 1966 में कार्य करना आरम्भ किया था और 123 परियोजनाएं पूरी की हैं। प्रबन्ध निदेशक द्वारा उचित निर्णय न लेने के कारण यह कारखाना पूरा नहीं हुआ है। विदेशों के दौरे में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया गया है। विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किये जाने के लिये उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है? अनेक अनियमितताओं के बारे में मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा है लेकिन मुझे अभी तक अपने पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी बातों को अधिक समय तक बर्दास्त नहीं करेगें।

फर्टीलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर भारी घाटे में चल रही है। यह घाटा 3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । यदि निर्णय शीघ्र लिया गया होता तो 6 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। इस

***आधे-घंटे की चर्चा ।**

***Half an hour Discussion.**

†अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

†Expunged as ordered by the Speaker.

संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात अमोनिया के ठेके का घोटाला है। मैसर्स नोर्स्क हाइड्रो आफ नार्वे ने कोचीन को 40 डालर प्रति मीटर टन लागत बीमा भाड़ा की दर से अमोनिया के ठेके का प्रस्ताव रखा था। उक्त प्रस्ताव 8 सितम्बर, 1972 को रखा गया था और 15 सितम्बर, 1972 तक वैध था। लेकिन वह इस संबंध में मार्च, 1973 तक कोई निर्णय नहीं ले सका। अतः प्रस्ताव के समाप्त होने पर मूल्य 40 डालर से बढ़ कर 70 डालर हो गये और एक करार एक वर्ष के लिये किया गया जिसे 7 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अतः इसके परिणामस्वरूप अमोनिया के ठेके में देश को 10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

उच्च प्रबन्ध संवर्ग में अनेक असंगत मान्यताओं के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। उर्वरक उद्योग की बिलकुल जानकारी न रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है। *अनेक महिलाओं को नियुक्त करने की बात समझ में नहीं आती।

वह न केवल जनता को बल्कि सरकार को भी धोखा दे रही है। उसने बताया कि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन वास्तव में उत्पादन में कमी हुई है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एफ० ई० डी० ओ० ने कास्टिक सोडा तथा मालका, जिसका पहले आयात किया जाता था, आयात करना बन्द कर दिया है।

एफ० ई० डी० ओ० को 80 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन इसके प्रबन्ध निदेशक ने इस संबंध में पत्र व्यवहार करने से इन्कार कर दिया।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि वह उक्त पुरुष को संरक्षण देने का प्रयास न करें* श्री बी० के० खन्ना ने, उस उद्योग को जो केवल केरल के लिये ही नहीं है अपितु समस्त देश के लिये महत्व पूर्ण है नष्ट कर दिया है। वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री के० पी० उन्नी कृष्नन् (बडागरा) : सभा में तथा अन्यत्र प्रबन्धकों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन आरोपों को मंत्री महोदय की जानकारी में लाया गया है और यदि हां, तो उनका इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री मानसिंह भौंरा (भटिंडा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्री वयालार रवि कही गई बातों के आधार पर सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

सभापति महोदय : श्री वयालार रवि ने श्री खन्ना के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां की हैं। मैंने कार्यालय में इस मामले को अध्यक्ष को सौंपने का अनुरोध किया है। यदि उक्त टिप्पणियां अनुचित पाई गई तो उन्हें सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री वयालार रवि : मुझे इस बारे में सूचना आवश्य दी जानी चाहिये।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनमें कोचीन स्थित उपक्रम भी शामिल है, नियुक्तियां करने के बारे में निर्धारित प्रक्रिया है जब कोई पद रिक्त होता है तो उस पद पर नियुक्ति संबंधी मामला रोजगार कार्यालय को भेज दिया जाता है। रोजगार कार्यालय उम्मीदवारों के नाम भेजते हैं और फिर उनमें से चयन किया जाता है। श्रेणी तीन और चार के लिये यह प्रक्रिया है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। नियमित चयन बोर्ड का गठन किया जाता है और फिर बोर्ड द्वारा चयन किया जाता है। यदि कोई ऐसा विशेष मामला, जिसके बारे में उक्त प्रक्रिया का पालन न किया गया हो, मेरी जानकारी में लाया जायेगा तो मैं उसकी जांच करूंगा। यदि इस संबंध में कोई अनियमितता बरती गई होगी तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कारखाने को चालू करने में असाधारण विलम्ब हुआ है। इस कारखाने को वर्ष 1969 तक पूरा हो जाना चाहिये था। मशीनें लगाने का काम तो 1971 में पूरा हो गया था। कारखाने में अप्रैल, 1973 में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है।

हमारे पास 25 विदेशी विशेषज्ञ हैं और हमने विदेशी फर्मों से करार किया था। तीन फर्मों के साथ मशीनों की सप्लाई के लिये और दो फर्मों के साथ तकनीकी जानकारी के लिये टेका किया गया था। पहले तो देशी उपकरणों की सप्लाई में असाधारण विलम्ब हुआ। इसके बाद उन्होंने इस्पात की अनुपलब्धता और बिजली की सप्लाई में कटौती का तर्क दिया। जहां तक आयातित उपकरणों का संबंध है, विदेशी विशेषज्ञों का मशीनें लगाये जाने तक वहां रहना आवश्यक था जिससे वास्तविक रूप से मशीनें लगाने में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके और बाद में वे अपनी जिम्मेवारी ले सकें। जब संयंत्र चलाने का प्रयत्न किया गया तो कुछ दोष सामने आये और ये दोष अधिकांशतः आयातित उपकरणों में पाये गए। केवल बायलर में ही दोष नहीं थे दोष अनेक थे। इसकी सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति, श्री खन्ना पर नहीं डाली जा सकती। हमें आशा है कि उक्त कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत कार्य आरम्भ कर देगा।

कुछ समय पूर्व अनेक सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था। जिसमें अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाये गये थे। हम उन आरोपों की जांच कर रहे हैं। हमने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करूंगा और तब यथोचित कार्यवाही करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 नवम्बर, 1973/6 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, November, 27, 1973/Agrahayana 6, 1895 (Saka)

MGIPRRND—Sec. II (Day)—43 LSS/73—3-4-74—490